(विभागीय उपयोग हेतु)

कारागार कम्पेन्डियम भाग-1

कारागार प्रशासन एवम् सुधार सेवायें उत्तर प्रदेश

(सेवा नियमावलियाँ तथा अन्य महत्वपूर्ण नियमावलियों का संकलन)

भाग – 9

उत्तर प्रदेश कारागार विभाग

के

विभिन्न संवर्गों से संबंधित

सेवा नियमावली

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (कारागार) अनुभाग - 1
संख्या 4992/22-1351/61
लखनऊ, दिनांक 18 नवम्बर, 1982

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्‌यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जेल (समूह 'क' और 'ख') सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश जेल (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 1982

भाग - एक - सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1.** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जेल (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 1982 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति **2.** उत्तर प्रदेश जेल (समूह 'क' और 'ख') सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह 'क' और 'ख' के पद जैसा कि परिशिष्ट में दिया गया है, समाविष्ट हैं ।

परिभाषाएँ **3.** जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में, -

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य राज्यपाल से है,

(ख) **"भारत का नागरिक"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) **"आयोग"** का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है,

(घ) **"संविधान"** का तात्पर्य "भारत के संविधान" से है,

(ड़) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(च) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(छ) **"महानिरीक्षक"** का तात्पर्य "कारागार महानिरीक्षक", उत्तर प्रदेश से है,

(ज) **"सेवा का सदस्य"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(झ) **"सेवा"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश जेल (समूह 'क' और 'ख') सेवा से है,

(ञ) **"मौलिक नियुक्ति"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो,

(ट) **"अधीक्षक जिला जेल"** का तात्पर्य इस नियमावली के अनुसार नियुक्त पूर्णकालिक जेल अधीक्षक से है,

(ठ) **"भर्ती का वर्ष"** का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग - दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए ।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है,

परन्तु राज्यपाल -

(एक) किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग - तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

मूल नियम	* दि० 10 सितम्बर 2002, से प्रतिस्थापित
(1) कारागार महानिरीक्षक-नियमित रूप से नियुक्त अपर कारागार महानिरीक्षकों और स्थायी उप कारागार महानिरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा परन्तु यदि सरकार ऐसा विनिश्चय करें तो पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के किसी ऐसे अधिकारी का जो उस सेवा के ज्येष्ठ समयमान में स्थायी हो, स्थानान्तरण करके (प्रतिनियुक्ति पर) भरा जा सकता है ।	(1) महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें-भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग का कोई ऐसा अधिकारी जो उस सेवा के ज्येष्ठ समय वेतनमान में स्थायी हो, की तैनाती द्वारा ।

मूल नियम	* दि० 10 सितम्बर 2002, से प्रतिस्थापित
(2) अपर कारागार महानिरीक्षक- नियमित रूप से नियुक्त उप करारागार महानिरीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ।	(2) अपर महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें और अपर महानिदेशक कारागार (प्रशिक्षण एवं विकास)-मौलिक रूप से नियुक्त उप महानिरीक्षक कारागार, में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
(3) उप कारागार महानिरीक्षक- अधीक्षक केन्द्रीय कारागार के संवर्ग में नियमित रूप से नियुक्त अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ।	(3) उप महानिरीक्षक कारागार- मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ अधीक्षक कारागार में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
(4) अधीक्षक केन्द्रीय कारागार जिसके अन्तर्गत प्रधानाचार्य, जेल प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ और अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर और आदर्श कारागार, लखनऊ भी हैं, नियमित रूप से नियुक्त अधीक्षक, जिला जेल, में से पदोन्नति द्वारा ।	(4) वरिष्ठ अधीक्षक कारागार-मौलिक रूपा से नियुक्त अधीक्षक कारागार में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
(5) निदेशक, जेल उद्योग-उद्योग विभाग के किसी उपयुक्त अधिकारी का स्थानान्तरण करके ।	(5) निदेशक, जेल उद्योग-उद्योग विभाग के के समूह-"क" के किसी अधिकारी के सेवा के स्थानान्तरण द्वारा ।
(6) अधीक्षक, जिला जेल - (एक) संवर्ग में 50 प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । (दो) संवर्ग में 50 प्रतिशत पर, आयोग के माध्यम से नियमित रूप से नियुक्त ऐसे उप अधीक्षकों / जेलरों में से जिन्होंने उप अधीक्षक/जेलर या दोनों ही रूप में कम सेकम पाँच वर्ष की सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा ।	(6) अधीक्षक कारागार - (एक) संवर्ग में 50% पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । (दा) 50% मौलिक रूप से नियुक्त उप अधीक्षकों और जेलरों में से, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उप अधीक्षक या लेजर या दोनों पद पर इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।

आरक्षण **6.** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग - चार - अर्हताएं

राष्ट्रीयता **7.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रवजन किया हो ।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से वह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस

उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले,

*उ० प्र० जेल (समूह 'क' और 'ख') सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली *2002, संख्या-3925-22-1-2002-624. दि० 10 सितम्बर 2002, द्वारा संशोधित*

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अविध के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणीः ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न उसे देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

अर्हताएं **8.** अधीक्षक, जिला जेल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए -

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, और

(ख) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान ।

टिप्पणीः अन्य बातों के समान होने पर ऐसे व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा जिसके पास अपराध विज्ञान, मनोविज्ञान या समाजशास्त्र की उपाधि या डिप्लोमा हो ।

अधिमानी अर्हताएं **9.** अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने -

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।

आयु **10.** सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

चरित्र **11.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणीः संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारों द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

नैतिक अवस्था के किसी अपराध के लिए दोष-सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें ।

वैवाहिक प्रास्थिति **12.** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो,

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता **13.**

मूल नियम	** दिनांक 07 जनवरी 1991 से प्रतिस्थापित
किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाए : परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थियों के मामले में चिकित्सा परिषद द्वारा ऐसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी।	(1) किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोषों से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय : परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी के मामले में चिकित्सा परिषद द्वारा ऐसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी । (2) सेवा में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक स्तर का होः **(एक)** ऊँचाई 168 सें० मी० और कुमायूं और गढ़वाल सम्भाग के अभ्यर्थियों की दशा में 163 सें० मी० से कम नहीं । **(दो)** सीने का घेरा 81.3 सें०मी० (बिना फुलाये) और 86.3 सें०मी० (फुलाने पर) । (तीन) दृष्टि 6/6 । **टिप्पणीः** "चिकित्सा परीक्षा के लिये विनियमान वहीं होगें जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें।"

**उ० प्र० जेल (समूह 'क' और 'ख' सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1991 संख्या-14445/बाइस-1-90-115-82. दि० 07 जिनवरी 1991, द्वारा संशोधित

भाग - पाँच - भर्ती की पक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा **14.**

मूल नियम	* दि० 10 सितम्बर 2002, से प्रतिस्थापित
नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरे जाने वाले अधीक्षक, जिला जेल के पदों की रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा ।	नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियां उसको सूचित की जाएगी ।

भर्ती की प्रक्रिया **15.** (1) सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे जिसे आयोग के सचिव से भुगतान करने पर यदि कोई हो, प्राप्त किया जा सकता है ।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित होने नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो ।

(3) आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों । साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसको प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगें।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को सिफारिश करेगा जितने वह नियुक्ति के लिए उचित समझे । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होंगी । आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

टिप्पणीः प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और नियम ऐसे होगें जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें ।

अधीक्षक, जिला जेल के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया **16.**

मूल नियम		* दि० 10 सितम्बर 2002, से प्रतिस्थापित
16-अधीक्षक, जिला जेल के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जाएगी ।	आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	16-अधीक्षक कारागर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जाएगी ।

		मूल नियम		* दि० 10 सितम्बर 2002, से प्रतिस्थापित
कारागार महानिरीक्षक/ अपर कारागार महानिरीक्षक/ उप कारागार महानिरीक्षक/ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार/ प्रधानाचार्य, जेल प्रशिक्षण विद्यालय/ अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर और आदर्श कारागार, लखनऊ के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	**17.**	17-(1) कारागार महानिरीक्षक और अपर कारागार महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर और उप कारागार महानिरीक्षक, अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, प्रधानाचार्य, जेल प्रशिक्षण विद्यालय और अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर और आदर्श कारागार, लखनऊ के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होगें :-	चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया	17-(1) सेवा में अपर महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं एवं सुधार सेवाएं, अपर महानिदेशक, कारागार (प्रशिक्षण एवं विकास), उप कारागार महानिरीक्षक और वरिष्ठ अधीक्षक कारागार के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो के लिए) नियमावली 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।
		(एक) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, **(दो)** सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग या उनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, **(तीन)** सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह (कारागार) विभाग ।		**टिप्पणीः** चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम-निर्देशन समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जायेगा ।
		(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में, एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाएं, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।		(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा : परन्तु जहाँ दो या अधिक पोषक संवर्ग हों:- (क) भिन्न-भिन्न वेतनमान होने पर उच्च वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में ऊपर रखा जाएगा। (ख) समान वेतनमान होने पर अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने-अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जाएंगे। किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति का एक ही दिनांक हो तो ऐसी स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम पात्रता सूची में ऊपर रख जाएगा।
		(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।		(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।
		(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।		(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची **18.** यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार की जाएं तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम बारी-बारी से सुसंगत सूचियों

भाग – छः – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और जयेष्ठता

नियुक्ति **19.** (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रखते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों।

(2) जहाँ, भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची न तैयार कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति, चयनमें यथा अवधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाये ंतो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जायें ।

	मूल नियम	* दि० 10 सितम्बर 2002, से प्रतिस्थापित
(4)	नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियाँ कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्ति कर सकता है । ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगीं, और जहाँ पद आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हों, वहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5 (क) के उपबन्ध लागू होगें ।	उक्त नियमावल में नियम-19 में, वर्तमान उप नियम (4) निकाल दिया जाएगा ।

परिवीक्षा 20.

मूल नियम	* दि० 10 सितम्बर 2002, से प्रतिस्थापित
(1) सेवा में किसी पद पर स्थाई रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।	(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

मूल नियम	* दि० 10 सितम्बर 2002, से प्रतिस्थापित
(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकर न हो, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकतीं हैं ।	(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं ।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण 21.

मूल नियम	* दि० 10 सितम्बर 2002, से प्रतिस्थापित
21-किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में, स्थाई कर दिया जाएगा, यदि -- (क) उसने विहित प्रशिक्षण यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो, (ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाए (ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए, और (घ) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाए कि वह स्थाई किये जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है	21-(1) उप नियम-(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि-- (क) उसने सफलतापूर्वक विहीत प्रशिक्षण यदि कोई हो, प्राप्त कर लिया हो, (ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और (ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ।

ज्येष्ठता 22.

मूल नियम	* दि० 10 सितम्बर 2002, से प्रतिस्थापित
(1) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाए, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाएं, तो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जाएगी, परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ठ पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाए तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जाएगा और, अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा, परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाएं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम-19 के उप नियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो ।	सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जाएगी।
(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो आयोग द्वारा अवधारित की गई हो: परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर यह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार-ग्रहण करनें में विफल रहे । कारणों की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।	

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो, जिससे उनकी पदोन्नति की गई

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक स्रोत से की जाएऔर स्रोतों का अलग-अलग कोटा विहित हो, वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम-18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची में ऐसी रीति से, जिससे विहित प्रतिशत बना रहे, उनके नाम रख कर अवधारित की जाएगी।

*उ० प्र० जेल (समूह 'क' और 'ख') सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली *2002, संख्या-3925-22-1-2002-624. दि० 10 सितम्बर 2002, द्वारा संशोधित*

परन्तु--

(एक) जहाँ किसी एक स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जाएं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में जिसमें/जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे रखा जाएगा।

(दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों और ऐसी बिना भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाएं, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी किन्तु उन्हें उस वर्ष की जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाए, ज्येष्ठता इस प्रकार मिलेगी कि इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रखे जाएंगे जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम, चक्रानुक्रम में रखे जाएंगे ।

भाग - सात - वेतन इत्यादि

<table>
<tr><td>वेतनमान</td><td>23.</td><td>मूल नियम</td><td>* दि० 10 सितम्बर 2002, से प्रतिस्थापित</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(1) – सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हों या अस्थाई आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये ।</td><td>(1) – सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये ।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(2) – इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं :-
<table>
<tr><th>पद का नाम</th><th>वेतनमान</th></tr>
<tr><td>1-कारागार महानिरीक्षक (विभागीय)</td><td>2050-75-2200-100-2500</td></tr>
<tr><td>2-अपर कारागार महानिरीक्षक</td><td>1840-60-1900-75-2200-100-2400</td></tr>
<tr><td>3-उप कारागार महानिरीक्षक</td><td>1540-60-1900-द०रो०-75-2200</td></tr>
<tr><td>4- निदेशक, जेल उद्योग</td><td>1250-50-1300-60-1560-द०रो०-60-1900-75-2050</td></tr>
<tr><td>5-अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार</td><td>1250-50-1300-60-1660-द०रो०-60-1900-75-2050 (प्रधानाचार्य, जेल प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ को दि० 29-09-81 से रू० 100/- विशेष वेतन प्रतिमास)</td></tr>
<tr><td>6-अधीक्षक, जिला जेल</td><td>850-40-1050-द०रो०-50-1300-60-1420-द०रो०-60-1720</td></tr>
</table></td><td>(2) – उत्तर प्रदेश जेल (समूह "क" और "ख" सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2002 के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्न प्रकार दिये गये हैं :-
<table>
<tr><th>पद का नाम</th><th>वेतनमान</th></tr>
<tr><td>1- अपर महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,</td><td>14300-400-18300 रूपये</td></tr>
<tr><td>अपर महानिदेशक, कारागार (प्रशिक्षण एवं विकास)</td><td>14300-400-18300 रूपये</td></tr>
<tr><td>2- उप महानिरीक्षक, कारागार</td><td>12000-375-16500 रूपये</td></tr>
<tr><td>3- निदेशक, जेल उद्योग</td><td>10000-325-15200 रूपये</td></tr>
<tr><td>4- वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार</td><td>10000-325-15200 रूपये</td></tr>
<tr><td>5- अधीक्षक, कारागार</td><td>8000-275-13500 रूपये</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>परिवीक्षा अविध में वेतन</td><td>24.</td><td>(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि यह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा-अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।
परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।</td><td>उक्त नियमावली में नियम-24 में, उप नियम (1) और (2) में, वर्तमान परन्तुक निकाल दिये जायेंगें ।</td></tr>
</table>

*उ० प्र० जेल (समूह 'क' और 'ख') सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली *2002, संख्या-3925-22-1-2002-624. दि० 10 सितम्बर 2002, द्वारा संशोधित*

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूलस द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड

25. (1) कारागार महानिरीक्षक या अपर कारागार महानिरीक्षक को जो सेवा का सदस्य हो, दक्षता-रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कारागर से सम्बन्धित विषयों पर पर्याप्त प्रशासनिक नियंत्रण और प्रभावी पर्यवेक्षण न हो, उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(2) उपनियम (1) के अन्तर्गत न आने वाले किसी व्यक्ति को -

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय, और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग - आठ - अन्य उपबन्ध

पक्ष-समर्थन

26. किसी पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करते कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें ।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

28. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है,

परन्तु जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसको शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श कर सकती है :

व्यावृत्ति

29. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

*उ० प्र० जेल (समूह 'क' और 'ख') सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली *2002, संख्या-3925-22-1-2002-624. दि० 10 सितम्बर 2002, द्वारा संशोधित*

परिशिष्ट का प्रतिस्थापन

उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान परिशिष्ठ के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया परिशिष्ठ रख दिया जाएगा, अर्थातः-

स्तम्भ-1
वर्तमान परिशिष्ट
(नियम-4 देखिये)

पद का नाम	संख्या	
	स्थाई	अस्थाई
समूह "क"		
1-कारागार महानिरीक्षक	1	-
2-अपर कारागार महानिरीक्षक	-	1
3-उप कारागार महानिरीक्षक	5 (एक स्थाई पद आस्थगित है)	-
4-अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार (जिसके अन्तर्गत प्रधानाचार्य, जेल प्रशिक्षण विद्यालय का पद भी है) और अधीक्षक सम्पूर्णानन्द शिविर, आदर्श कारागर, लखनऊ	8	1
5-निदेशक, जेल उद्योग	1	-
समूह "ख"		
6-पूर्णकालिक अधीक्षक, जिला जेल	24	14
योग	**39**	**16**

स्तम्भ-1*
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
(नियम-4 देखिये)

पद का नाम	पदों की संख्या		
	स्थाई	अस्थाई	कुल
समूह "क"			
1-महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं	1	-	1
2-अपर महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,	1	0	1
अपर महानिदेशक, कारागार (प्रशिक्षण एवं विकास)	0	1	1
3-उप महानिरीक्षक, कारागार	6	1	7
4-वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार	9	10	19
5-निदेशक, जेल उद्योग	1	-	1
समूह "ख"			
6-अधीक्षक, कारागार	50	4	54

आज्ञा से,
हस्ता०
(राम चन्द्र टकरू)
कारागार, सचिव

*उ० प्र० जेल (समूह 'क' और 'ख') सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली *2002, संख्या-3925-22-1-2002-624. दि० 10 सितम्बर 2002, द्वारा संशोधित*

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (कारागार) अनुभाग-1

संख्या 1240/बाईस-1349-54

दिनांक 6 जून, 1980

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि० - 53

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कार्यपालक अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1980

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और परिचय

1. (1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1980 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह "ख" के पद सम्मिलित हैं ।

परिभाषायें

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में--

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है,

(ख) **"आयोग"** का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है,

(ग) **"संविधान"** का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(घ) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश्ज्ञ सरकार से है,

(ड) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(च) **"महानिरीक्षक"** का तात्पर्य कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है

(छ) **"सेवा का सदस्य"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(ज) **"सेवा"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा से है, और

(झ) **"भर्ती का वर्ष"** का ताप्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग **4.** (1) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, उतनी होगी जितनी परिशिष्ट "क" में दी गई है :

परन्तु -

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जो उचित समझे जाएं ।

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत **5.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी ।

(एक)	उप-अधीक्षक केन्द्रीय कारागार	स्थायी जेलरों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा
(दो)	जेलर (जिसमें उपप्रधानाचार्य कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ का पद भी सम्मिलित है)	कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित उ० प्र० सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मापदण्ड) नियमावली, 1994

आरक्षण **6.** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

भाग-चार-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा **7.** नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम ६ के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा ।

भर्ती की प्रक्रिया **8.**

मूल नियम	* दि० 11 अगस्त, 1986 से प्रतिस्थापित
(1) उप-अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार और (दो) जेलरों के पदों पर, जिसमें उप-प्रधानाचार्य, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ का पद भी सम्मिलित है, पदोन्नति द्वारा भर्ती सरकार द्वारा इस निमित बनाये गये और समय-समय पर यथा संशोधित नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी ।	(1) **(एक)** उप अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होगें। (क) कारागार महानिरीक्षक, (ख) अपर कारागार महानिरीक्षक, (ग) कारागार महानिरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट उप कारागार महानिरीक्षक

*उत्तर प्रदेश कारागार कार्यपालक अधीनस्त (राजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली संख्या 76/बाइस–86-1349-54 दि० 11 अगस्त, 1986 द्वारा संशोधित

	(दो) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता क्रम में अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उससे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।
	(तीन) चयन समिति उप नियम (दो) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।
	(चार) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।
	(2) जेलर के पदों पर, जिसके अन्तर्गत उप प्रधानाचार्य कारागर प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ का पद भी है, पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार की जायगी ।

नियुक्ति **9.** (1) मौलिक, अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियाँ होने पर नियुक्ति प्राधिकारी आयोग द्वारा बनाई गई सूचियों से और उक्त नियम 8 के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट नियमावली के उपबन्धों के अनुसार बताये गये क्रम में सेवा में नियुक्तियां करेगा ।

(2) यदि ऊपर निर्दिष्ट सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधाकरी इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तदर्थ नियुक्तियां कर सकता है ।

परिवीक्षा **10.** (1) किसी पद या सेवा में किसी मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगें, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप-नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण **11.** किसी अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दिया जायगा, यदि--

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और,

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता **12.** सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्ति के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जायं तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जाएगी

परन्तु सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा मौलिक पद पर रही हो ।

भाग-पाँच-वेतन इत्यादि

वेतनमान **13.** (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान वही होगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे दिये गये हैः-

1.	उप अधीक्षक	450-25-575-द०रो०-25-750-द०रो०-30-850 रू०
2.	जेलर जिसमें उप प्रधानाचार्य, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ का पद भी सम्मिलित है	400-15-475-द०रो०-20-575-द०रो०-25-750 रू०

परिवीक्षा अवधि में वेतन **14.** (1) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा

परन्तु यदि संतोष प्रदान कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(2) परिवीक्षा अवधि में किसी सेवारत व्यक्ति का वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

दक्षता रोक पार करने का मापदण्ड **15.** किसी व्यक्ति को --

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसे कारागार के नियमों और बन्दियों से संबंधित नियमों का पर्याप्त ज्ञान न हो, उसने कार्यालय कार्य और कारागार प्रशासन में दक्षता प्राप्त न कर ली हो, उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने प्रभावकारी पर्यवेक्षण न किया हो, अग्रसर होकर कार्य न किया हो, बन्दियों के कल्याण और सुधार में रूचि न ली हो, उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग-सात-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन **16.** किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक कोई विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन **17.** उन विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होगें जो राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हैं।

सेवा के शर्तों में शिथिलता

18. जहां सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ठ मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्ति या शिथिल कर सकती है :

परन्तु यदि कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो तो उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्ति या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायगा ।

व्यावृत्ति

19. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनकी व्यवस्था इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशिष्ट श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये करना अपेक्षित है ।

परिशिष्ट - क
(देखिए नियम-4)

सेवा की स्वीकृत सदस्य संख्या निम्नलिखित है :-

पद का नाम	संख्या	
	स्थायी	अस्थायी
समूह 'ख' (1) उप अधीक्षक केन्द्रीय कारागार	07	-
(2) जेलर जिसमें उप प्रधानाचार्य, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ भी सम्मिलित है ।	72*	07

*इसमें जिला कारागार इलाहाबाद, केन्द्रीय कारागार, नैनी और सुधार विद्यालय, लखनऊ के जेलर के आस्थगित रखे गये तीन पद सम्मिलित हैं ।

आज्ञा से

सुरेन्द्र सिंह
सचिव

उत्तर प्रदेष सरकार
गृह (कारागार) अनुभाग-1
संख्या 270/बाइस-1-99-351/95
लखनऊ : दिनांक 18 जून, 1999

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कारागार नियोजन, शोध एवं अनुश्रवण (कारागार विभाग) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-

उत्तर प्रदेश कारागार नियोजन, शोध एवं अनुश्रवण (कारागार विभाग) सेवा नियमावली, 1999

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम व आरम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कारागार नियोजन, शोध एवं अनुश्रवण (कारागार विभाग) सेवा नियमावली, 1999 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश कारागार नियोजन, शोध एवं अनुश्रवण (कारागार विभाग) सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह "ख" और समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली मेंः-

(क) **"अधिनियम"** का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से हैं,

(ख) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य समूह "ख" के पदों के सम्बन्ध में राज्यपाल से और समूह "ग" के पदों के सम्बन्ध में महानिरीक्षक कारागार उत्तर प्रदेश से है,

(ग) **"भारत का नागरिक"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो संविधान के भाग-2

के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय,

(घ) **"संविधान"** का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(ड़) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(च) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(छ) **"सेवा का सदस्य"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(ज) **"नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों"** का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है,

(झ) **"सेवा"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कारागार नियोजन, शोध एवं अनुश्रवण (कारागार विभाग) सेवा से है,

(ञ) **"मौलिक नियुक्ति"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और इस नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, और

(ट) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग - दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग **4.** (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी :-

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1.	शोध अधिकारी	–	01	01
2.	शोध सहायक	–	04	04

परन्तु- (क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग - तीन - भर्ती

भर्ती का श्रोत **5.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित श्रोतों से की जायेगी:-

(1) शोध अधिकारी — मौलिक रूप से नियुक्त शोध सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(2) शोध सहायक — सीधी भर्ती द्वारा ।

(3) सांख्यिकीय सहायक — सीधी भर्ती द्वारा ।

आरक्षण **6.** अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य श्रेणी के लिये आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित, अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग - चार - अर्हताएं

राष्ट्रीयता **7.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केन्या, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती)

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से वह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अविध के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणीः ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता **8.** सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अर्हताएं आवश्यक हैः-

पद का नाम	**अर्हता**
1. शोध सहायक	**अनिवार्य** : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से समाज कार्य या मनोविज्ञान या समाज शास्त्र या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, **अधिमानी** : किसी सरकारी विभाग या किसी प्रतिष्ठित संगठन में शोध, नियोजन, मूल्यांकन और प्रशिक्षण के क्षेत्र में दो वर्ष का कार्य करने का अनुभव ।

2.	सांख्यिकीय सहायक	**अनिवार्य** : भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से गणित, सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता

अधिमानी अर्हताएं **9.** अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का **"बी"** प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।

आयु **10.** सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 32 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो,

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र **11.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणीः संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें ।

वैवाहिक प्रास्थिति **12.** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो,

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थ्यता **13.** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेंसियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती दिये गये अभ्यर्थी से स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग - पांच - भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण **14.** नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया **15.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह “ग” पदों के लिये सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 के अनुसार की जायेगी ।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया **16.** (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।

टिप्पणीः- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के नागरिकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम, की धारा-7 के अधीन दिये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां, समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर)

चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

भाग – छः – नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लंकर जिसमें वे यथा स्थिति, नियम–15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आये हों, नियुक्तियां करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा। जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसी यथा स्थिति, चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

परिवीक्षा

18. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय, परन्तु आपवादित परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थितियों में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय

या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण

19. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि -

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो तो वहां उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करने का आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करा ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।

ज्येष्ठता

20. किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

भाग - सात - वेतन आदि

वेतनमान

21. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं:-

क्र०	पद का नाम	वेतनमान
1.	शोध अधिकारी	8000-275-13500
2.	शोध सहायक	5000-150-8000
3.	सांख्यिकीय सहायक	5000-150-8000

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22. (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ।

(3) ऐसे व्यक्ति को जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सामान्यतः सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मापदण्ड

23. किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग - आठ - अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहें लिखित हो, या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होगें ।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जहां वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसुचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से
हा०
(पी० सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग (अनुभाग-1)
संख्या 77/22-1-2007-216-90
लखनऊ 9 जनवरी, 2007
अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा०प०नि०-1

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग अभियन्त्रण (राजपत्रित) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग अभियन्त्रण (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2006

भाग - एक - सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कारागर प्रशासन एवं सुधार विभाग अभियन्त्रण (राजपत्रित) सेवा नियमाली, 2006 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग अभियन्त्रण (राजपत्रित) सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'क' और समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,

(क) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है,

(ख) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य राज्यपाल से है,

(ग) **"भारत का नागरिक"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(घ) **"संविधान"** का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(ड) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(च) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(छ) **"सेवा का सदस्य"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(ज) **"नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो"** का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो से है,

(झ) **"सेवा का तात्पर्य"** उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एव सुधार विभाग अभियन्त्रण (राजपत्रित) सेवा से है,

(ञ) **"मौलिक नियुक्ति"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो,

(ट) **"भर्ती का वर्ष"** का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग - दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग **4.** (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है ।

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1.	अधिशासी अभियन्ता	1	-	1
2.	सहायक अभियन्ता	1	-	1

परन्तु

(एक) किसी रिक्त पद को नियुक्त प्राधिकारी बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे ।

भाग - तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः-

(1) अधिशासी अभियन्ता - ऐसे सहायक अभियन्ताओं में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा,

परन्तु यदि उपयुक्त या पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है तो पद को, सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सेवा स्थानान्तरण द्वारा भरा जा सकता है,

मूल नियम	दि० 21 सितम्बर, 2007 से प्रतिस्थापित
(2) सहायक अभियन्ता - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अवर अभियन्ताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा परन्तु यदि उपयुक्त या पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है तो पद को सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सेवा स्थानान्तरण द्वारा भरा जा सकता है,	(2) सहायक अभियन्ता - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अवर अभियन्ताओं और संगणक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा परन्तु यदि उपयुक्त या पात्र व्यक्ति पदोन्नति के लिए उपलब्ध नहीं है तो पद को सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सेवा स्थानान्तरण द्वारा भरा जा सकता है।

*उ०प्र० कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग अभियंत्रण (राजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2007 संख्या 2575/22-1-2007-216/90 दि० 21 सितम्बर, 2007 द्वारा संशोधित

आरक्षण 6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग - चार - भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा 7. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा ।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया 8. (1) सेवा में सहायक अभियन्ता और अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदो के लिये नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।

टिप्पणीः चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नाम-निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1988 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

भाग - पाँच - नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति 9. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे नियम-8 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा ।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी उस संवर्ग में हो जिससे कि उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

परिवीक्षा 10. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने

अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं ।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण

11. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि -

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन आदेश यह घोषणा करते हुए कि संबंधित व्यक्ति न परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जाय।

ज्येष्ठता

12. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

भाग - छः - वेतन इत्यादि

वेतनमान

13. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार है :-

पद का नाम	वेतनमान
1- अधिशासी अभियन्ता	10,00-325-15200 रूपये
2- सहायक अभियन्ता	8000-275-13500 रूपये

परिवीक्षा अवधि में वेतन

(1) फन्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और

द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ।

(3) ऐसे व्यक्ति को जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

भाग - सात - अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

15. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियोग

16. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यताया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

17. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है ।

व्यावृत्ति

18. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से
जगजीत सिंह
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (कारागार) अनुभाग - 1

संख्या 2374/बाईस-1392-50
लखनऊ 6 जून, 1980

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि०-39

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल 'उत्तर प्रदेश कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा' में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1980

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1980 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति — 2. उत्तर प्रदेश कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा में समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं,

परिभाषाएं — 3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

	मूल नियम	* दिनांक 22 जून, 2006 से प्रतिस्थापित
(क)	**"नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है,	**"नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश से है,

(ख) **"भारत का नागरिक"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्तिय से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) **"आयोग"** का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है ।

(घ) **"संविधान"** का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(ड़) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है,

(च) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

	मूल नियम	* दिनांक 22 जून, 2006 से प्रतिस्थापित
(छ)	**"महानिरीक्षक"** का तात्पर्य कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है,	**"महानिरीक्षक"** का तात्पर्य महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश से है

(ज) **"सेवा के सदस्य"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(झ) **"सेवा"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा से है, और

---

*उ० प्र० कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006, संख्या 2076/बाईस-1-2006-253/84 दिनांक 22 जून, 2006 द्वारा संशोधित

(ञ) **"भर्ती का वर्ष"** का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

(2) सेवा की सदस्या संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उप-नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, परिशिष्ट 'क' में दी गयी है, परन्तु,
(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, या
(2) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे,

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत

5.

मूल नियम	*** दिनांक 22 जून, 2006 से प्रतिस्थापित**
(1) सेवा के विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी- (एक) उप जेलर (i) सीधी भर्ती द्वारा (ii) स्थायी सहायक जेलरों में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा (दो) सहायक जेलर, जिसमें वेतनभोगी शिशिक्षु सहायक जेलर भी सम्मिलित हैं (1) सीधी भर्ती द्वारा (2) ऐसे स्थायी मुख्य प्रधान वार्डरों और प्रधान वार्डरों में से, जिनमें चयन श्रेणी के प्रधान वार्डर सम्मिलित हैं, जिन्होंने प्रधान वार्डर के रूप में या किसी उच्च पद पर 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जिन्होंने कम से कम माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।	(1) सेवा में उप जेलर के पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी- (एक) पचहत्तर प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, (दो) पच्चीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य प्रधान वार्डरों और प्रधान वार्डरों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को प्रधान वार्डर के रूप में या किसी उच्चतर पद पर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा । टिप्पणीः उप जेलर के पद पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी, जिसमें उनके नाम निम्नलिखित क्रम में रखे जायेगें : (एक) मुख्य प्रधान वार्डर ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेगें (दो) प्रधान वार्डर ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेगें ।
टिप्पणीः (1) सहायक जेलर के पद पर प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी जिसमें उनके नाम निम्नलिखित क्रम में रखे जायेगें, (एक) मुख्य प्रधान वार्डर ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेगें, (दो) प्रधान वार्डर (चयन श्रेणी) ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेगें, (तीन) प्रधान वार्डर, ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।	

*उ० प्र० कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006, संख्या 2076/बाईस-1-2006-253/84 दिनांक 22 जून, 2006 द्वारा संशोधित

(2) भर्ती इस प्रकार से की जायेगी कि-

(एक) उप-जेलर के 50 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और 50 प्रतिशत पदोन्नति किये गये व्यक्तियों द्वारा धृत होंगे, और

(दो) सहायक लेजर के 80 प्रतिशत पद सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा और 20 प्रतिशत पदोन्नत किये गये व्यक्तियों द्वारा धृत होगें ।

अरक्षण 6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग-चार-अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी --

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप में निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, सिलोन और केनिया, युगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीवार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी ि कवह उप-पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश द्वारा, स्वीकृत पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवध के लिए जारी नहं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी का एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में प्रतिधारण उसके भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अधीन होगा ।

टिप्पणीः ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र या तो वह प्राप्त कर ले या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

शैक्षिणक अर्हता 8. सेवा में विभिन्न पदो के लिए सीधे भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें पास होना चाहिए--

मूल नियम			*** दिनांक 22 जून, 2006 से प्रतिस्थापित**
पद		अर्हताएँ	सेवा में उप जेलर के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिए-
(i) उप-जेलर	(1)	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि ।	
	(2)	देवनागरी लिपि हिन्दी में कार्यकारी ज्ञान ।	**(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता ।
(ii) सहायक जेलर (जिसमें वेतनभोगी शिशिक्षु सहायक, जेलर भी सम्मिलित हैं)	(1)	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।	
	(2)	देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी	**(दो)** देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान।

*उ० प्र० कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006, सं० 2076/बाईस-1-2006-253/84 दिनांक 22 जून, 2006 द्वारा संशोधित

अधिमान अर्हता 9. ऐसे अभ्यर्थी को जिसने-

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा ।

आयु 10.

मूल नियम	*** दिनांक 22 जून, 2006 से प्रतिस्थापित**
सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की 1 जनवरी को यदि पद 1 जनवरी औश्र 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायं और 1 जुलाई को यदि पद 1 जुलाई और 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायं, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये : परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियाँ जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ठ की जाय ।	सेवा में उप जेलर के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और पैंतीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो : परन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ठ की जाय ।

चरित्र 11. सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपर्युक्त हो सके। इस सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी अपना समाधान करेगा ।

टिप्पणीः संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। नैतिक अघमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक स्तर 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए कोई ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या कोई ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु, राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारिरिक स्वस्थता 13. (1) सेवा में किसी पद पर किसी अभ्यर्थी को तब तक सीधे नियुक्त नही किया जायगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिमरूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेन्टल रूल १० के अधीन बनाये गये और फानेन्सियल हैण्डबुक खण्ड-दो, भाग दो से चार के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता के प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(2) सेवा की सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी निम्नलिखित न्यूनतम शारीरिक स्तर का हो -

(एक) ऊँचाई 168 से०मी० और कुमाऊँ और गढ़वाल सम्भाग के अभ्यर्थियों की दशा में 163 से०मी० से कम नहीं ।

(दो) सीने का घेरा 81.3 से०मी० (बिना फुलाये) और 86.3 से०मी० (फुलाने पर) ।

(तीन) दृष्टि - 6/6 ।

टिप्पणी : चिकित्सा परीक्षा के लिए विनियमान वही होगें जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किये जायं ।

---

*उ० प्र० कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006, सं० 2076/बाईस-1-2006-253/84 दिनांक 22 जून, 2006 द्वारा संशोधित

भाग-पाँच-सीधी भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अधिनिश्चयन

14\. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली, रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा ।

उप-जेलर और सहायक जेलर के पदों की सीधे भर्ती के लिए प्रक्रिया

15\.

मूल नियम	* दिनांक 22 जून, 2006 से प्रतिस्थापित
(1) आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में आमन्त्रित किये जायेंगे जिसे आयोग के सचिव से भुगतान करने पर प्राप्त किया जा सकता है ।	(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन-पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे ।
(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो ।	(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश-पत्र न हो ।
(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त हो जाने और उन्हें सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग नियम ६ के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये साक्षात्कार के लिये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा इस संबंध में निर्धारित मानक तक आये हों । साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों में जोड़े जायेंगे ।	(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग नियम ६ के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये लिखित परीक्षा के परिणाम पर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करेगा जितनी इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों । प्रत्येक अभ्यर्थी को साक्षात्कार में दिया गया अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के साथ जोड़ दिया जायेगा ।
(4) आयोग अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में जैसा कि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हों, एक सूची तैयार करेगा और उतनी ही संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितने वह नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों का कुल योग समान हो तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।	(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता के क्रम में जैसा कि लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझे, संस्तुत करेगा । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीखा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

सहायक जेलर के पद के लिए प्रोन्नति द्वारा भर्ती के लिए प्रक्रिया

16\.

मूल नियम	* दिनांक 22 जून, 2006 से प्रतिस्थापित
(1) सहायक जेलर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती पात्र अभ्यर्थियों में से, जो आयोग द्वारा आयोजित अर्हकारी परीक्षा में अपेक्षित मानक तक गये हों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए जयेष्ठता के आधार पर की जायेगी।	नियम 16 निकाल दिया गया ।
(2) आयोग रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखे हुए अर्हकारी परीक्षा के लिए जयेष्ठता क्रम में उतनी संख्या में व्यकितयों को बुलाएगा जितने वह उचित समझे । टिप्पणीः अर्हकारी परीक्षा के लिए पाठ्य-विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है।	

*उ० प्र० कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006, संख्या 2076/बाईस-1-2006-253/84 दिनांक 22 जून, 2006 द्वारा संशोधित

		मूल नियम	* दिनांक 22 जून, 2006 से प्रतिस्थापित
उप-जेलर के पद की प्रोन्नति द्वारा भर्ती के लिए प्रक्रिया	17.	उप-जेलर के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्ति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए जयेष्ठता के आधार पर की जायेगी ।	पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया - पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी ।
संयुक्त चयन सूची	18.	यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और प्रान्नति दोनों ही प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नामों को ऐसी रीति से लिया जायगा कि उप-जेलर के पद पर भर्ती की दशा में नियम 15 और 17 के अधीन तैयार की गयी सूची और सहायक जेलर की दशा में नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गयी सूची से सीधे भर्ती किये गये और पदोन्नति किये व्यक्तियों का विहित प्रतिशत बना रहे, उप जेलर और सहायक जेलर के लिए संयुक्त सूचियों में पहला नाम क्रमशः नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गयी सूचियों से होगा ।	संयुक्त चयन सूची - यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से लेकर रखे जायेगें कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।

भाग-छः-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

		मूल नियम	* दिनांक 22 जून, 2006 से प्रतिस्थापित
नियुक्ति	19.	(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्तियां करेगा ।	(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे, यथास्थिति नियम 15, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा ।
		(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्तियां कर सकता है, परन्तु ऐसी नियुक्ति आयोग से परामर्श किये बिना एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जायेगी।	(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हो तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाये और एक संयुक्त चयन सूची नियम 18 के अनुसार तैयार न कर ली जाय।
			(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठताक्रम में किया जायेगा जैसी यथा स्थिति, चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिसमें से उन्हें पदोन्नत किया गया हो। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा ।

परिवीक्षा 20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो भी अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु आपवादिक कारणों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष की सीमा से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

*उ० प्र० कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006, संख्या 2076/बाईस-1-2006-253/84 दिनांक 22 जून, 2006 द्वारा संशोधित

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीखा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीता हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षा अधीन व्यक्ति जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी समकक्ष या उच्च्व पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गणना करने की अनुज्ञा दे सकता है।

स्थायीकरण	21.	**मूल नियम**	*** दिनांक 22 जून, 2006 से प्रतिस्थापित**
		किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि--- (क) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, (ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो, (ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो, और (घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।	**स्थायीकरण**-(1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि- (क) उसने विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो, (ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, (ग) उसक सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और (ध) नियुक्ति प्राधिकारी का यह मसाधान हो जो कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।
			(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन घोषणा करते हुये आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।
		मूल नियम	*** दिनांक 22 जून, 2006 से प्रतिस्थापित**
ज्येष्ठता	22.	सेवा में किसी श्रेणी के पद पर जयेष्ठता मौलिक रूप में नियुक्ति के दिनांक से और दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जायं तो उस क्रम से जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगीः परन्तु ----	**ज्येष्ठता**-सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।
		(1) सेवा में सीधे नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की गई हो,	
		(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की परस्पर जयेष्ठता वहीं होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धृत मौलिक पद पर रही हो, और	

*उ० प्र० कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006, संख्या 2076/बाईस-1-2006-253/84 दिनांक 22 जून, 2006 द्वारा संशोधित

(3)	विभिन्न श्रेणियों के अवर पदो के सहायक जेलर के पद पर पदोन्नति व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनकी सम्बन्धित श्रेणियों में उनके मौलिक नियुक्ति के दिनांक के अनुसार उनके नाम क्रमबद्ध करके और संयुक्त सूची में निम्नलिखित क्रम में उन्हें एक साथ रख कर अवधारित की जायेगी---- (एक) मुख्य प्रधान वार्डर । (दो) प्रधान वार्डर (चयन श्रेणी) । (तीन) प्रधान वार्डर । **टिप्पणीः** सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर व विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे । कारणों के विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।	

भाग-सात-वेतन आदि

<table>
<tr><th></th><th></th><th colspan="2">मूल नियम</th><th colspan="2">* दिनांक 22 जून, 2006 से प्रतिस्थापित</th></tr>
<tr><td>वेतनमान</td><td>23.</td><td>(1)</td><td>सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।</td><td>(1)</td><td>सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(2)</td><td>इस नियमावली के प्रारम्भ के वेतनमान निम्नलिखित हैं-
<table>
<tr><th>पदनाम</th><th>वेतनमान</th></tr>
<tr><td>1-उप जेलर</td><td>300-10-350-द०रो०-12-470-द०रो०-16-550 रू०</td></tr>
<tr><td>2- सहायक जेलर</td><td>250-07-285-द०रो०-9-375-द०रो०-10-425 रू०</td></tr>
<tr><td colspan="2">3- वेतनभोगी शिशिक्षु सहायक जेलर २०० रूपये (नियत)</td></tr>
</table></td><td>(2)</td><td>उत्तर प्रदेश कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2006 के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार हैः-
<table>
<tr><th>पदनाम</th><th>वेतनमान</th></tr>
<tr><td>उप जेलर</td><td>5000-150-8000 रूपये</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24\. (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय मान में उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसकी एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण जहां विहित हो, प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ।

परन्तु यदि संतोषप्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यालय के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू होने वाले सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

---

*उ० प्र० कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006, संख्या 2076/बाईस-1-2006-253/84 दिनांक 22 जून, 2006 द्वारा संशोधित

दक्षतारोक पार करने का मापदण्ड

25. किसी व्यक्ति को

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसको प्रिजनऐक्ट और सुसंगत नियमों का ज्ञान न हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और,

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने अपने प्रभार के अधीन कर्मचारियों का प्रभावकारी पर्यवेक्षण न किया हो और उसने बन्दियों के कल्याण और सुधार में रूचि न ली हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्य निष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग–आठ–विविध

पक्ष समर्थन

26. इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत ना आते हों सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य कलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समाान्यतया लागू होने वाले नियमों विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होगें ।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

28. जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं की उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु यदि कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो तो उस नियम की अपेक्षाओं को आयोग से पहले परामर्श किये बिना अभिमुक्त या शिथिल नहीं किया जायेगा ।

नया नियम का बढ़ाया जाना	29.	मूल नियम	* दिनांक 22 जून, 2006 से प्रतिस्थापित
			"व्यावृत्ति 29- इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।"

आज्ञा से
सुरेन्द्र सिंह
सचिव

*उ० प्र० कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006, संख्या 2076/बाईस-1-2006-253/84 दिनांक 22 जून, 2006 द्वारा संशोधित

परिशिष्ट -- 'क'

(देखें नियम 4)

<table>
<tr><th>मूल नियम
[नियम 4 देखिये]</th><th>* दिनांक 22 जून, 2006 से प्रतिस्थापित
[नियम 4(2) देखिये]</th></tr>
<tr><td>सेवा की स्वीकृति सदस्य संख्या निम्नलिखित है :-

<table>
<tr><th rowspan="2">क्र० सं०</th><th rowspan="2">पद का नाम</th><th colspan="2">संख्या</th></tr>
<tr><th>स्थायी</th><th>अस्थायी</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>उप जेलर</td><td>107[1]</td><td>18</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सहायक जेलर</td><td>218[2]</td><td>19</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>वेतनभोगी शिशिक्षु सहायक जेलर</td><td>35</td><td>-</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">पद का नाम</th><th colspan="3">पदों की संख्या</th></tr>
<tr><th>स्थायी</th><th>अस्थायी</th><th>योग</th></tr>
<tr><td>उप जेलर</td><td>353</td><td>25</td><td>378</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

टिप्पणीः 1 इसमें अस्थगित रखे गये दो पद सम्मिलित हैं

2 इसमें अस्थगित रखे गये आठ पद सम्मिलित हैं

परिशिष्ट -- 'ख'

(देखें नियम 3)

1. सहायक जेलर के पदों पर वार्डर कर्मचारी वर्ग की प्रोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा एक योग्यता परीक्षा (Qualifying Examination) ली जा सकती है । इस परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे और प्रत्येक विषय के अंक उनके सामने दिये गये हैं-

विषय	अंक
(i) सामान्य हिन्दी एवं निबंध	100
(ii) प्रारम्भिक गणित	100

2. उपरोक्त विषय की लिखित परीक्षा हाईस्कूल स्तर की होगी ।
3. जो अभ्यर्थी उपर्युक्त लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं, उनकी व्यक्तिगत परीक्षा ली जायेगी। यह व्यक्तित्व परीक्षा 100 अंकों का होगा जिसमें अभ्यर्थी के चरित्र पंजियों की संवीक्षा भी की जा सकती है ।

*उ० प्र० कारागार कार्यपालक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2006, संख्या 2076/बाईस-1-2006-253/84 दिनांक 22 जून, 2006 द्वारा संशोधित

उत्तर प्रदेश सरकार
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग - 1
संख्या 107/22-1-2007-107/97
लखनऊ दिनांक, 14, फरवरी, 2007

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-14

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय, आशुलिपिक और सहः सम्बन्धित सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय, आशुलिपिक और सहःसम्बन्धित सेवा नियमावली, 2007

भाग - एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय, आशुलिपिक और सहः सम्बन्धित सेवा नियमावली, 2007 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग लिपिक वर्गीय, आशुलिपिक और सहः सम्बन्धित सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह-**"ग"** के पद समाविष्ट हैं ।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

(क) **"अधिनियम"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है ;

(ख) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य कारागार महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश से है ;

(ग) **"भारत का नागरिक"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो संविधान के भाग-2 के

अधीन भारत का नागरिक हो, या समझा जाय,

(घ) **"आयोग"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है,

(ङ) **"संविधान"** का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(च) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(छ) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ज) **"सेवा का सदस्य"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(झ) **"नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों"** का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है,

(ञ) **"सेवा"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, लिपिक वर्गीय आशुलिपिक और सहः सम्बन्धित सेवा से है,

(ट) **"मौलिक नियुक्ति"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो,

(ठ) **"भर्ती का वर्ष"** का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग - दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग **4.** (1) सेवा का सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

(2) जब तक कि उप नियम (१) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है ।

मुख्यालय संवर्ग

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या		
		स्थाई	अस्थाई	योग
1.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	-	01	01
2.	प्रशासनिक अधिकारी	01	-	01

4.	वरिष्ठ सहायक	23	01	24
5.	वरिष्ठ लिपिक	22	-	22
6.	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	40	01	41
7.				

जेल संवर्ग

1.	वरिष्ठ सहायक (केन्द्रीय जेल)	05	-	05
2.	वरिष्ठ लिपिक	50	-	50
3.	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	109	10	119

राजकीय जेल उद्योग डिपो

1.	प्रबन्धक जेल डिपो	01	-	01
2.	बिक्री कर्ता	01	-	01

आशुलिपिक सम्वर्ग

1.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-एक	01	-	01
2.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-दो	03	-	03
3.	आशुलिपिक ग्रेड-एक	06	-	06
4.	आशुलिपिक ग्रेड-दो	07	03	10

परन्तुः

(एक) किसी रिक्त पद को नियुक्ति प्राधिकारी बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग - तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत **5.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :-

(क) **कार्यालय महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश**

मुख्यालय संवर्ग

1.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
2.	प्रशासनिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्यालय अधीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन सतिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
3.	कार्यालय अधीक्षक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ सहायकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
4.	वरिष्ठ सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ लिपिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
5.	वरिष्ठ लिपिक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ लिपिकों/टंकक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
6.	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	**(एक)** अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। **(दो)** बीस प्रतिशत, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह

		'ग' के निम्नतम् श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के उपबन्धों के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ।
(ख)	**जेल संवर्ग**	
1.	वरिष्ठ सहायक (केन्द्रीय जेल)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ लिपिकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
2.	वरिष्ठ लिपिक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ लिपिकों/टंकक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
3.	कनिष्ठ लिपिक/ टंकक	**(एक)** अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। **(दो)** बीस प्रतिशत, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह 'ग' के निम्नतम् श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के उपबन्धों के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ।
(ग)	**राजकीय जेल उद्योग डिपो**	
1.	प्रबन्धक जेल डिपो	मौलिक रूप से नियुक्त ऐस बिक्रीकर्ता और भण्डारी में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है ।
2.	बिक्रीकर्ता	सीधी भर्ती द्वारा ।
(घ)	**आशुलिपिक संवर्ग**	
1.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-एक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक ग्रेड-दो (वेतनमान रू० 5500-9000) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को वैयक्तिक सहायक ग्रेड-दो के पद पर या आशुलिपिक संवर्ग में समकक्ष पद पर तीन वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो या जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आशुलिपिक संवर्ग में कुल पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
2.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-दो	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिक ग्रेड-एक (वेतनमान रू० 5500-8000) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आशुलिपिक ग्रेड-एक के पद पर या आशुलिपिक संवर्ग में समकक्ष पद पर पाँच वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो या जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आशुलिपिक संवर्ग में कुल बारह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
3.	आशुलिपिक ग्रेड-एक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आशुलिपिक ग्रेड-दो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को आशुलिपिक (वेतनमान रू० 4000-6000) के पद पर सात वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ।
4.	आशुलिपिक ग्रेड-दो	सीधी भर्ती द्वारा

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये

आरक्षण), अधिनियम 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

भाग - चार - अर्हतायें

राष्ट्रीयता **7.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी -

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अविध के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणीः ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु जिसे न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता **8.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी कि निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैः-

	पद का नाम	अर्हतायें
1.	कनिष्ठ लिपिक/ टंकक	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

(2) हिन्दी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है ।
अधिमान : अंग्रेजी टंकण का ज्ञान ।

2. प्रबन्धक जेल डिपो
(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मन्यता प्राप्त कोई अर्हता ।
(2) किसी फर्म या किसी सरकारी विभाग में विक्रय केन्द्र में स्वतंत्र प्रभार के रूप में विक्रय कार्य का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव
(3) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान ।

3. बिक्रीकर्ता
(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
(2) किसी फर्म या किसी सरकारी विभाग में विक्रय कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।
(3) देवनागरी लिपि में हिन्दी का कार्य साधन ज्ञान ।

4. आशुलिपिक ग्रेड-दो
(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
(2) हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है।
(3) डी०ओ०ई०ए०सी०सी सेसाइटी द्वारा संचालित सर्टीफिकेट कोर्स इन कम्प्यूटिंग (सी०सी०सी०) या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी कम्प्यूटर पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है,

या

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कम्प्यूटर पाठयक्रम या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।
अधिमान : अंग्रेजी आशुलेखन और टंकण का ज्ञान ।

अधिमानी अर्हता **9.** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :-
(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का **"बी"** प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

आयु **10.** सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियाँ विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को नीचे दी गयी सारणी में पद के विरूद्ध(विनिर्दिष्ट) न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और और अधिकतम से अधिक आयु प्राप्त न की हो:-

क्र० सं०	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आये
1.	क्निष्ठ लिपिक	18 वर्ष	35 वर्ष
2.	बिक्रीकर्ता	18 वर्ष	35 वर्ष
3.	आशुलिपिक श्रेणी-दो	18 वर्ष	35 वर्ष
4.	प्रबन्धक जेल डिपो	21 वर्ष	35 वर्ष

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा, उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र **11.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए ि कवह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस बिन्दु पर अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणीः संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य के स्वामित्वाधीन या नियंत्राधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति **12.** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों, ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो,

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता **13.** किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फॉइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेंटल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती दिये गये अभ्यर्थी से स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग - पाँच - भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा **14.** नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया **15.** (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन-पत्र आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमन्त्रित किया जायेगा ।

(2) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो ।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात आयोग नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचिज जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थी की एक सूची तैयार करेगा, जो इस सम्बन्धमें आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों ।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को जितनी वह नियुक्ति के लिये उचित समझें, संस्तुत करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनकी सामान्य

उपयुक्तता के आधार पर उनके नाम योग्यता क्रम में रखेगा । आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

कनिष्ट लिपिक/टंकक के पद से भिन्न अन्य पद की पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) कनिष्ट लिपिक/टंकक के पद से भिन्न अन्य पद की पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी

टिप्पणीः चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम-निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेख के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

परन्तु जहां समान वेतनमान के दो भिन्न पोषक संवर्ग हों, वहाँः-

(क) वेतनमान भिन्न होने उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा,

(ख) वेतनमान समान होने पर अभ्यर्थियों के नाम अपने-अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे । किन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के मौलिक नियुक्ति का दिनांक समान हो तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी, जो आयु में ज्येष्ठ हों को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा ।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

कनिष्ठ लिपिक/टंकक पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17. कनिष्ट लिपिक/टंकक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह 'ग' के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली 2001 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी ।

संयुक्त चयन सूची

18. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।

भाग - छः - नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिस क्रम में वे, यथास्थिति, नियम 15, 16, 17 या 18 के अधीन

तैयार की गयी सूची में आये हों नियुक्तियां करेगा ।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों द्वारा की जानी हों तो वहाँ नियमित नियुक्तिया तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन कर लिया जाय और एक संयुक्त चयन सूची नियम 18 के अनुसार तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उसी ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी, यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाय जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय । यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाये ंतो नामों का नियम **18** में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा ।

परिवीक्षा **20.** (1) सेवा में प्रशासनिक अधिकारी के पद से भिन्न पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवध पर रखा जायेगा और प्रशासनिक अधिकीर के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर व्यक्ति को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जयेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाये :

परन्तु अपवादित परिस्थितियों के सिवाय प्रशासनिक अधिकरी पद से भिन्न अन्य पदों के संबंध में परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी और प्रशासनिक अधिकारी पद के सम्बन्ध में परिवीक्षा अवधि छः मास से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है ।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण **21.** (1) उप नियम (2) के उपबन्धें के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि--

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ।

(2) जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन आदेश यह घोषणा करे हुए कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी

कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।

ज्येष्ठता **22.** सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

भाग - सात - वेतन इत्यादि

वेतनमान **23.** (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान रीचे दिये गये हैं :-

क्र० सं०	पद नाम	वेतनमान
1.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	6500-200-10500 रूपये
2.	प्रशासनिक अधिकारी	5500-175-9000 रूपये
3.	कार्यालय अधीक्षक	5000-150-8000 रूपये
4.	वरिष्ठ सहायक	4500-125-7000 रूपये
5.	वरिष्ठ लिपिक	4000-100-6000 रूपये
6.	कनिष्ट लिपिक/टंकक	3050-75-3950-80-4590 रूपये
		जेल संवर्ग
1.	वरिष्ठ सहायक (केन्द्रीय जेल)	4500-125-7000 रूपये
2.	वरिष्ठ लिपिक	4000-100-6000 रूपये
3.	कनिष्ट लिपिक/टंकक	3050-75-3950-80-4590 रूपये
		राजकीय जेल उद्योग डिपो
1.	प्रबन्धक जेल डिपो	4500-125-7000 रूपये
2.	बिक्रीकर्ता	3050-75-3950-80-4590 रूपये
		आशुलिपिक संवर्ग
1.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-एक	6500-200-10500 रूपये
2.	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-दो	5500-175-9000 रूपये
3.	आशुलिपिक ग्रेड-एक	5000-150-8000 रूपये
4.	आशुलिपिक ग्रेड-दो	4000-100-6000 रूपये

परिवीक्षा अवधि में वेतन **24** (1) फन्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया जो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा ।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यालय को सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

भाग – आठ – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन **25.** किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी चाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन **26.** ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यताया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शामिल होंगे ।

सेवा की शर्तो में शिथिलता **27.** जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवव्रन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है,

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभियुक्ति या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा ।

व्यावृत्ति **28.** इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिसका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से,

जगजीत सिंह
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (कारागार) अनुभाग - 1
संख्या 1520/बाईस-82-1381(1)-61
दिनांक 31 मार्च, 1983
अधिसूचना

सा०प०नि०-21

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल अन्तर्कारा जेल वार्डर सेवा में पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश अन्तर्कारा जेल वार्डर सेवा नियमावली, 1983

भाग - एक - सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अन्तर्कारा जेल वार्डर सेवा नियमावली, 1983 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2.

मूल नियम	* दि० 16 फरवरी, 1991से प्रतिस्थापित
उत्तर प्रदेश अन्तर्कारा जेल वार्डर सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग' और 'घ' के पद समाविष्ट हैं ।	**उत्तर प्रदेश अन्तर्कारा जेल वार्डर सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।**

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-

मूल नियम	* दि० 16 फरवरी, 1991से प्रतिस्थापित	** दि० 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य केन्द्रीय जेल के अधीक्षक से है,	**(क) "नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य सर्किल के प्रभारी अधीक्षक श्रेणी-एक से है,	**(क) "नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य जेल के वरिष्ठ अधीक्षक से है,

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) "सर्किल" का तात्पर्य ऐसे सर्किलों में से किसी एक सर्किल से है (जिसका मुख्यालय केन्द्रीय कारागार होगा) जिनमें वार्डरों की नियुक्ति और उनका नियंत्रण करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश के जेलों का विभाजन किया गया है,	**(ग) "सर्किल"** का तात्पर्य ऐसे सर्किलों में से किसी एक सर्किल से है जिसमें वार्डरों की नियुक्ति और उनका नियंत्रण करने के प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश के जेलों का विभाजन किया गया है ।

(घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत के संविधान" से है,

(ड) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

---

* उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991, संख्या 3273/बाईस-1-90-259-90 दि० 16 फरवरी, 1991द्वारा संशोधित

** उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998, संख्या 2389/बाईस-1-98-259-90 दि० 24 अक्टूबर, 1998द्वारा संशोधित

(छ) **"सेवा का सदस्य"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(ज) **"सेवा"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अन्तर्कारा जेल वार्डर सेवा से है,

(झ) **"मौलिक नियुक्ति"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो,

मूल नियम	* दि० 16 फरवरी, 1991से प्रतिस्थापित	** दि० 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
(ञ) लखनऊ सर्किल की स्थिति में **"अधीक्षक"** का तात्पर्य अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ और अन्य मामलों में सम्बद्ध केन्द्रीय कारागार, के अधीक्षक से है,	(ञ) **"अधीक्षक"** का तात्पर्य सम्बन्धित सर्किल के प्रभारी अधीक्षक श्रेणी-एक से है,	(ञ) लखनऊ सर्किल के संबंध में **"वरिष्ठ अधीक्षक"** का तात्पर्य यथास्थिति, वरिष्ठ अधीक्षक, जेल या वरिष्ठ अधीक्षक आदर्श कारागार, लखनऊ से है और अन्य सर्किल के संबंध में यथास्थिति, केन्द्रीय कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक से है जो अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर संवर्ग का प्रबन्ध करने के लिए प्राधिकृत हों,

(ट) **"भर्ती का वर्ष"** का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग - दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग **4.** (1) सेवा की सदस्य-संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा का सदस्य-संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु--

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई वयक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझे ।

भाग - तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत **5.** सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः-

मूल नियम	** दि० 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
(एक) - अन्तर्कारा वार्डर - सीधी भर्ती द्वारा जैसा नियम 15 में उपबन्धित है	**(एक) - अन्तर्कारा वार्डर** - (1) पच्चीस प्रतिशत ऐसे होमगार्डो में से, जिन्होंने होमगार्ड संगठन में पाँच वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो और जो जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड का उस आशय का कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें । (2) पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।
(दो) - अन्तर्कारा मुख्य वार्डर - स्थायी अन्तर्कारा बार्डरों में से पदोन्नति द्वारा ।	
(तीन) अन्तर्कारा प्रधान मुख्य वार्डर - स्थायी अन्तर्कारा मुख्य वार्डरों में से पदोन्नति द्वारा ।	

आरक्षण **6.** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

* उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991, संख्या 3272/बाईस-1-90-259-90 दि० 16 फरवरी, 1991द्वारा संशोधित

** उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998, संख्या 2389/बाईस-1-98-259-90 दि० 24 अक्टूबर, 1998द्वारा संशोधित

भाग – चार- अर्हताएं

राष्ट्रीयता **7.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी --

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1982 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले ।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायगा जब कि वह भारत का नागरिकता प्राप्त कर ले ।

टिप्पणीः ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

शैक्षिक अर्हतायें **8.** सेवा में अन्तर्कारा वार्डर के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी को

मूल नियम	*** दि० 09 अक्टूबर, 1990 से प्रतिस्थापित	** दि० 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
(एक) उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जूनियम हाईस्कूल या कक्षा 8 की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये,	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से हाईस्कूल परीक्षा अथवा राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
(2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिये ।	(2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिये ।	(2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिये ।

अधिमानी अर्हतायें **9.**

मूल नियम	** दि० 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसने-- (एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।	(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” या “सी” प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, (तीन) खिलाड़ी के रूप में स्वंय प्रतिष्ठित हों और (क) किसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का (ख) राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य का (ग) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में राज्य का, (घ) किसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो ।

*** उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1990, संख्या 282/बाईस-1-90-138(1)-61 दि० 09 अक्टूबर, 1990द्वारा संशोधित

** उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998, संख्या 2389/बाईस-1-98-259-90 दि० 24 अक्टूबर, 1998द्वारा संशोधित

आयु **10.**

मूल नियम	*** दि० 09 अक्टूबर, 1990 से प्रतिस्थापित	** दि० 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाय, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अविध में विज्ञापित किये जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये	सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु कलेण्डर वर्ष, जिसमें रिक्तियां सीधी भर्ती हेतु सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जाय, 1 जुलाई को 18 वर्ष को हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।	सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें भर्ती की जाय 1 जुलाई के प्रथम दिवस को 18 वर्ष आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो । परन्तु उच्चतर आयु सीमा ऐसे मामले में जिसमें अभ्यर्थी होमगार्ड हो 28 वर्ष और जिसमें अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक हो, यह 45 वर्ष होगी :
परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।	परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।	परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जो विनिर्दिष्ट की जाय ।

चरित्र **11.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणीः संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नही होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति **12.** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है ।

शारीरिक स्वस्थता **13.**

मूल नियम	* दि० 16 फरवरी, 1991से प्रतिस्थापित	** दि० 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
(क) सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की ऊँचाई कम से कम 1.69 मीटर होनी चाहिये और सीना बिना फुलाये कम सेकम 0.82 मीटर और फुलाने पर 0.87 मीटर और नेत्र दृष्टि 6/6' होनी चाहिये । परन्तु पर्वतीय जिलों के अभ्यर्थियों की स्थिति में ऊंचाई की न्यूतम सी 1.64 मीटर होगी।	(क) सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की ऊँचाई कम से कम 167.7 सेन्टीमीटर होनी चाहिये और सीना बिना फुलाये कम से कम 78.8 सेन्टीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेन्टीमीटर और नेत्र दृष्टि 6/6 होनी चाहिये। परन्तु पर्वतीय जिलों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की कम से कम ऊंचाई क्रमशः 162.6 से०मी० और 160 से०मी० होनी चाहिये । सीने का घेरा पर्वतीय जिलों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये 76.5 से०मी० और फुलाने पर 81.3 से०मी० से कम न होगा और उन अभ्यर्थियों की नेत्र दृष्टि 6/6 होनी चाहिये ।	(क) सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की ऊँचाई कम से कम 167.7 सेन्टीमीटर होनी चाहिये और सीना बिना फुलाये 78.8 सेन्टीमीटर से कम न होना चाहिए और फुलाने पर इसका प्रसार कम से कम 5 सेन्टीमीटर हो और नेत्र दृष्टि 6/6 होनी चाहिये परन्तु पर्वतीय जिलों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कम से कम ऊंचाई क्रमशः 162.6 से०मी० और 160 से०मी० होनी चाहिये । सीने का घेरा पर्वतीय जिलों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये 76.5 से०मी० और फुलाने पर इसका प्रसार कम से कम 5 से०मी० होना चाहिए ।

*** उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1990, संख्या 282/बाईस-1-90-138(1)-61 दि० 09 अक्टूबर, 1990द्वारा संशोधित

* उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991, संख्या 3272/बाईस-1-90-259-90 दि० 16 फरवरी, 1991द्वारा संशोधित

** उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998, संख्या 2389/बाईस-1-98-259-90 दि० 24 अक्टूबर, 1998द्वारा संशोधित

(ख) सेवा में किसी पद पर किसी अभ्यर्थी को तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की न सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फाइनेन्सियल हैण्ड बुक खण्ड 2 भाग 3 के अध्याय तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :	(ख) सेवा में किसी पद पर किसी अभ्यर्थी को तभी नियुक्त किया जायगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना न हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेखा की जायगी कि वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक खण्ड-2 भाग-3 के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :	
परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहं की जायगी।	परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहं की जायगी ।	

भाग - पाँच- भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिकित्यों की संख्या भी अवधारित करेगा और तत्समय प्रवृत्ति नियमों और आदेशों के अनुसार उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा ।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15.

मूल नियम	*** दि० 09 अक्टूबर, 1990 से प्रतिस्थापित	** दि० 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
(1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन मिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होगें:- (क) अधीक्षक (ख) अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट सर्किल के भीतर किसी जिला जेल का कोई अन्य पूर्णकालिक अधीक्षक। (ग) संबद्ध केन्द्रीय कारागार का चिकित्सा अधीक्षक	(1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन मिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होगें:- (क) कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित एक उप कारागार महानिरीक्षक - **अध्यक्ष** (ख) सम्बन्धित केन्द्रीय कारागारों के सर्किल सुपरिन्टेन्डेन्ट - **सदस्य** (ग) कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित सर्किल में किसी जिला जल का काई अन्य पूर्ण कालिक अधीक्षक - **सदस्य** (घ) स्थानीय मुख्य कित्साधिकारी द्वारा नामित उप मुख्य चिकित्साधिकारी - **सदस्य**	किसी पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी ।
(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी ।		
(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में उनको प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यताक्रम में रखेगी । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी ।		

*** उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1990, संख्या 282/बाईस-1-90-138(1)-61 दि० 09 अक्टूबर, 1990द्वारा संशोधित

** उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998, संख्या 2389/बाईस-1-98-259-90 दि० 24 अक्टूबर, 1998द्वारा संशोधित

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अयोग्य को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता-क्रम में एक पात्रता-सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य भिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और, यदि वह आवश्यक समझे तो, वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन-समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

भाग - छः- नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों ।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख यथा स्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता-क्रम में किया जायेगा ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी, उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन यि जाने तक, इसमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी ।

(4) चयन श्रेणी में नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अयोग्य को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायगी ।

परिवीक्षा

18. (1) सेवा में किसी पद पर, स्थायी रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगें, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधिके दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने असवरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है ।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण

19. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में, स्थायी कर दिया जायगा, यदि --

(एक) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि यह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

ज्येष्ठता

20. (1) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो, उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी वयक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट

पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा,

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 17 के उप नियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की युक्तियुक्ता के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्वर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी ।

भाग - सात - वेतन इन्यादि

वेतन **21.**

मूल नियम	**** दि० 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित**
(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।	(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं:- 1-अन्तर्कारा प्रधान मुख्य वार्डर — 430-12-490-15-520-द०रो०-15-640- द०रो०-15-685 2-अन्तर्कारा मुख्य वार्डर (चयन श्रेणी) — 454-12-514-द०रो०-12-586-14-600 3-अन्तर्कारा मुख्य वार्डर — 354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550 4-अन्तर्कारा वार्डर — 330-7-365-8-381-द०रो०-8-405-9-450-द०रो०-9-495	(2) उत्तर प्रदेश अन्तर्कारा जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998 के प्रारम्भ के समय पर वेतनमान निम्नलिखित होगें :- 1-अन्तर्कारा प्रधान मुख्य वार्डर — 4000-100-6000 रूपये 2-अन्तर्कारा मुख्य वार्डर — 3200-85-4900 रूपये 3-अन्तर्कारा वार्डर — 3050-75-3950-80-4590 रूपये

परिवीक्षा अवधि में वेतन

22. (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उर्त्तीण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा-अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :--

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

** उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998, संख्या 2389/बाईस-1-98-259-90 दि० 24 अक्टूबर, 1998द्वारा संशोधित

दक्षतारोक पार करने का मानदंड

23. किसी व्यक्ति को --

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, अपनी दक्षता बनाये न रखा हो, उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग - आठ - अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे ।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ठ मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम से अभिमुक्ति देने या उसको शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायगा ।

व्यवृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट [नियम 4 (2) देखिये]

परिशिष्ट का प्रतिस्थापन

मूल नियम				** दि० 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित			
पदों के नाम	पदों की संख्या			पदों के नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग		स्थायी	अस्थायी	योग
अन्तर्कारा प्रधान मुख्य वार्डर	06	-	06	अन्तर्कारा प्रधान मुख्य वार्डर	06	-	06
अन्तर्कारा मुख्य वार्डर (चयन श्रेणी)	68	-	68	अन्तर्कारा मुख्य वार्डर	590	80	670
अन्तर्कारा मुख्य वार्डर	386	136	522	अन्तर्कारा वार्डर	3747	406	4153

आज्ञा से,
राम चन्द्र टकरू
सचिव

** उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998, संख्या 2388/बाईस-1-98-259-90 दि० 24 अक्टूबर, 1998द्वारा संशोधित

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (कारागार) विभाग
संख्या 5004/बाईस-1381(2)-61
लखनऊ : 31 मार्च, 1983

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा० प० नि० – 18

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा नियमावली, 1983

भाग – एक – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1.** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा नियमावली, 1983 कही जायेगी

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति **2.**

मूल नियम	** दिनांक 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा में समूह "ग" और "घ" के पद समाविष्ट हैं ।	उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं ।

परिभाषएं **3.** जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में--

मूल नियम	*** दिनांक 16 फरवरी, 1991 से प्रतिस्थापित	** दिनांक 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य केन्द्रीय कारागार अधीक्षक से है	(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य सर्किल के प्रभारी अधीक्षक, श्रेणी-एक से है	(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य जेल के वरिष्ठ अधीक्षक से है

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) **"सर्किल"** का तात्पर्य ऐसे सर्किलों में से किसी एक सर्किल से है (जिसका मुख्यालय केन्द्रीय होगा) जिनमें वार्डरों की नियुक्ति और उनका नियंत्रण करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश के जेलों का विभाजन किया गया है ।	(ग) **"सर्किल"** का तात्पर्य ऐसे सर्किलों में से किसी एक सर्किल से है जिसमें वार्डरों की नियुक्ति और उनका नियंत्रण करने के प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश के जेलों का विभाजन किया गया है ।

(घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है ।

**उ०प्र० रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा(तृतीय संशोधन)नियमावली, 1998, संख्या 2389/बाईस-1-98-259/90 दि० 24 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशोधित

***उ०प्र० रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली, 1991, संख्या 3272/बाईस-1-90-259-90 दि० 16 फरवरी, 1991 द्वारा संशोधित

(ड) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(च) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है

(छ) **"सेवा का सदस्य"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन, मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है

(ज) **"सेवा"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा से है,

(झ) **"मौलिक नियुक्ति"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न होने और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय निहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो,

मूल नियम	*** दिनांक 16 फरवरी, 1991 से प्रतिस्थापित	** दिनांक 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
(ञ) लखनऊ सर्किल की स्थिति में "अधीक्षक" का तात्पर्य अधीक्षक, आदर्श कारागार लखनऊ से और अन्य मामलों में सम्बद्ध केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक से है,	(ञ) "अधीक्षक" का तात्पर्य सम्बन्धित सर्किल के प्रभारी अधीक्षक, श्रेणी-एक से है,	(अ) लखनऊ सर्किल के संबंध में "वरिष्ठ अधीक्षक" का तात्पर्य यथास्थिति वरिष्ठ अधीक्षक, जेल या वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ से है और अन्य सर्किल के संबंध में यथासिति केन्द्रीय कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक मंडलीय कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक से है, जो अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर संवर्ग का प्रबन्ध करने के लिए प्राधिकृत हों ।

(ट) **"भर्ती का वर्ष"** का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है।

भाग - दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न किये जाएं, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी परिषिष्ट में दी गयी है,

परन्तु --

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिकत पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझे ।

भाग - तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगीः-

मूल नियम	** दिनांक 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
(क) रिजर्व गार्ड वार्डर - सीधी भर्ती द्वारा ।	(1) पच्चीस प्रतिशत ऐसे होम गार्डो में से, जिन्होंने होम गार्ड संगठन में पाँच वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो हो और जो जिला कमाण्डेन्ट, होम गार्ड का उस आशय का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, सीधी भर्ती द्वारा (2) पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

**उ०प्र० रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा(तृतीय संशोधन)नियमावली, 1998, संख्या 2389/बाईस-1-98-259/90 दि० 24 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशोधित

***उ०प्र० रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा(द्वितीय संशोधन)नियमावली, 1991, संख्या 3272/बाईस-1-90-259-90 दि० 16 फरवरी, 1991द्वारा संशोधित

(ख) रिजर्व गार्ड मुख्य वार्डर - स्थायी रिजर्व गार्ड वार्डरों में से पदोन्नति द्वारा।

(ग) रिजर्व गार्ड प्रधान मुख्य वार्डर - स्थायी रिजर्व गार्ड मुख्य वार्डरों जिसके अन्तर्गत चयन श्रेणी के रिजर्व गार्ड वार्डर भी हैं, में से पदोन्नति द्वारा ।

आरक्षण **6.** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए/आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

भाग - चार - अहर्ताएं

राष्ट्रिकता **7.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी --

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकित्सान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केन्या, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जर्जीवार) से प्रवर्जन किया हो ।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अविध के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायेगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणीः ऐसे अभ्यर्थी को जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और इसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अहर्ताएं **8.** सेवा में रिजर्व गार्ड वार्डर के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को---

मूल नियम	*दिनांक **7** सितम्बर, **1990** से प्रतिस्थापित	** दिनांक 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
(1) उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जूनियर हाई स्कूल या कक्षा आठ की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये,	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।	(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।
(2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए	(2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए	(2) देवनागरी लिपि में हिन्दी का का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए

*उ०प्र० रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली, 1990, संख्या 2528/बाईस-1-90-1381(2)-61 दि० 7 सितम्बर, 1990 द्वारा संशोधित

**उ०प्र० रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा(तृतीय संशोधन)नियमावली, 1998, संख्या 2389/बाईस-1-98-259/90 दि० 24 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशोधित

अधिमानी अर्हताएं **9.**

मूल नियम	** दिनांक 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसने-- (एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूतनतम अवधि तक सेवा की हो, या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।	अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूतम अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" या "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या खिलाड़ी के रूप में स्वयं प्रतिष्ठित हो, और- (क) किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का, (ख) राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य का, (ग) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूल में राज्य का, (घ) अंतर्विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में किसी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो ।

आयु **10.**

मूल नियम	*दिनांक 7 सितम्बर, 1990 से प्रतिस्थापित
सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाय, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अविध में विज्ञापित किये जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये **टिप्पणीः** किसी ऐसे भूतपूर्व सैनिक द्वारा जो रिजर्व गार्ड वार्डर के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी हो, की गयी सैनिक सेवा की आधी अवधि को अधिकतम आयु की संगणना करने में गिना जायगा और पद के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी की आयु की संगणना करने के लिए ऐसी अवधि को उसकी वास्तविक आयु से घटा दिया जायगा।	सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु कलेण्डर वर्ष, जिसमें रिक्तियां सीधी भर्ती हेतु सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जाय, 1 जुलाई को 18 वर्ष को हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से धिक नहीं होना चाहिये । **टिप्पणीः** रिजर्व गार्ड वार्डर के पद हेतु उस अभ्यर्थी, जो सेवा का भूतपूर्व सदस्य हो, की सैन्य सेवा की आधी अवधि को उसकी अधिकतम आयु सीमा की ओर आगणित किया जायगा, और पद पर नियुक्ति को पात्रता हेतु उसकी आयु का आगणन करने के लिये उसकी वास्तविक आयु से, ऐसी अवधि को कम कर दिया जायगा।
परन्तु अनुसूचिज जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।	परन्तु अनुसूचिज जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

चरित्र **11.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणीः संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति **12.** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों :

परन्तु सरकार किसी वयक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती हैं यदि उसका यह समधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है ।

---

*उ०प्र० रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली, 1990, संख्या 2528/बाईस-1-90-1381(2)-61 दि० 7 सितम्बर, 1990 द्वारा संशोधित

**उ०प्र० रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा(तृतीय संशोधन)नियमावली, 1998, संख्या 2389/बाईस-1-98-259/90 दि० 24 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशोधित

शारीरिक स्वस्थता 13.	मूल नियम	*दिनांक 7 सितम्बर, 1990 से प्रतिस्थापित	** दिनांक 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
	(क) सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की ऊँचाई कम से कम 1.69 मीटर होनी चाहिये और सीना बिना फुलाये कम सेकम 0.82 मीटर और फुलाने पर 0.87 मीटर और नेत्र दृष्टि 6/6' होनी चाहिये । परन्तु पर्वतीय जिलों के अभ्यर्थियों की स्थिति में ऊंचाई की न्यूनतम सीमा 1.64 मीटर होगी।	(क) सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की ऊँचाई कम से कम 167.7 सेन्टीमीटर होनी चाहिये और सीना बिना फुलाये कम से कम 78.8 सेन्टीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेन्टीमीटर और नेत्र दृष्टि 6/6 होनी चाहिये। परन्तु पर्वतीय जिलों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की कम से कम ऊंचाई क्रमशः 162.6 से०मी० और 160 से०मी० होनी चाहिये । सीने का घेरा पर्वतीय जिलों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये 76.5 से०मी० और फुलाने पर 81.3 से०मी० से कम न होगा और उन अभ्यर्थियों की नेत्र दृष्टि 6/6 होनी चाहिये ।	(क) सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की ऊँचाई कम से कम 167.7 सेन्टीमीटर होनी चाहिये और सीना बिना फुलाये 78.8 सेन्टीमीटर से कम न होना चाहिए और फुलाने पर इसका प्रसार कम से कम 5 सेन्टीमीटर हो और नेत्र दृष्टि 6/6 होनी चाहिये परन्तु पर्वतीय जिलों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कम से कम ऊंचाई क्रमशः 162.6 से०मी० और 160 से०मी० होनी चाहिये । सीने का घेरा पर्वतीय जिलों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये 76.5 से०मी० और फुलाने पर इसका प्रसार कम से कम 5 से०मी० होना चाहिए ।
	(ख) सेवा में किसी पद पर किसी अभ्यर्थी को तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये फाइनेन्सियल हैण्ड बुक खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :	(ख) सेवा में किसी पद पर किसी अभ्यर्थी को तभी नियुक्त किया जायगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना न हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेखा की जायगी कि वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक खण्ड-2 भाग-3 के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :	
	परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहं की जायगी ।	परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहं की जायगी ।	

भाग - पाँच - भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा **14.** नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार सेवायोजन कार्यालय को देगा ।

*उ०प्र० रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली, 1990, संख्या 2528/बाईस-1-90-1381(2)-61 दि० 7 सितम्बर, 1990 द्वारा संशोधित

**उ०प्र० रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा(तृतीय संशोधन)नियमावली, 1998, संख्या 2389/बाईस-1-98-259/90 दि० 24 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशोधित

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15.

मूल नियम	*दिनांक 7 सितम्बर, 1990 से प्रतिस्थापित	** दिनांक 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित
(1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होगें:- (क) अधीक्षक (ख) अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट सर्किल के भीतर किसी जिला जेल का कोई अन्य पूर्णकालिक अधीक्षक। (ग) संबद्ध केन्द्रीय कारागार का चिकित्सा अधीक्षक	(1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन मिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होगें:- (क) कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित एक उप कारागार महानिरीक्षक **- अध्यक्ष** (ख) सम्बन्धित केन्द्रीय कारागारों के सर्किल सुपरिन्टेन्डेन्ट **- सदस्य** (ग) कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित सर्किल में किसी जिला जल का काई अन्य पूर्ण कालिक अधीक्षक - **सदस्य** (घ) स्थानीय मुख्य कित्साधिकारी द्वारा नामित उप मुख्य चिकित्साधिकारी - **सदस्य**	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी ।
(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी ।	(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी ।	
(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में उनको प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तेयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, योग्यताक्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी ।	(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में उनको प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तेयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, योग्यताक्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।	

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता-क्रम में अभ्यर्थियों की एक पात्रता-सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य भिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें चयन समितिके समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निद्रिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और, यदि वह आवश्यक समझे तो, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन-समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

भाग - छः - नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों ।

*उ०प्र० रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली, 1990, संख्या 2528/बाईस-1-90-1381(2)-61 दि० 7 सितम्बर, 1990 द्वारा संशोधित

**उ०प्र० रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा(तृतीय संशोधन)नियमावली, 1998, संख्या 2389/बाईस-1-98-259/90 दि० 24 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशोधित

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथा स्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता-क्रम में किया जायेगा ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी, उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियां कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी ।

(4) चयन श्रेणी में नियुक्तियां/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर की जायगी ।

परिवीक्षा

18. (1) सेवा में किसी पद पर, स्थायी रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अधिलिखित किये जायेंगें, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय ।

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधिके दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने असवरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है ।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण

19. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में, स्थायी कर दिया जायगा, यदि --

(एक) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि यह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

ज्येष्ठता

20. (1) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो, उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति को मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा,

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 17 के उप नियम (2) के अधीन

जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारण के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की युक्तियुक्ता के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी थी ।

भाग - सात - वेतन इत्यादि

वेतनमान **21.**

<table>
<tr><th>मूल नियम</th><th>** दिनांक 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित</th></tr>
<tr><td>(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।</td><td>(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।</td></tr>
<tr><td>(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं:-
<table>
<tr><td>1-रिजर्व गार्ड प्रधान मुख्य वार्डर</td><td>430-12-490-15-520-द०रो०-15-640- द०रो०-15-685</td></tr>
<tr><td>2-रिजर्व गार्ड मुख्य वार्डर (चयन श्रेणी)</td><td>454-12-514-द०रो०-12-586-14-600</td></tr>
<tr><td>3- रिजर्व गार्ड मुख्य वार्डर</td><td>354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550</td></tr>
<tr><td>4- रिजर्व गार्ड वार्डर</td><td>330-7-365-8-381-द०रो०-8-405-9-450-द०रो०-9-495</td></tr>
</table></td><td>(2) उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998 के प्रारम्भ के समय पर वेतनमान निम्नलिखित होगें :-
<table>
<tr><td>1-रिजर्व गार्ड प्रधान मुख्य वार्डर</td><td>4000-100-6000 रूपये</td></tr>
<tr><td>2-रिजर्व गार्ड मुख्य वार्डर</td><td>3200-85-4900 रूपये</td></tr>
<tr><td>3-रिजर्व गार्ड वार्डर</td><td>3050-75-3950-80-4590 रूपये</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

परिवीक्षा अवधि में वेतन **22.** (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा-अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :--

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

**उ०प्र० रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा(तृतीय संशोधन)नियमावली, 1998, संख्या 2389/बाईस-1-98-259/90 दि० 24 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशोधित

दक्षतारोक पार करने का मापदण्ड

23. किसी व्यक्ति को --

(1) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और

(2) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसके तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वेत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, अपनी दक्षता बनाये न रखा हो, उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग - आठ - अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

25. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेषों द्वारा नियन्त्रित होंगे ।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

26. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ठ मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम से अभिमुक्ति देगें या उसका शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायगा ।

व्यावृत्ति

27. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से
राम चन्द्र
टकरू
सचिव ।

परिशिष्ट [नियम 4 (2) देखिए]

मूल नियम

पदों के नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
रिजर्व गार्ड प्रधान मुख्य वार्डर	6	2	8
रिजर्व गार्ड मुख्य वार्डर (चयन श्रेणी)	9	-	9
रिजर्व गार्ड मुख्य वार्डर	51	79	136

**** दिनांक 24 अक्टूबर, 1998 से प्रतिस्थापित**

पदों के नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
रिजर्व गार्ड प्रधान मुख्य वार्डर	6	2	8
रिजर्व गार्ड मुख्य वार्डर	112	29	141
रिजर्व गार्ड वार्डर	382	335	717

**उ०प्र० रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा(तृतीय संशोधन)नियमावली, 1998, सं०2389/बाईस-1-98-259/90 दि० 24 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशोधित

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (कारागार) अनुभाग-1

संख्या 1519/बाईस-87-1381(3)-61

दिनांक 31 मार्च, 1983

अधिसूचना

प्रकीर्ण

स०प०नि० - 27

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल महिला जेल वार्डर सेवा में पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश महिला जेल वार्डर सेवा नियमावली 1983

भाग - एक - सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) उ०प्र० महिला जेल वार्डर सेवा नियमावली, 1983 कही जायेगी

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2.

मूल नियम	*** दिनांक 24 अक्टूबर 1998 से प्रतिस्थापित
(2) उ० प्र० महिला जेल वार्डर सेवा ऐसी सेवा है, जिसमें समूह 'ग' और 'घ' के पद समाविष्ट हैं ।	उत्तर प्रदेश महिला जेल वार्उर सेवा ऐसी सेवा है जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं ।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में

मूल नियम	** दिनांक 16 फरवरी 1991 से प्रतिस्थापित	*** दिनांक 24 अक्टूबर 1998 से प्रतिस्थापित
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य केन्द्रीय जेल के अधीक्षक से है	**(क) "नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य संबंधित सर्किल के प्रभारी अधीक्षक श्रेणी-एक से है	**(क) "नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य जेल के वरिष्ठ अधीक्षक से है

(ख) **"भारत का नागरिक"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय,

(ख) **"सर्किल"** का तात्पर्य ऐसे सर्किलों में से किसी एक सर्किल से है जिसमें वार्डरों की नियुक्ति और उनका नियंत्रण करने के प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश के जेलों का विभाजन किया गया है,

(ग) **"संविधान"** का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(घ) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राजय सरकार से है,

(ड़) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

**उ०प्र० महिला जेल वार्डर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991, संख्या 3271/बाईस-1-90-259-9 दि० 16 फरवरी, 1991 द्वारा संशाधित

***उ०प्र० महिला जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998, संख्या 239/बाईस-1-98-259/9 दि० 24 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशाधित

(च) **"सेवा का सदस्य"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(छ) **"सेवा"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश महिला जेल वार्डर से है,

(ज) **"मौलिक नियुक्ति"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय निहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो,

(झ)

मूल नियम	** दिनांक 16 फरवरी 1991 से प्रतिस्थापित	*** दिनांक 24 अक्टूबर 1998 से प्रतिस्थापित
लखनऊ सर्किल की स्थिति में "अधीक्षक" का तात्पर्य अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ और अन्य मामलों में सम्बद्ध केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक से है	"अधीक्षक" का तात्पर्य संबंधित सर्किल के प्रभारी अधीक्षक श्रेणी-एक से है	लखनऊ सर्किल के सम्बन्ध में "वरिष्ठ अधीक्षक" का तात्पर्य यथास्थिति वरिष्ठ अधीक्षक,जेल या वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ से है और अन्य सर्किल के सम्बन्ध में यथास्थिति केनद्रीय कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक या मण्डलीय कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक से है जो अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर संवर्ग का प्रबन्ध करने के लिए अधिकृत हैं,

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है,

भाग - दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है

परन्तु --

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न हो,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी या पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझे,

भाग - तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगीः-

मूल नियम	*** दिनांक 24 अक्टूबर 1998 से प्रतिस्थापित
1- महिला मुख्य वार्डर - स्थायी महिला वार्डर में से पदोन्नति द्वारा	महिला वार्डर (1) पच्चीस प्रतिशत ऐसे महिला होमगार्ड में से जिन्होंने होमगार्ड संगठन में पाँच वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो और जो जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड का उस आशय का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, सीधी भर्ती द्वारा
2- महिला वार्डर - केवल महिलाओं की सीधी भर्ती द्वारा	2- पचहत्तर प्रतिशत केवल महिलाओं की सीधी भर्ती द्वारा

**उ०प्र० महिला जेल वार्डर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1991, संख्या 3271/बाईस-1-90-259-9 दि० 16 फरवरी, 1991 द्वारा संशाधित

***उ०प्र० महिला जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998, संख्या 239/बाईस-1-98-259/9 दि० 24 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशाधित

आरक्षण 6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग - चार - अर्हतायें

राष्ट्रिकता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी --

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय में पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भातर आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीका देश केन्या, उमाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो ।

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अविध के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणीः ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें 8. सेवा में महिला वार्डर के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभयर्थी को --

मूल नियम	*दिनांक 9 अक्टूबर 1990 से प्रतिस्थापित	*** दिनांक 24 अक्टूबर 1998 से प्रतिस्थापित
(एक) उत्तर प्रदेश के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जूनियम हाई स्कूल या कक्षा आठ की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकख मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्रण होना चाहिये, और	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये	(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ।
(दो) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिये ।	(दो) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिये ।	(दो) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिये ।

*उ०प्र० महिला जेल वार्डर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1990 संख्या 2823/बाईस-1-90-1381(3)-61 दि० 9 अक्टूबर, 1990 द्वारा संशाधित

***उ०प्र० महिला जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998, संख्या 239/बाईस-1-98-259/9 दि० 24 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशाधित

आयु 9.

मूल नियम	*दिनांक 9 अक्टूबर 1990 से प्रतिस्थापित
सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाय, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 28 से अधिक नहीं होना चाहिये । परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी। जितना विनिर्दिष्ट की जाय ।	सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु कलेन्डर वर्ष जिसमें रिक्तियां सीधी भर्ती हेतु सेवायोजन कार्यालय को सूचित की जाय 1 जुलाई को 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जो विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 10. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणीः- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के सवामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति 11. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो ।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं ।

शारीरिक स्वस्थता 12. (क) सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की ऊँचाई कम से कम 1.58 मीटर, वनज कम से कम 50 किलोग्राम और नेत्र दृष्टि 6/6 होनी चाहिये ।

(ख) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों की दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी।

भाग – पाँच – भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का आरक्षण

13. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी तत्समय प्रवृत्ति नियमों और आदेशों के अनुसार अवधारित करेगा और उसकी सूचना उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा ।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

14.

मूल नियम	*दिनांक 9 अक्टूबर 1990 से प्रतिस्थापित	*** दिनांक 24 अक्टूबर 1998 से प्रतिस्थापित
(1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होगें:- (क) अधीक्षक (ख) अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट सर्किल के भीतर किसी जिला जेल का कोई अन्य पूर्णकालिक अधीक्षक। (ग) संबद्ध केन्द्रीय कारागार का चिकित्सा अधीक्षक	(1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन मिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होगें:- (क) कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित एक उप कारागार महानिरीक्षक - **अध्यक्ष** (ख) सम्बन्धित केन्द्रीय कारागारों के सर्किल सुपरिन्टेन्डेन्ट - **सदस्य** (ग) कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित सर्किल में किसी जिला जल का काई अन्य पूर्ण कालिक अधीक्षक - **सदस्य** (घ) स्थानीय मुख्य कित्साधिकारी द्वारा नामित उप मुख्य चिकित्साधिकारी - **सदस्य**	सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी ।
(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी ।	(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी ।	
(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में उनको प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तेयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो समिति पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, योग्यताक्रम उनके नाम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी ।	(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में उनको प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तेयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम पद के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, योग्यताक्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।	

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर नियम 14 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता-क्रम में एक पात्रता-सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निद्रिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और, यदि वह आवश्यक समझे तो, वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन-समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

*उ०प्र० महिला जेल वार्डर सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1990 संख्या 2823/बाईस-1-90-1381(3)-61 दि० 9 अक्टूबर, 1990 द्वारा संशाधित

***उ०प्र० महिला जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998, संख्या 239/बाईस-1-98-259/9 दि० 24 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशाधित

भाग - छः - नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

16. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 14 या 15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों ।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख यथा स्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता-क्रम में किया जायेगा ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी, उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियां कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इसमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी ।

परिवीक्षा

17. (1) किसी पद पर या सेवा में स्थायी रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगें, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधिके दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने असवरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है ।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण

18. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में, उसको नियुक्ति में, स्थायी कर दिया जायगा, यदि --

(एक) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय, और

(दो) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(तीन) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

ज्येष्ठता

19. (1) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो, उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक

से होगा,

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 16 के उप नियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे, कारणों की युक्तियुक्ता के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी ।

भाग - सात - वेतन इत्यादि

वेतनमान 20.

मूल नियम	*** दिनांक 24 अक्टूबर 1998 से प्रतिस्थापित
(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।	(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिया गया है:- 1-महिला मुख्य वार्डर 354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550 2-महिला वार्डर 330-7-365-8-381-द०रो०-8-405-9-450-द०रो०-9-495	(2) उत्तर प्रदेश रिजर्व गार्ड जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998 के प्रारम्भ के समय पर वेतनमान निम्नलिखित होगें :- 1-महिला मुख्य वार्डर 3200-85-4900 रूपये 2-महिला वार्डर 3050-75-4590 रूपये

परिवीक्षा अवधि में वेतन 21. (1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उर्त्तीण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा-अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :--

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि, बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

***उ०प्र० महिला जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998, संख्या 239/बाईस-1-98-259/9 दि० 24 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशाधित

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड

22. किसी व्यक्ति को --
(1) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय, और
(2) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसके तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वेत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, अपनी दक्षता बनाये न रखा हो, उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग - आठ - अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थक

23. किसी पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

24. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होंगे ।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

25. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ठ मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती हैं

26. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट
(नियम 4 देखिये)

मूल नियम					*** दिनांक 24 अक्टूबर 1998 से प्रतिस्थापित				
क्र० सं०	पदों का नाम	पदों की संख्या			क्र० सं०	पदों का नाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग			स्थायी	अस्थायी	योग
1.	महिला मुख्य वार्डर (चयन वेतनमान)	01	-	01	1.	महिला मुख्य वार्डर	47	5	52
2.	महिला मुख्य वार्डर	03	43	46	2.	महिला वार्डर	161	40	201
3.	महिला वार्डर	70	91	161					

आज्ञा से,
राम चन्द्र टकरू
सचिव

***उ०प्र० महिला जेल वार्डर सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1998, संख्या 239/बाईस-1-98-259/9 दि० 24 अक्टूबर, 1998 द्वारा संशाधित

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (कारागार) अनुभाग - 1

संख्या 1553/बाईस-1384/1961

लखनऊ , 1980

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि०-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके और प्रस्तुत विषय पर सभी वर्तमान नियमों तथा आदेशों का अतिक्रमण करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कारागार महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक के पद पर भर्ती और उस पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक की सेवा नियमावली, 1968

भाग - 1 - सामान्य

		मूल नियम	* दिनांक 20 जुलाई 1979 से प्रतिस्थापित
संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक की सेवा नियमावली 1968 कहलायेगी और	(1) यह नियमावली कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक की सेवा (संशोधन) नियमावली 1978 कही जायेगी।
		(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत होगी ।	(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत होगी ।

प्रास्थिति **2.** कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक का पद एक अधीनस्त राजपत्रित अनुसचिवीय पद है ।

परिभाषायें **3.** जब तक कि विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में --

(क) **"आयोग"** का तात्पर्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है,

(ख) **"समिति"** का तात्पर्य नियम ८;४द्ध में अभिर्दिष्ट चयन समिति से है,

(ग) **"संविधान"** का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(घ) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(ड़) **“राज्यपाल”** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

* वैयक्तिक सहायक की सेवा (संशोधन) नियमावली 1978 संख्या 2912/बाईस-1384/61 दि० 20-7-79 द्वारा संशोधित

(च) **“महानिरीक्षक”** का तात्पर्य कारागार महा निरीक्षक उत्तर प्रदेश से है,

(छ) **“पद”** का तात्पर्य कारागार महानिरीक्षक, उ० प्र० के वैयक्तिक सहायक से है,

(ज) **“सचिव”** का तात्पर्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार गृह विभाग (जेल) से है,

भाग – 2 – संवर्ग

सेवा में पदों की संख्या

4. यह एकल पद है

प्रतिबन्ध यह है कि राज्यपाल

(1) पद को, जब वह रिक्त है, बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या आस्थगित रख सकते हैं, किन्तु ऐसा करने से कोई प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(2) समय-समय पर एक या अधिक अन्य स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जैसा कि आवश्यक हो ।

भाग – 3 – भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. पद पर भर्ती, आयोग के परामर्श से, महा निरीक्षक के कार्यालय में स्थायी अधीक्षकों तथा सहायक अधीक्षकों में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी ।

भाग – 4 – अर्हतायें

		मूल नियम	*** दिनांक 20 जुलाई 1979 से प्रतिस्थापित**
आयु	**6.**	कोई भी व्यक्ति, साधारणतया सेवा में तब तक नियुक्ति नहीं किया जायेगा जब तक कि उसकी आयु उस वर्ष जिसमें चयन किया जाय, की पहली जनवरी को 53 वर्ष से कम न हो या यदि पद पहले से ही स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है, तो उसकी उस दिनांक को जबसे वह लगातार स्थानापन्न	कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के वैयक्तिक सहायक की सेवा नियमावली, 1968 (जिन्हें आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में नियम 6 निकाल दिया जायेगा ।

	रूप में कार्य कर रहा हो, 53 वर्ष से कम न रही हो ।	

* वैयक्तिक सहायक की सेवा (संशोधन) नियमावली 1978 शा० सं० 2912/बाईस-1384/61 दि० 20-7-79 द्वारा संशोधित

भाग – 5 – भर्ती की प्रक्रिया

चयन के लिये मानदण्ड

7. पद पर भर्ती के प्रयोजनों के लिये, चयन ऐसे कर्मचारियों में से जो नियम 15 के अधीन पदोन्नति के लिये पात्र हो, केवल योग्यता के आधार पर किया जायेगा ।

चयन करने की प्रक्रिया

8. (1)

मूल नियम	*** दिनांक 20 जुलाई 1979 से प्रतिस्थापित**
जब किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्ति करने का निश्चय किया जाय, सचिव, महा निरीक्षक के परामर्श से, पदोन्नति के लिये पात्र सभी कर्मचारियों के मामले पर विचार करेगा और योग्यता क्रम से एक सूची तैयार करेगा जिसमें पदोन्नति के लिये सबसे उपयुक्त नाम .... गये रिक्त स्थानों की संख्या से दुगने अभ्यर्थियों के नाम होगें।	पद पर भर्ती लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन द्वारा पदोन्नति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोग से परामर्श के योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जायेगी। **टिप्पणीः** इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय विहित प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग .... चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली 1970 में दी गयी है।

(2) सचिव, महा निरीक्षक के परामर्श से, योग्यता क्रम में एक दूसरी सूची भी तैयार करेगा जिसमें ऐसे कर्मचारी का नाम होगा जिसे वह वर्ष के दौरान होने वाली सामान्य स्थनापन्न या अस्थायी रिक्त में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझे ।

(3) ये दोनों सूचियाँ और पद-क्रम सूची जिसमें ज्येष्ठ-कर्मचारियों को यदि कोई हो, अतिक्रमण कर दिये जाने के कारण दिये जायेगें, तथा सभी पात्र अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियां आयोग को भेजी जायेगी। आयोग चरित्र पंजियों की जांच करेगा और किसी भी सूची में कोई नये नाम बड़ा सकता है यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे और तत्पश्चात उन्हें सरकार को वापस भेज देगा ।

(4) तत्पश्चात सचिव, आयोग के परामर्श से, ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करने के लिये कोई दिनांक निश्चित करेगा जिनके नाम आयोग द्वारा तैयार की गयी अन्तिम सूची में हो । इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार एक चयन समिति करेगी जिसमें

(क) आयोग का एक प्रतिनिधि, जो समिति की अध्यक्षता करेगा।

(ख) सचिव, और

(ग) महानिरीक्षक,

* वैयक्तिक सहायक की सेवा (संशोधन) नियमावली 1978 शा० सं० 2912/बाईस-1384/61 दि० 20-7-79 द्वारा संशोधित

(5) तत्पश्चात साक्षात्कार के उपरान्त आयोग मौलिक तथा स्थनापन्न या अस्थायी नियुक्ति के लिये चुने गये अभ्यर्थियों के नाम अपनी सिफारिशों गठित कर सरकार को भेजेगा।

(6) तत्पश्चात, आयोग द्वारा मौलिक रिक्त के लिये सिफारिश किया गया कर्मचारी ऐसी रिक्त के प्रति नियुक्त किया जायेगा और स्थानापन्न पर अस्थायी नियुक्ति के लिये सिफारिश किये गये कर्मचारी से ऐसी रिक्त में, जैसे और जब वह वर्ष के दौरान में हो, कार्य करने के लिये कहा जायेगा, स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्त के लिये तैयार की गयी सूची एक वर्ष या अगले चयन के समय तक, जो भी बाद में हो के लिये मान्य होगी ।

(7) यदि दो लगातार वर्षो तक मौलिक रिक्त न हो और केवल स्थानापन्न या अस्थायी रिक्त के लिये चयन करना आवश्यक हो जाये तो उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, किन्तु ऐसी दशाओं में यह चयन समिति पर निर्भर होगा वह ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार न करे जिनका पिछले चयन के समय पहले ही साक्षात्कार किया जा चुका हो ।

भाग - 6 - नियुक्ति, परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

			मूल नियम	* दिनांक 20 जुलाई 1979 से प्रतिस्थापित
नियुक्ति	9.	(1)	मौलिक रिक्त के होने पर, पद पर नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा नियम-8 के उप नियम (6) के अधीन नियुक्ति के लिये सबसे उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों में से की जायेगी।	कारागार महानिरीक्षक नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।
		(2)	राज्यपाल अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में नियम 8 के उप नियम (4) के अधीन तैयार की गई प्रथम सूची में, उसी क्रम में जिसमें अभ्यर्थियों के नाम उक्त सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगें। किन्तु, यदि प्रवर सूची .... हो जाय तो राज्यपाल, आयोग से परामर्श किये बिना, ऐसी रिक्तियों एक वर्ष से अधिक के लिये उन कर्मचारियों में से नियुक्तिया कर सकते हैं वो इस नियमावली के अधीन पद पर अस्थायी नियुक्ति के लिये पात्र हों, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि रिक्त की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की सम्भावना	मौलिक रिक्ति होने पर नियुक्ति प्राधिकारी आयोग द्वारा सबसे अधिक उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थी को पद पर नियुक्ति करेगा ।

		हो तो ऐसी नियुक्ति करने के लिये आयोग से परामर्श किया जायेगा ।	

* वैयक्तिक सहायक की सेवा (संशोधन) नियमावली 1978 शा० सं० 2912/बाईस-1384/61 दि० 20-7-79 द्वारा संशोधित

(3)	इस नियम के अधीन की गयी सभी नियुक्तियां सरकारी गजट में विस्थापित की जायेगी ।	नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न निकायों में भी नियम 8 के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गयी सूची से नियुक्ति करेगें।
(4)		यदि आयोग से प्राप्त चयन सूची निः.......... हो जाय या सूची का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो नियुक्ति पदाधिकारी ऐसे कर्मचारियों में से जो इस नियमावली के अधीन पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए पात्र हों, एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में नियुक्तियां कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि रिक्ति की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की सम्भावना हो तो ऐसी नियुक्ति करने के कलए आयोग से परामर्श किया जायेगा ।

परिवीक्षा

10. (1) मौलिक रिक्त में या उसके प्रति पद पर नियुक्ति किये जाने पर कोई व्यक्ति एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा ।

(2) परिवीक्षा अवधि की संगणना नियुक्ति का कार्य भार सम्भालने के दिनांक से की जायेगी ।

(3) परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने में आयोग के परामर्श से, और राज्यपाल के विवेक को किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई लगातार सेवा को जोड़ा जा सकता है।

(4) राज्यपाल पर्याप्त कारणों से, एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार अवधि बढ़ाने के आदेश में यह ठीक दिनांक उल्लिखित होगा जब तक के लिये बढ़ाई गई अवधि स्वीकृति की गई हो।

(5) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्तियों ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, अथवा वह अन्य प्रकार से संन्तुष्ट करने में असफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिसके लिये वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।

स्थायीकरण

11. (1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में अपने पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसे स्थायी किये जाने के लिये उपयुक्त समझा जाय और उसकी सत्य निष्ठा पर कोई आपत्ति न कीजा सकती हो।

(2) इस नियम के अधीन स्थायी कारण सरकारी गजट में विस्थापित किया जायेगा ।

भाग – 7 – वेतन

वेतनमान	**12.**	ऐसे पद पर नियुक्त व्यक्ति के लिये, चाहे वह मौलिक या स्थनापन्न रूप में या अस्थायी रूप में नियुक्त हो, अनुमन्य वेतनमान 400-25-500-द०रो०-25-550 रूपया होगा ।
परिवीक्षा अवधि में वेतन	**13.**	पद पर नियुक्त व्यक्ति का परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन नियम १६ में अभिदिष्ट संगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

भाग – 8 – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन	**14.**	सिवाय इस नियमावली में की गयी व्यवस्था के, भर्ती के लिये किसी भी सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अभ्यर्था के लिये समर्थन प्राप्त करने का प्रयास पद पर नियुक्त किये जाने के लिये उसे अनर्ह कर देगा ।
उन मामलों में जिनमें अनुचित कष्ट हो, सेवा नियमावली में शिथिलता	**15.**	यदि राज्यपाल का यह समाधान हो जाय कि इस नियमावली के किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कष्ट होता है तो वे, आयोग के परामर्श से, उस मामले में लागू होने वाले नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षातओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए अभियुक्त कर सकते हैं या शिथिल कर सकते हैं, जिन्हें वे उस मामले को ठीक भार उचित रीति से निपटाने के लिए आवश्यक समझें ।
ऐसे नियमों में, जिनका इस नियमावली से सम्बन्ध न हो, सामान्य नियमों का लागू किया जाना	**16.**	ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विशेष रूप से इस नियमावली या तद्धीन दिये गये अथवा जारी किये गये आदेशों या इस पद के सम्बन्ध में विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, मदवारी, उन नियमों, विनियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा जो उत्तर प्रदेश के प्रशासन के सम्बन्ध में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होतें हों ।

आज्ञा से,

(म० प्रसाद)
सचिव

<u>संख्या 1553(1)/बाईस-1384/1961</u>

प्रतिलिपि, अंग्रेजी में अनुवाद की प्रति सहित उत्तर प्रदेश के मुद्रण तथा लेखन सामग्री के अधीक्षक, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

(1) कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
(2) सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ।
(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश
(4) नियुक्ति (ख) विभाग

आज्ञा से,
(सच्चिदानन्द पाण्डेय)
उप सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (कारागार) अनुभाग - 1
संख्या 3874/बाईस-83-1348-61
लखनऊ, 18 जनवरी, 1984
अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा०प०नि०-7

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जेल विभाग प्राविधिक और शिक्षा सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनि यमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश जेल विभाग प्राविधिक और शिक्षा सेंवा नियमावली, 1983

भाग - एक - सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जेल विभाग प्राविधिक और शिक्षा सेवा नियमावली, 1983 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश जेल विभाग प्राविधिक और शिक्षा सेवा में समूह 'ग' और समूह 'घ' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में --
(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का विभिन्न श्रेणियों के पदो के सम्बन्ध में, तात्पर्य परिशिष्ट में प्रत्येक पद के सामने इंगित प्राधिकारी से है;
(ख) ''भारत का नागरिक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाये;
(ग) ''आयोग'' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है;
(घ) ''संविधान'' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
(ड़) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;
(च) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्य पाल से है;
(छ) ''सेवा का सदस्य'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के यह इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;
(ज) ''सेवा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश जेल विभाग प्राविधिक और शिक्षा सेवा से है;
(झ) ''मौलिक नियुक्ति'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित

प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ञ) ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग - दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग **4.** (1) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर आधारित की जाय।

(2) जब तक कृषि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा कि सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गई है,

परन्तु :-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर हकदार न होगा;

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझें।

भाग - तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत **5.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोत से की जायेगी -

		भर्ती का स्रोत
(1)	प्रधान अध्यापक	स्थायी अध्यापकों में से पदोन्नति
(2)	अध्यापक	सीधी भर्ती द्वारा
(3)	नलकूप चालक	सीधी भर्ती द्वारा
(4)	पम्प मैकेनिक	सीधी भर्ती द्वारा
(5)	कृषि पर्यवेंक्षक	सीधी भर्ती द्वारा
(6)	अम्बर चरखा प्रशिक्षक	सीधी भर्ती द्वारा
(7)	विद्युत चालित सिलाई मशीन मैकेनिक	सीधी भर्ती द्वारा
(8)	टेलर मास्टर	सीधी भर्ती द्वारा
(9)	दर्जी (टेलर)	सीधी भर्ती द्वारा
(10)	रंगाई प्रशिक्षक (ड्राइंग इन्स्ट्रक्टर)	सीधी भर्ती द्वारा
(11)	भ्रमणकारी रंगाई प्रशिक्षक (पेरीपैटेटिक इन्स्ट्रक्टर)	सीधी भर्ती द्वारा
(12)	बुनाई प्रशिक्षक (वीविंग) बुनाई शिक्षक	सीधी भर्ती द्वारा
(13)	भ्रमणकारी बुनाई प्रशिक्षक (भ्रमणकारी बुनाई शिक्षक)	सीधी भर्ती द्वारा
(14)	कम्बल बुनाई मास्टर	सीधी भर्ती द्वारा
(15)	भ्रमणकारी दरी प्रशिक्षक	सीधी भर्ती द्वारा
(16)	बढ़ईगिरी प्रशिक्षक (बढ़ई प्रशिक्षक)	सीधी भर्ती द्वारा
(17)	लोहार गिरी प्रशिक्षक	सीधी भर्ती द्वारा
(18)	चर्म कार्य मास्टर (लेदर वर्क) (चर्म-उद्योग प्रशिक्षक)	सीधी भर्ती द्वारा
(19)	तेल मिल मैकेनिक (आयल मिल मैकेनिक)	सीधी भर्ती द्वारा
(20)	टेन्ट फैक्टरी फोरमैन (टैन्ट फोरमैन)	सीधी भर्ती द्वारा
(21)	मोटर ड्राइवर (एक) भारी गाड़ी (मोटर	सीधी भर्ती द्वारा

	चालक) (दो) हल्की गाड़ी	
(22)	लैकर वर्क प्रशिक्षक	सीधी भर्ती द्वारा
(23)	फोरमैन, टैक्टर वर्कशाप	सीधी भर्ती द्वारा
(24)	पोलिशर	सीधी भर्ती द्वारा
(25)	बैण्ड मास्टर	सीधी भर्ती द्वारा
(26)	व्यायाम प्रशिक्षक (पी०टी० इन्स्ट्रक्टर)	शिक्षा विभाग से स्थानान्तरण द्वारा और यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो सीधी भर्ती द्वारा
(27)	पुस्कालयाध्यक्ष	सीधी भर्ती द्वारा
(28)	केन प्रशिक्षक	तदैव
(29)	ट्रैक्टर मैकेनिक - श्रेणी - एक	श्रेणी-दो के ट्रैक्टर मैकेनिकों में से पदोन्नति द्वारा
(30)	ट्रैक्टर मैकेनिक - श्रेणी - दो	सीधी भर्ती द्वारा
(31)	कृषि निरीक्षक - श्रेणी - एक	ऐसे कृषि निरीक्षक श्रेणी २ में से जिन्हें इस पद का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो, पदोन्नति द्वारा
(32)	कृषि निरीक्षक - श्रेणी - दो	ऐसे कृषि पर्यवेक्षक में से जिन्हे इस पद का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो
(33)	सिलाई-बुनाई प्रशिक्षिका	सीधी भर्ती द्वारा
(34)	कालीन बुनाई प्रशिक्षक (कालीन मास्टर)	तदैव
(35)	जनरल मैकेनिक (सामान्य मिस्त्री)	तदैव
(36)	टेलीफोन आपरेटर	तदैव
(37)	स्टीवर्ड	तदैव
(38)	बैन्डसा प्रशिक्षक	तदैव
(39)	पावरलूम मैकेनिक	तदैव
(40)	भ्रमणकारी फ्लोर मिल मिस्त्री एवं सुपरवाइजर (पेरीपेटिक मैकेनिक कम सुपरवाइजर)	तदैव
(41)	ऊन कताई मास्टर	तदैव
(42)	कताई मास्टर	तदैव
(43)	मशीन प्रशिक्षक	तदैव
(44)	अम्बर बुनाई प्रशिक्षक	तदैव
(45)	हस्त निर्मित कागज प्रशिक्षक (हैण्डमेड-पेपर इन्स्ट्रक्टर)	तदैव
(46)	टैक्ट्रर ड्राइवर (ट्रैक्टर चालक)	तदैव
(47)	साबुन और फिनायल प्रशिक्षक	तदैव
(48)	प्लम्बरिग प्रशिक्षक	तदैव
(49)	खेल-कूद सामान प्रशिक्षक	तदैव
(50)	ब्लिचिंग ड्राइंग एवं कैलिकोप्रिटिंग प्रशिक्षक	तदैव
(51)	पेंसिंल मेकिंग प्रशिक्षक	तदैव
(52)	फार्म लिपिक	तदैव
(53)	सफाई निरीक्षक (सेनेटरी इन्सपेक्टर)	तदैव

(54) मैकेनिक एवं सुपरवाइजर — तदैव
(55) ईट भट्ठा प्रशिक्षक (भट्ठा प्रशिक्षक) — तदैव

आरक्षण **6.** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग - चार - अर्हतायें

राष्ट्रीयता **7.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी -

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश-केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रब्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी :- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे उस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें **8.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हतायें हो :-

(1) अध्यापक-(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो;
(दो) बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो;
(तीन) देवनागरी लिपि में हिन्दी या कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए ;

(2) नलकूप चालक- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(3) पम्प मैकेनिक- माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो और व्यवसाय में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो।

(4) कृषि पर्यवेक्षक-(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा (कृषि) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो या हाईस्कूल और कृषि में डिप्लोमा।
(दो) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिये।

(5) अम्बर चरखा प्रशिक्षक-(एक) निम्न वेतनमान की स्थिति में सम्बद्ध व्यवसाय में अनुभव के साथ आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र।
(दो) कोई व्यक्ति जिसके पास व्यवसाय में डिप्लोमा हो या जिसने उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उच्चतर वेतन का हकदार होगा।

(6) विद्युत चालित सिलाई मशीन मैकेनिक-(एक) निम्नवेतनमान की स्थिति में सम्बद्ध व्यवसाय में

कम से कम तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

(दो) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सम्बद्ध व्यवसाय में डिप्लोमा हो या जिसने सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उच्चतर वेतन-मान का हकदार होगा।

(7) टेलर मास्टर- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिलाई में डिप्लोमा और तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।

(8) दर्जी (टेलर)- व्यवसाय का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

(9) रंगाई प्रशिक्षक (डाइंग इन्स्ट्रक्टर)-(एक) व्यवसाय का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

(दो) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से रंगाई में डिप्लोमा हो या जिसने सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उच्चतर वेतन-मान का हकदार होगा।

(10) भ्रमणकारी रंगाई प्रशिक्षक (पेरीपैटेटिक डाइंग इन्स्ट्रक्टर)-किसी मान्यता प्राप्त संस्था से रंगाई में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।

(11) बुनाई प्रशिक्षक-(एक) निम्न वेतन-मान की स्थिति में व्यवसाय का अनुभव के साथ आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण-पत्र।

(दो) कोई व्यक्ति जिसके पास बुनाई में डिप्लोमा हो या जिसने सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उच्चतर वेतनमान का हकदार होगा।

(12) भ्रमणकारी बुनाई प्रशिक्षक-(एक) निम्न वेतन-मान की स्थिति में व्यवसाय का अनुभव के साथ आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।

(दो) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा हो या जिसने सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उच्चतर वेतनमान का हकदार होगा।

(13) कम्बल बुनाई प्रशिक्षक (कम्बल बुनाई मास्टर)-(एक) निम्न वेतन-मान की स्थति में व्यवसाय का अनुभव के साथ आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा।

(दो) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्बल बुनाई में डिप्लोमा हो, उच्चतर वेतन मान का हकदार होगा।

(14) भ्रमणकारी दरी प्रशिक्षक-किसी मान्यता प्राप्त संस्था से दरी बनाने में डिप्लोमा और कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

(15) बढ़ईगिरी प्रशिक्षक (बढ़ई प्रशिक्षक)-(एक) निम्न वेतन मान की स्थिति में कम से कम तीन वर्ष का व्यवसाय का अनुभव।

(दो) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बढ़ईगिरी में डिप्लोमा हो या जो हाईस्कूल हो और आई०टी०आई० में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उच्चतर वेतन मान का हकदार होगा।

(16) लेहारगिरी प्रशिक्षक-(एक) निम्न वेतन मान की स्थिति में कम से कम तीन वर्ष का व्यवसाय का अनुभव।

(दो) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से लोहकर्म में डिप्लोमा हो, उच्चतर वेतन मान का हकदार होगा।

(17) चर्म कार्य मास्टर (चर्म उद्योग प्रशिक्षक)-(एक) निम्न वेतनमान की स्थिति में कम से कम तीन वर्ष का व्यवसाय का अनुभव।

(दो) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से चर्मकार्य में डिप्लोमा हो, उच्चतर वेतन मान का हकदार होगा।

(18) तेल मिल मैकेनिक (आयल मिल मैकेनिक)-कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव और जूनियर हाई स्कूल या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

(19) टेन्ट फैक्ट्री फोरमैन (टेन्ट फोरमैन)-(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

(दो) टेन्ट विनिर्माण संस्था से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि वह टेन्ट विनिर्माण व्यवसाय में पूरी तरह कुशल है।
(तीन) टेन्ट विनिर्माण के कार्य का कम से कम पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो।
(चार) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान ।

(20) मोटर ड्राइवर (क) भारी गाड़ी (मोटर चालक) - (एक) भारी गाड़ी चलाने में पूर्णतया प्रशिक्षित होना चाहिये ।
(दो) भारी गाड़ी चलाने का लाइसेंस रखता हो ।
(तीन) भारी गाड़ी चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।
(ख) हल्की गाड़ी : (एक) हल्की गाड़ी चलाने में पूर्णतया प्रशिक्षित होना चाहिये।
(दो) हल्की गाड़ी चलाने का लाइसेंस रखता हो ।
(तीन) हल्की गाड़ी चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो ।

(21) लैकर वर्क प्रशिक्षक किसी मान्यता प्राप्त संस्था से लैकर वर्क में डिप्लोमा और कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।

(22) फोरमैन, ट्रैक्टर वर्कशाप-यांत्रिक या आटोमोबाइल अभियांत्रिकी में तीन वर्ष के डिप्लोमा के साथ कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जिसमें से कम से कम एक वर्ष का ट्रैक्टर रिपेयर वर्कशाप में कार्य का अनुभव या यांत्रिक अभियांत्रिकी में उपाधि के साथ ट्रैक्टर रिपेयर वर्कशाप में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये ।

(23) पालिशर-आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण-पत्र या व्यवसाय का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।

(24) बैण्ड मास्टर - (एक) बैण्ड बजाने की कला में पूर्णतया प्रशिक्षित होना चाहिये।
(दो) इस कला को सिखाने के काम का कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।

(25) व्यायाम प्रशिक्षक (पी०टी० इन्स्ट्रक्टर)-(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से व्यायाम प्रशिक्षण में डिप्लोमा ।

(26) पुस्तकालयाध्यक्ष-पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र ।

(27) बेंत प्रशिक्षक-(एक) निम्न वेतनमान की स्थिति में आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण-पत्र ।
(दो) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बेंत कार्य में डिप्लोमा हो या जिसने सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उच्चतर वेतनमान का हकदार होगा ।

(28) ट्रैक्टर मैकेनिक श्रेणी दो - (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
(दो) यांत्रिक या आटोमोबाइल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र के साथ दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जिसमें कम से कम एक वर्ष का ट्रैक्टर रिपेयर वर्कशाप में कार्य अनुभव होना चहिये ।

(29) सिलाई बुनाई प्रशिक्षिका-आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र या समकक्ष प्रमाण-पत्र या कम से कम पांच वर्ष का व्यवसाय का अनुभव ।

(30) कालीन बुनाई प्रशिक्षक (कालीन मास्टर) - कालीन बुनाई में डिप्लोमा प्रमाण-पत्र या कम से कम पांच वर्ष का व्यवसाय का अनुभव ।

(31) जनरल मैकेनिक (सामान्य मिस्त्री) - (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
(दो) यांत्रिक कार्य में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण-पत्र ।

(32) टेलीफोन आपरेटर-(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
(दो) हिन्दी और अंग्रेजी बोलने का अच्छा ज्ञान हो ।

(33) स्टीवर्ड-(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
(दो) किसी संस्था या अस्पताल में आहार प्रबन्ध करने (कैटरिंग) का पांच वर्ष का अनुभव और स्टोर का अनुरक्षण करने की जानकारी ।

(34) बैण्डसा प्रशिक्षक- आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण-पत्र या कम से कम पांच वर्ष का व्यवसाय का अनुभव ।

(35) पवरलूम मैकेनिक-(एक) वस्त्र शिल्प (टेक्सटाइल टेक्नोलाजी) या विद्युत् करघा (पावरलूम) से बुनाई में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र ।
(दो) विद्युत् करघा से बुनाई और उसके अनुरक्षण का पांच वर्ष का अनुभव ।
टिप्पणी- यदि किसी अभ्यर्थी को इस व्यवसाय में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो और परीक्षा के पश्चात् विद्युतकरघा चलाने और उसके अनुरक्षण में दक्षता प्रदर्शित करें तो उपर्युक्त अर्हतायें शिथिल की जा सकती हैं ।
(तीन) देवनागरी लिपित में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान हो ।

(36) भ्रमणकारी फ्लोरमिल मिस्त्री एवं सुपरवाइजर (परीपटटिक मैकेनिक कम सुपरवाइजर) - (एक) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा या उत्तर प्रदेश की जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
(दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत पर्यवेक्षक का डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र और विद्युत् पर्यवेक्षण का और विद्युत चालित आटा मिलों के काम का व्यावहारिक अनुभव।

(37) ऊन कताई मास्टर-किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ऊन कातन का डिप्लोमा और तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।

(38) कताई मास्टर-(एक) कम से कम तीन वर्ष का व्यवसाय का अनुभव ।
(दो) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से टेक्सटाइल स्पिर्निंग में डिप्लोमा और कम से कम तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो, उच्चतर वेतन मान का हकदार होगा ।

(39) मशीन प्रशिक्षक-(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
(दो) आई०टी०आई० से मशीन व्यवसाय में दो वर्ष का प्रशिक्षण और इसी व्यवसाय में सी०टी०आई प्रशिक्षण ।

(40) अम्बर बुनाई प्रशिक्षक-(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
(दो) कोई व्यक्ति जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से अम्बर बुनाई में डिप्लोमा हो, उच्चतर वेतन मान का हकदार होगा ।
परन्तु यदि ऐसी अर्हता रखने वाले व्यक्ति उपलब्ध न हो तो नियुक्ति निम्नलिखित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों में से की जा सकती है -
(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
(दो) अम्बर बुनाई में आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र और व्यवसाय का अनुभव ।

(41) हस्त निर्मित कागज प्रशिक्षक (हैन्डमेड पेपर इन्स्ट्रक्टर)-हस्त निर्मित कागज में आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण-पत्र या कम से कम तीन वर्ष का व्यवसाय का अनुभव ।

(42) ट्रैक्टर ड्राइवर (ट्रैक्टर चालक)-(एक) ट्रैक्टर चलाने में पूर्णतया प्रशिक्षित होना चाहिये।
(दो) ट्रैक्टर चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिये ।
(तीन) ट्रैक्टर चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये ।

(43) साबुन और फिनायल प्रशिक्षक- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से साबुन और फिनायल बनाने में डिप्लोमा और कम से कम पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।

(44) प्लम्बरिंग प्रशिक्षक- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्लम्बरिंग के काम में डिप्लोमा और कम से

कम पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।

(45) खेल-कूद सामान प्रशिक्षक-किसी मान्यता प्राप्त संस्था से खेल-कूद का सामान बनाने में डिप्लोमा और कम से कम पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।

(46) ब्लिचिंग, डाइंग एवं कैलिको प्रिंटिंग प्रशिक्षक-किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विरंजन, रंगाई और कैलिको छपाई में डिप्लोमा और कम से कम पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।

(47) पेंसिल मेकिंग प्रशिक्षक-किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पेंसिल बनाने में डिप्लोमा और कम से कम पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।

(48) फार्म लिपिक - (एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
(दो) कृषि संक्रिया का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।
(तीन) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान ।

(49) सफाई निरीक्षक (सेनेट्री इन्स्पेक्टर)-(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
(दो) सफाई निरीक्षक के दिये विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ।

(50) मैकेनिक एवं सुपरवाइजर-(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
(दो) यांत्रिक कार्य में डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण-पत्र ।

(51) ईंट भट्ठा प्रशिक्षक (भट्ठा प्रशिक्षक)-(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
(दो) व्यवसाय का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसने -
(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।

आयु

10. अभ्यर्थी की आयु, जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें, और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जाये, फोरमैन टेन्ट फैक्टरी के पद पर सीधी भर्ती के लिये 25 वर्ष की हो जानी चाहिये और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये और अन्य पदों पर सीधी भर्ती के लिये 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ठ की जाय :

चरित्र

11. सेवा में किसी पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति अधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणी - संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैंः यदि उनका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है ।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जाएगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिय गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे ।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायगी ।

भाग - पांच - भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा ।

वह सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या की सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा यदि सेवायोजन कार्यालय से अपेक्षित संख्या में उपर्युक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा और सूचना पट्‌टों में चिपकाकर, उपयुक्त अर्हता वाले और सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा सकते हैं ।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होगें -

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी-अध्यक्ष,

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो अन्य अधिकारी जो अधीक्षक, केन्द्रीय जेल से अनिम्न पद के हों ।

(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में उपस्थिति होने की अपेक्षा करेगी ।

(3) चयन समिति अभ्यर्थियों को, उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो चयन समिति उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यताक्रम में रखेगी । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी ।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायगी ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता-क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति-प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

भाग - छः - नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

17. (1) नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 या 16 के अधीन तैयार की गयी सूची में हों ।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिनसे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलबध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है । ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी ।

परिवीक्षा **18.** (1) सेवा में या किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी ।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी ऐसे पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण **19.** किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता **20.** (1) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा, और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 17 के उपनियम (2) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो ।
परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्य-भार ग्रहण करने में विफल रहे । कारण की युक्तियुक्तता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी ।

भाग - सात - वेतन इत्यादि

वेतनमान **21.** (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये है ।

क्रम	पद का नाम	वेतनमान	
(1)	प्रधान अध्यापक	400-10-470-द०रो-10-500-15-560-द०रो -15-620 रूपया । रिक्त	
(2)	अध्यापक	(1)	365-8-405-10-425-द०रो०-10-485द०रो० 10-495-12-555 रूपया । हाई स्कूल और प्रशिक्षित के लिये ।
		(2)	350-7-380-8-396 द०रो० -8-444-द०रो० -8-460-10-500 रूपया जो हाई स्कूल नहीं है किन्तु प्रशिक्षित है ।
		(3)	335 रूपये नियत वेतन अप्रशिक्षित के लिये।
(3)	नलकूप चालक	315-6-351-द०रो०-6-363-7-384-8-400-द०रो० -8-440- रूपया ।	
(4)	पम्प मैकेनिक	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570-द०रो० -15-615 रूपया ।	
(5)	कृषि पर्यवेक्षक	400-10-450-12-474 द० रो०-12-570-15-615 रूपया ।	
(6)	अम्बर चरखा प्रशिक्षक	(1)	430-12-490-15-520-द०रो०-15640-द०रो०-15-685 रूपये उनके लिये जो हाईस्कूल है और व्यवसाय में डिप्लोमा या समकक्ष प्रमाण पत्र रखते हों ।
		(2)	354-10-424-द०रो०-10-454-12-14-द०रो०-12-550 रूपये उनके लिये जो आई०टी०आई० प्रमाण-पत्र रखते हों और जिन्हें व्यवसाय का अनुभव हो ।
(7)	पावरलूम मैकेनिक सिलाई मशीन (विद्युत चालित सिलाई मशीन मैकेनिक)	(1)	430-12-490-15-520-द०रो०-15640-द०रो०-15-685 रूपये उनके लिये जो व्यवसाय में डिप्लोमा या समकक्ष प्रमाण-पत्र रखते हों ।

		(2)	354-10-424-द०रो०-10-454-12-14-द०रो०–12-550 रूपये शेष के लिये।
(8)	टेलर मास्टर	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द० रो०-12-550 रूपया ।	
(9)	दर्जी (टेलर)	315-6-351-द० रो०-6-364-7384-8-400-द० रो०-8-440 रूपया ।	
(10)	रंगाई प्रशिक्षक (डाइंग इन्स्ट्रक्टर)	(1)	430-12-490-15-520-द०रो०-15-640-द०रो०-15-685 रूपये उनके लिये जो व्यवसाय में डिप्लोमा या समकक्ष प्रमाण–पत्र रखते हों ।
		(2)	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570 -द०रो०-15-615 रूपये शेष के लिये ।
(11)	भ्रमणकारी रंगाई प्रशिक्षक	354-10-424-द० रो०-10-454-12-514-द० रो०-12-550 रूपया ।	
(12)	बुनाई प्रशिक्षक (बुनाई शिक्षक)	(1)	430-12-490-15-520-द०रो०-15-640-द०रो०-15-685 रूपये उनके लिये जो व्यवसाय में डिप्लोमा या समकक्ष प्रमाण–पत्र रखते हों ।
		(2)	354-10-424-द० रो०-10-454-12-514 -द०रो०-12-550 रूपये उनके लिये जो आई०टी०आई० या समकक्ष प्रमाण–पत्र रखते हों और व्यवसाय का अनुभव हो ।
(13)	भ्रमणकारी बुनाई प्रशिक्षक (भ्रमणकारी बुनाई शिक्षक)	(1)	430-12-490-15-520-द०रो०-15-640-द०रो०-15-685 रूपये उनके लिये जो डिप्लोमा या समकक्ष प्रमाण–पत्र रखते हों ।
		(2)	354-10-424- द० रो०-10-454-12-514-द० रो०-12-550 रूपये उनके लिये जो आई०टी०आई० या समकक्ष प्रमाण पत्र रखते हों और व्यवसाय का अनुभव हों ।
(14)	कम्बल बुनाई मास्टर	(1)	430-12-490-15-520-द०रो०-15-640-द०रो०-15-685 रूपये उनके लिये जो डिप्लोमा या समकक्ष प्रमाण–पत्र रखते हों।
		(2)	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550 रूपये उनके लिये जो आई०टी०आई० या समकक्ष प्रमाण–पत्र रखते हों और व्यवसाय का अनुभव हो ।
(15)	भ्रमणकारी दरी प्रशिक्षक	354-10-424- द० रो०-10-454-12-514- द० रो०-12-550 रूपया ।	
(16)	बढ़ईगिरी प्रशिक्षक (बढ़ई प्रशिक्षक)	(1)	430-12-490-15-520- द० रो०-15-640-द० रो०-15-685 रूपये डिप्लोमा धारकों या हाईस्कूल के साथ इस व्यवसाय में आई०टी०आई० प्रशिक्षण वालों के लिए ।
		(2)	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550 रूपये शेष के लिये ।

(17)	लोहारगिरी प्रशिक्षक	(1)	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570 - द०रो०-15-615 रूपये व्यवसाय में डिप्लोमा धारकों के लिए ।
		(2)	354-10-424-द० रो०-10-454-12-514 - द०रो०-12-550 रूपये उनके लिये जिन्हें व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो ।
(18)	चर्म कार्य प्रशिक्षक (चर्म उद्योग प्रशिक्षक)	(1)	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570 द०रो०-12-615 रूपये व्यवसाय में डिप्लोमा धारकों के लिये ।
		(2)	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द० रो० -12-550 रूपये उनके लिये जिन्हें व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखते हों ।
(19)	तेल मिल मैकेनिक (आयल मिल मैकेनिक)	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570-द०रो०-15-615 रूपये ।	
(20)	टेण्ट फैक्टरी फोरमैन (टेन्ट फोरमैन)	515-15-590-18-626-द०रो०-18-680-20-780 द०रो०-20-860 रूपया ।	
(21)	मोटर ड्राइवर (मोटर चालक)	330-7-365-8-381-द०रो०–8-405-9-450-द० रो०-9-495 रूपये भारी और हल्की दोनों गाड़ी के लिये ।	
(22)	लेकर वर्क प्रशिक्षक	354-10-424- द० रो०-5-454-12-514 द०रो०-12-550 रूपया ।	
(23)	फोरमैन ट्रैक्टर वर्कशाप	625-30-835-द०रो०-30-925-35-1065-द० रो० -35-1240 रूपया ।	
(24)	पोलिशर	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550 रूपया ।	
(25)	बैण्ड मास्टर	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो० -12-550 रूपया ।	
(26)	व्यायाम प्रशिक्षक (पी०टी० इन्स्ट्रक्टर)	430-12-490-15-520-द० रो०-15-640-द० रो०-15-685 रूपया ।	
(27)	पुस्कालयाध्यक्ष	470-15-575- द० रो०-15-650-17-701-द० रो० -17-735 रूपया ।	
(28)	बेंत प्रशिक्षक	(1)	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570 द०रो०-15-615 रूपये डिप्लोमा या समकक्ष प्रमाण–पत्र धारकों के लिए ।
		(2)	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514 - द०रो०-12-550 रूपये व्यवसाय में आई०टी०आई० या समकक्ष प्रमाण–पत्र धारकों के लिये ।
(29)	ट्रैक्टर मैकेनिक श्रेणी–एक	515-590-18-625-द०रो०-18-680-20-780 - द०रो०-20-860 रूपया ।	
(30)	ट्रैक्टर मैकेनिक	(1)	430-12-490-15-520-द० रो०-15-640 -

	श्रेणी–दो			द०रो०-15-685 रूपये डिप्लोमा या समकक्ष प्रमाण–पत्र धारकों के लिये ।
			(2)	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570-द० रो०-15-615 रूपये शेष के लिये
(31)	कृषि निरीक्षक श्रेणी–एक	570-25-770-द०रो०-30-980-द०रो०-30-100 रूपया ।		
(32)	कृषि निरीक्षक श्रेणी–दो	470-15-575-द०रो०-15-650-17-701-द०रो० - 17-735 रूपया ।		
(33)	सिलाई बुनाई प्रशिक्षिका	354-10-424- द० रो०-10-454-12-514- द० रो०-12-550 रूपया ।		
(34)	कालीन बुनाई प्रशिक्षक (कालीन मास्टर)	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो० - 12-550 रूपया ।		
(35)	जनरल मैकेनिक (सामान्य मिस्त्री)	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो० - 12-550 रूपया ।		
(36)	टेलीफोन आपरेटर	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो० - 12-550 रूपया ।		
(37)	स्टीवर्ड	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो० - 12-550 रूपया ।		
(38)	बैण्ड सा प्रशिक्षक	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो० - 12-550 रूपया ।		
(39)	पावरलूम मैकेनिक	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570-द०रो० - 15-615 रूपया ।		
(40)	भ्रमणकारी फ्लोर मिल मिस्त्री एवं सुपरवाइजर (पेरीपेटिक मैकेनिक कम सुपरवाइजर)	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570द०रो० - 15-615 रूपया ।		
(41)	ऊन कताई मास्टर	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो० - 12-550 रूपया ।		
(42)	कताई मास्टर		(1)	430-12-490-15-520-द०रो०-15-640 द० रो०-15-685 रूपये केवल डिप्लोमा धारकों के लिये ।
			(2)	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514- द० रो०-12-550 रूपया शेष के लिए।
(43)	मशीन प्रशिक्षक	470-15-575-द०रो०-15-650-17-701-द०रो० - 17-735 रूपया ।		
(44)	अम्बर बुनाई प्रशिक्षक		(1)	430-12-490-15-520-द०रो०-15-640-द०रो०-15-685 रूपये हाईस्कूल ओर डिप्लोमा धारकों के लिए ।
			(2)	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570 द०रो०-15-615 रूपये उनके लिये जो हाईस्कूल और आई०टी०आई० प्रशिक्षित हो ।
			(3)	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-

		दॖरो०-12-550 रूपये आई०टी०आई० या समकक्ष प्रमाण-पत्र या व्यवसायिक प्रमाण-पत्र धारकों के लिये ।
(45)	हस्तनिर्मित कागज प्रशिक्षक (हैण्ड मेड पेपर इन्स्ट्रक्टर)	470-15-575-द०रो०-15-650-17-701-द०रो० - 17-735 रूपया ।
(46)	ट्रैक्टर ड्राइवर (ट्रैक्टर चालक)	300-7365-8-381-द०रो०-8-405-9-450 द० रो० -9-495 रूपया ।
(47)	साबुन और फिनाइल प्रशिक्षक	470-15-575-द०रो०-15-650-17-701-द०रो० - 17-735 रूपया ।
(48)	प्लम्बरिंग प्रशिक्षक	470-15-575-द०रो०-15-650-17-701-द०रो० - 17-735 रूपया ।
(49)	खेल-कूद सामान प्रशिक्षक	470-15-575-द०रो०-15-650-17-701-द०रो०-17-735 रूपया ।
(50)	ब्लिचिंग, ड्राइंग एवं कैलिको प्रिंटिंग प्रशिक्षक	470-15-575-द०रो०-15-650-17-701-द०रो०-17-735 रूपया ।
(51)	पेन्सिल मेकिंग प्रशिक्षक	470-15-575-द०रो०-15-650-17-701-द०रो०-17-735 रूपया ।
(52)	फार्म लिपिक	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550 रूपया ।
(53)	सफाई निरीक्षक (सेनेट्री इन्सपेक्टर)	470-15-575-द०रो०-15-650-17-701-द०रो०-17-735 रूपया ।
(54)	मैकेनिक एवं सुपरवाइजर	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514द०रो०-12-550 रूपया ।
(55)	ईंट भट्ठा प्रशिक्षक (भट्ठा प्रशिक्षक)	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570-द०रो० -15-615 रूपया ।

दक्षतारोक पार करने का मानदंड

22. (1) टेन्ट फैक्टरी फोरमैन का पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को -

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ;

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने अपनी तकनीकी प्रवीणता में विशिष्ट सुधार न किया हो और टेण्ट फैक्टरी में उत्पादन बढ़ाने और लाभ अर्जित करने में गहरी अभिरूचि न ली हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(2) टेण्ट फैक्टरी फोरमैन से भिन्न कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को -

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने

तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग – आठ – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन **23.** पद या सेवा के संबंध में लागू इन नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन **24.** ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

सेवा की शर्तो में शिथिलता **25.** जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है ।

व्यावृत्ति **26.** इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध करना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट
(नियम 4 (2) देखिये)

क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या			नियुक्ति प्राधिकारी
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1.	प्रधान अध्यापक	9	1	10	उप महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश
2.	अध्यापक	60	2	62	तदैव
3.	नलकूप चालक	5	6	11	तदैव
4.	पम्प मैकेनिक	3	..	3	जेल उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश
5.	कृषि पर्यवेक्षक	11	..	11	उप महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश
6.	अम्बर चरखा प्रशिक्षक	11	..	11	जेल उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश
7.	विद्युत चालित सिलाई मशीन मैकेनिक	2	1	3	तदैव
8.	टेलर मास्टर	5	..	5	तदैव
9.	दर्जी (टेलर)	1	..	1	तदैव

10.	रंगाई प्रशिक्षक	2	1	3	तदैव
11.	भ्रमणकारी रंगाई प्रशिक्षक	1	..	1	तदैव
12.	बुनाई प्रशिक्षक (बुनाई शिक्षक)	6	..	6	तदैव
क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या			नियुक्ति प्राधिकारी
		स्थायी	अस्थायी	योग	
13.	भ्रमणकारी बुनाई, प्रशिक्षक (भ्रमणकारी बुनाई शिक्षक)	2	..	2	तदैव
14.	कम्बल बुनाई प्रशिक्षक (कम्बल बुनाई मास्टर)	2	..	2	तदैव
15.	भ्रमणकारी दरी प्रशिक्षक	1	..	1	तदैव
16.	बढ़ई गिरी प्रशिक्षक (बढ़ई प्रशिक्षक)	4	1	5	तदैव
17.	लोहारगिरी प्रशिक्षक	1	1	2	तदैव
18.	चर्मकार्य प्रशिक्षक (चर्म उद्योग प्रशिक्षक)	3	..	3	तदैव
19.	तेल मिल मैकेनिक (आयल मिल मैकेनिक)	1	..	1	तदैव
20.	टेन्ट फैक्टरी फोरमैन (टेन्ट फोरमैन)	1	..	1	तदैव
21.	मोटर ड्राइवर (मोटर चालक) (भारी और हल्की गाड़ी)	6	6	12	उप महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश
22.	लेकर वर्क प्रशिक्षक	1	..	1	जेल उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश
23.	फोरमैन, ट्रैक्टर वर्कशाप	..	1	1	कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश
24.	पालिशर	2	..	2	जेल उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश
25.	बैण्ड मास्टर	3	..	3	उप महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश
26.	व्यायाम प्रशिक्षक (पी०टी० इन्स्ट्रक्टर)	1	..	1	तदैव
27.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	..	1	तदैव
28.	बेंत प्रशिक्षक	2	..	2	जेल उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश
29.	ट्रैक्टर मैकेनिक श्रेणी-एक	..	1	1	कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश
30.	ट्रैक्टर मैकेनिक श्रेणी-दो	..	1	1	तदैव
31.	कृषि निरीक्षक श्रेणी-एक	1	..	1	तदैव
32.	कृषि निरीक्षक श्रेणी-दो	..	3	3	तदैव
33.	सिलाई-बुनाई प्रशिक्षिका	1	..	1	जेल उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश
34.	कालीन बुनाई प्रशिक्षक (कालीन मास्टर)	1	..	1	तदैव

35.	जनरल मैकेनिक (सामान्य मिस्त्री)	..	1	1	कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश
36.	टेलीफोन आपरेटर	..	4	4	तदैव
37.	स्टीवर्ड	1	..	1	उप महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश
क्र० सं०	पदनाम	पदों की संख्या			नियुक्ति प्राधिकारी
		स्थायी	अस्थायी	योग	
38.	बैण्ड साप्रशिक्षक	2	..	2	जेल उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश
39.	पावर लूम मैकेनिक	2	..	2	तदैव
40.	भ्रमणकारी फ्लोर मिल मिस्त्री एवं सुपरवाइजर (पेरीपेटिक कम सुपर-वाइजर)	1	..	1	तदैव
41.	ऊन कताई मास्टर	1	..	1	तदैव
42.	कताई मास्टर	1	..	1	तदैव
43.	मशीन प्रशिक्षक	1	..	1	तदैव
44.	अम्बर बुनाई प्रशिक्षक	1	..	1	तदैव
45.	हस्त निर्मित कागज प्रशिक्षक (हैण्ड मेड पेपर इन्स्ट्रक्टर)	1	..	1	तदैव
46.	ट्रैक्टर ड्राइवर (ट्रैक्टर चालक)	2	23	25	उप महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश
47.	साबुन और फिनायल प्रशिक्षक	1	..	1	जेल उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश
48.	प्लम्बरिंग प्रशिक्षक	1	..	1	तदैव
49.	खेल कूद सामान प्रशिक्षक	1	..	1	जेल उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश
50.	ब्लीचिंग, ड्रांइग एवं कैलिको प्रिटिंग प्रशिक्षक	1	..	1	तदैव
51.	पेन्सिल मेंकिग प्रशिक्षक	1	..	1	तदैव
52.	फार्म लिपिक	5	..	5	कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश
53.	सफाई निरीक्षक (सेनेट्री इन्सपेक्टर)	1	1	2	तदैव
54.	मैकेनिक एवं सुपरवाइजर	1	..	1	तदैव
55.	ईट भट्ठा प्रशिक्षक (भट्ठा प्रशिक्षक)	..	1	1	तदैव

आज्ञा से

राम चन्द्र टकरू
सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह विभाग
अनुभाग - 1
(कारागार)
सं०-1698/बाइस-1-90-68-83
21 मार्च, 1991 ई०

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का, अतिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जेल (कृषि) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश जेल (कृषि) सेवा नियमावली, 1991

भाग - एक - सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जेल (कृषि) सेवा नियमावली, 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश जेल (कृषि) सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह (ख) के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में --

(क) **''नियुक्ति प्राधिकारी''** का तात्पर्य राज्यपाल से है ।

(ख) **''आयोग''** का तात्पर्य उ०प्र० लोक सेवा आयोग से है ।

(ग) **''संविधान''** का तात्पर्य भारत के संविधान से है ।

(घ) **''सरकार''** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ।

(ड़) **''राज्यपाल''** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्य पाल से है ।

(च) **''महानिरीक्षक''** का तात्पर्य कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है ।

(छ) **''सेवा का सदस्य''** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(ज) **"सेवा"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश जेल (कृषि) सेवा से है ।

(झ) **"मौलिक नियुक्ति"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो ।

(ञ) **"भर्ती का वर्ष"** का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग - दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग **4.** (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर आवधारित की जाय ।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गई है, परन्तु -

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर हकदार न होगा ।

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग - तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत **5.** सेवा में कृषि अधिकारी के पद पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कृषि निरीक्षक, समूह एक जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कुल पन्द्रह वर्ष की सेवा, जिसमें कृषि निरीक्षक, समूह-दो और कृषि पर्यवेक्षक के पदों पर सेवा सम्मिलित है, पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी ।

आरक्षण **6.** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग - चार- भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण **7.** नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम **6** के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा ।

भर्ती की प्रक्रिया **8.** पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श से चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी ।

भाग - पांच - नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति **9.** मौलिक रिक्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम से लेकर जिसमें वे नियम 8 में निर्दिष्ट नियमावली के उपबन्धों के अनुसार आयोग द्वारा तैयार की गई सूची में

आये हो, नियुक्ति करेगा ।

परिवीक्षा **10.** (1) किसी स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति किसी पद पर नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय ।

परन्तु, आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी ।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।

स्थायीकरण **11.** किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता **12.** नियम 9 अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेशों के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस क्रम में, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी ।

परन्तु एक साथ नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में थी जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय ।

भाग - छः - वेतन इत्यादि

वेतनमान **13.** (1) सेवा में किसी पद पर चाहे मौलिक का स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्ति का अनुमन्य वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं ।

परिवीक्षा अवधि में वेतन **14.** सेवा में किसी पद पर नियुक्त और परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित किया जायेगा ।

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायगी, जब तक

कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड — **15.** किसी व्यक्ति को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन मामलों पर पर्याप्त प्रशासनिक नियंत्रण और प्रभावी पर्यवेक्षण न हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय, और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग - सात - अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन — **16.** किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा । अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन — **17.** ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें ।

सेवा की शर्तो में शिथिलता — **18.** जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है,

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायगा ।

व्यावृत्ति — **19.** इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट
(नियम 4 (2) और 13 (2) देखिये)

पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	
		स्थायी	अस्थायी
1	2	3	4

कृषि अधिकारी	2200-75-2800-द०रो०-100-4000 रूपये	..	1

आज्ञा से
कर्नेल सिंह
सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह कारागार अनुभाग – 1
संख्या 1116/बाइस-82-1367-61
लखनऊ 14 मार्च, 1983
अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा० प० नि० – 24

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जेल नर्सिंग सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तर प्रदेश जेल नर्सिंग सेवा नियमावली 1983

भाग – एक – सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जेल नर्सिंग सेवा नियमावली 1983 कही जायेगी ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश जेल नर्सिंग सेवा एक अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं

परिभाषायें

3.
(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** का तात्पर्य कारागार उप महानिरीक्षक मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से है,
(ख) **"भारत का नागरिक"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,
(ग) **"संविधान"** का तात्पर्य भारत का संविधान से है,
(घ) **"उप-महानिरीक्षक"** का तात्पर्य जेल सर्निंग सेवा के अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य को देखने वाले कारागार उप महानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश से है,
(ड़) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,
(च) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,
(छ) **"महानिरीक्षक"** का तात्पर्य कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है,
(ज) **"सेवा का सदस्य"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है।
(झ) **"सेवा"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश जेल नर्सिंग सेवा से है,

(ञ) **"मौलिक नियुक्ति"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो,

(ट) **"भर्ती का वर्ष"** का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग - दो - संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गयी है :

परन्तु--

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसी अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझे

भाग - तीन - भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी ।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा ।

भाग - चार - अर्हतायें

राष्ट्रियता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थीः--

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, उगांड़ा, और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रब्रजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होगा चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के आगे तब ही सेवा में रखा जा सकता है जब कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणीः--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि

आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें

8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहियेः-

(1) मैट्रन

अनिवार्य --

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये,

(ख) पुरूष महिला और बालक की चिकित्सा और शल्य नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिये,

(ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से क्षात्री कर्म (मिडवाइफरी) में डिप्लोमा होना चाहिये,

(घ) नर्सिंग प्रशासन में उत्तर प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का डिप्लोमा होना चाहिए,

(ङ) सिस्टर के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए,

(च) नर्स और मिडवाइफ दोनों ही रूप में यू० पी० नर्सेज एण्ड म्डिाइफ कौसिंल में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के योग्य होना चाहिये, और

(छ) देवनागिरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए ।

अधिमानी --

(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बी०एस०सी० (नर्सिंग) या एम० एस० सी० (नर्सिंग) की उपाधि,

(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से लोक स्वास्थ्य नर्सिंग का प्रमाण-पत्र होना चाहिए,

(ग) सिस्टर या सहायक मेट्रन के रूप में अनुभव ।

टिप्पणीः मेट्रन के पद पर भर्ती के लिये पुरूष पात्र न होंगे ।

(2) नर्स

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये,

(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से धात्री कर्म में डिप्लोमा या सहायक नर्सिंग प्रमाण-पत्र होना चाहिये,

(ग) नर्स और मिडवाइफ दोनों ही रूप में यू०पी० नर्सेज एण्ड मिडवाइफ कौंसिल में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए,

(घ) पुरूष, महिला और बालक को चिकित्सीय और शल्य नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिये, और

(ङ) देवनागिरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए ।

टिप्पणीः नर्स के पद पर भर्ती के लिये पुरूष पात्र न होंगे ।

(3) कम्पाउण्डर (भेषजिक)

	मूल नियम	दिनांक .... से प्रतिस्थापित
(क)	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टारमीडिएट परीक्षा विज्ञान और जीव-विज्ञान विषय के साथ या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये,	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इन्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए,
(ख)	उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय का औषण निर्माण शास्त्र मुें निहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का डिप्लोमा होना चाहिये,	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ऐलोपैथिक भेषजिका में डिप्लोमा होना चाहिए,
(ग)	राजकीय औषध निर्माण परिषद में भेषजिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, और	राजकीय औषध निर्माण परिषद उत्तर प्रदेश में ऐलोपैथिक भेषजिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, और
(घ)	देवनागिरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए ।	देवनागिरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए ।

(4) एक्स-रे प्राविधिक

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टारमीडिएट परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय के साथ या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये,

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय का एक्स-रे टेक्नोलोजी में निहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का डिप्लोमा होना चाहिये,

(ग) राजकीय औषध निर्माण परिषद में भेषजिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, और

---

*उत्तर प्रदेश जेल नर्सिंग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1999 सं० ...... दि०..... द्वारा संशोधित

(5) प्रयोगशाला प्राविधिक

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टारमीडिएट परीक्षा विज्ञान विषय के साथ या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये,

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय, प्रयोगशाला टेक्नालोजी में निहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का डिप्लोमा होना चाहिये,

(ग) राजकीय औषध निर्माण परिषद में भेषजिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, और

(6) स्टूयूअर्ड

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये,

(ख) खान-पान प्रबन्ध और पाठशाला प्रबन्ध तथा भोजन के विवरण और खाद्य पदार्थो की खरीदारी में निपुण और उनका वयवहारिक ज्ञान होना चाहिये, और

(ग) राजकीय औषध निर्माण परिषद में भेषजिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, और

अधिमानी अर्हतायें

9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमन दिया जायगा, जिसनें--

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष का न्यूनतम अवधि तक की सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का “बी” प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।

आयु

10. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम और अधिकतम आयु उतनी होनी चाहिए जितनी नीचे प्रत्येक पद के सामने दी गयी हैं और उसकी गणना जिस वर्ष भर्ती की जाय, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापति किये जायें, की जायेगी --

	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1- मेट्रन	25 वर्ष	40 वर्ष
2- नर्स	21 वर्ष	40 वर्ष
3- कम्पाउण्डर (भेषजिक)	18 वर्ष	28 वर्ष
4- एक्स-रे प्राविधिज्ञ	18 वर्ष	28 वर्ष
5- प्रयोगशाला प्राविधिक	18 वर्ष	28 वर्ष
6- स्टूयूअर्ड	18 वर्ष	28 वर्ष

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणीः संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी नियम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये

दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति **12.** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसके पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो ।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं ।

शारीरिक स्वस्थता **13.** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किस अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाय कि वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें ।

भाग - पाँच - भर्ती की प्रक्रिया

		मूल नियम	दिनांक .... से प्रतिस्थापित
रिक्तियों की अवधारणा	**14.**	नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत नियमों और आदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान भीर जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उनकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा ।	नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा ।
चयन समिति	**15.**	(1) भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायगा, जिसमें निम्नलिखित होगें:-	(1) सेवा में मैट्रन और नम्र के पदों की सीधी भर्ती करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित रीति में रिक्तियां अधिसूचित करेगी :-
		(क) कारागार उप महानिरीक्षक,	(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके,
		(ख) उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रथम), लखनऊ और	(दो) कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो / दूरदर्शन के माध्यम से और अन्य रोजगार समाचार पत्रों में विज्ञापन करके, और
		(ग) चिकित्सा अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ ।	(तीन) सेवा योजन कार्यालय की रिक्तियां अधिूसचित करके ।
		(2) चयन समिति आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी ।	मैट्रन और नर्स के पद पर सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होगें :- (क) कारागार उप महानिरीक्षक (ख) उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम), लखनऊ । (ग) चिकित्सा अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ । **टिप्पणीः** चयन समिति में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और अनय पिछड़े वर्गो के नागरिकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर पद्रेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार किया जाएगा।
		(3) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगी । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें, तो चयन समिति उनके नाम पद के लिये	(2) चयन समिति आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगी । (3) चयन समिति अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर

	उनको सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यताक्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या के अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी ।	अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से धिक, (किन्तु 15 प्रतिशत से अनधिक) होगी। चयन समिति सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।
नये नियम का बढ़ाया जाना		**15.**(क) – सेवा में कम्पाउन्डर (भेषजिक) एक्स-रे प्राविधिक प्रयोगशाला प्राविधिक और स्टयूअर्ड पदों की सीधी भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (उ० प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 के उपबन्धों के अनुसार की जायगी ।

*उत्तर प्रदेश जेल नर्सिंग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1999 सं० ...... दि०..... द्वारा संशोधित

भाग – छः – नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

			मूल नियम	दिनांक .... से प्रतिस्थापित
नियुक्ति	**16.**	(1)	नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम नियम 15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो ।	नियुकित प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर जिसमें वे यथास्थिति नियम 15 या 15-क के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों, नियुक्ति करेगा।
		(2)	नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूची में से नियुक्तियां कर सकता है, यदि इस सूची का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेगी ।	यदि किसी चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से धिक आदेश जारी किये जॉय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख उस ज्येष्ठता क्रम में दिया जाएगा जैसा चयन में अवधारित किया जाय ।

परिवीक्षा **17.** (1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी ।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथ विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्त को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पर पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण **18.** किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि-

(क) उसने विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय,

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

ज्येष्ठता

19. एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी के पद पर नियुक्त व्यक्तियों की जयेष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेशों के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यत्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उसमें क्रम में उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी।

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और, अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।

*उत्तर प्रदेश जेल नर्सिंग सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1999 सं० ...... दि०..... द्वारा संशोधित

भाग - सात - वेतन इत्यादि

वेतन इत्यादि

20. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिया गया हैः-

क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान
1.	मैट्रन	515-15-590-18-626-द०रो०-18-680-20-780द०रो०-20-860
2.	नर्स	470-15-575-द०रो०-15-650-17-701द०रो०-17-735
3.	कम्पाउन्डर (भेषजिक)	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570-द०रो०-15-615
4.	एक्स-रे-प्राविधिज्ञ	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570-द०रो०-15-615
5.	प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ	400-10-450-12-474-द०रो०-12-570-द०रो०-15-615
6.	स्ट्यूअर्ड	354-10-424-द०रो०-10-45412-514-द०रो०-12-550

परिवीक्षा अवधि में वेतन

21. (1) फण्डामेन्टल रूल्स के किसी प्रतिकूल उपलब्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से जो स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान वेतन में प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और प्रशिक्षण जहाँ विहित हो प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

दक्षतारोक पार करने का

22. (1) प्रथम दक्षता रोक (जहां पर ऐसी दो दक्षता रोक हो) पार करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी

मानदण्ड — जब तक कि वह कारागर अधिनियम और सुसंगत नियमावली का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लिया है, उसके कार्य एवं आचरण को संतोषजनक नहीं पाया गया है और उसकी ईमानदारी को प्रमाणित नहीं किया गया है, और

(2) द्वितीय दक्षता रोक या एकल दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग - आठ - अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन — **23.** पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन — **24.** ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

सेवा की शर्तो में शिथिलता — **25.** जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्य पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति — **26.** इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट "क"
[नियम 4 (2) देखिए]

सेवा की स्वीकृत सदस्य-संख्या निम्नलिखित है :-

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या		योग
		स्थायी	अस्थायी	
1.	मैट्रन	03	-	03
2.	नर्स	02	02	04
3.	कम्पाउन्डर (भेषजिक)	72	56	128

4.	एक्स-रे-प्राविधिज्ञ	01	-	01
5.	प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ	-	7	07
6.	स्ट्यूअर्ड	01	-	01

आज्ञा से
राम चन्द्र टकरू,
सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (जेल) अनुभाग-1
संख्या 3319/बाइस -84-1368-61
लखनऊ 6 फरवरी, 1985

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा०प०नि० - 48

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों ओर आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यपाक वर्ग) सेवा नियमावली, 1985

भाग एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1.** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा नियमावली,1985 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

सेवा की प्रास्थिति **2.** उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यापक वर्ग) सेवा एक आराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह ''ग'' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें **3.** जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,

(क) ''**नियुक्ति प्राधिकारी**'' का तात्पर्य कारागार महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश से है;

(ख) ''**भारत का नागरिक**'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाय;

(ग) ''**आयोग**'' का तात्पर्य लोक सेवा अयोग, उत्तर प्रदेश से है;

(घ) "**संविधान**" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ङ) ''**सरकार**'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) ''**राज्यपाल**'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) ''**सेवा का सदस्य**'' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या

आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) **''सेवा''** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय (अध्यपाक वर्ग) सेवा से है;

(झ) **''मौलिक नियुक्ति''** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ओर यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी है;

(ञ) **''भर्ती का वर्ष''** का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ हाने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या ओर उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी इस नियमावली के परिशिष्ठ में दी गयी है;

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यकि प्रतिकर का हकदार न होगा;

(दो) राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते है, जो उचित समझे जाये;

भाग -तीन-भर्ती

भर्ती का स्त्रोत

5. सेवा में सभी पद इस नियमावली के भाग पांच के नियम 15 में उपबंधित रीति से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों ओर अन्य श्रेणियों के अभ्यभियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग - चार - अर्हतायें

राष्ट्रिकता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भरत आया हो या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलकां या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका ओर जंजीबार) से प्रजनन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभयर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया

गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी उपर्युक्त (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नही किया जायगा, और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले;

टिपण्णीः- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक ही, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हतायें **8.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी की प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित अनिवार्य अर्हताएं हो और ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान किदया जायगा जो नीचे ऐसे पद के सामने इंगित अधिमानी अर्हताए रखता होः-

(1) मनोविज्ञान-प्रध्यापक

(क) **अनिवार्यः** अपराध मनोविज्ञान के एक प्रश्न पत्र के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि; या

(ख) अपराध-विज्ञान में डिप्लोमा के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि; या

(ग) मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें एम०ए० स्तर पर सामाजिक मनोविकार (सोशल पैथालोजी) या सामाजिक अव्यवस्था (डिसआरपैनाइजेशन) का एक प्रश्न-पत्र हो या स्नातकोत्तर उपाधि के किसी प्रश्न-पत्र के बदले में अपराध मनोविज्ञान के एकपक्ष पर अपराध विज्ञान शोध प्रबन्ध हो।

अधिमनः (क) विषय में डाक्टर की उपाधि,

(ख) हिन्दी का अच्छा ज्ञान,

(2) अपराध-विज्ञान और दण्ड शास्त्र-प्राध्यापक

अनिवार्यः समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य या मानव-शास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, बशर्ते कि निम्नलिखित में से प्रत्येक पर एक पूर्ण प्रश्न-पत्र लिखा गया हो-

(क) समाज शास्त्र या सामाजिक मनोविकार या समाज मनोविज्ञन या समाज मानव शास्त्र, और

(ख) अपराध विज्ञान और दण्ड शास्त्र या अपराध मनोविज्ञान।

अधिमानः

(क) विषय में डाक्टर की उपाधि;

(ख) हिन्दी का अच्छा ज्ञान ।

(3) दण्ड शास्त्र और परिवीक्षा-प्रधायपक

अनिवार्यः अपराध-विज्ञान या समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि जिसमें अपराध मनोविज्ञान सुधारात्मक प्रशासन या अपराध-विज्ञान या ज्ञान का समाज शास्त्र के एक प्रश्न-पत्र या डिप्लोमा हो।

अधिमानः

(क) विषय में डाक्टर की उपाधि;

(ख) हिन्दी का अच्छा ज्ञान।

(4) समाजशास्त्र प्रध्यापक

अनिवार्यः तुलनात्मक समाज शास्त्र या ज्ञान का समाज शास्त्र पर एक प्रश्न-पत्र के साथ समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि।

अधिमानः

(क) जिस अभ्यर्थी की विषय में डाक्टर की उपाधि हो उसे अधिमान दिया जायगा।

(ख) हिन्दी का अच्छा ज्ञान ।

(5) व्यायाम शिक्षक

(क) **अनिवार्यः** माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडियट परीक्षा या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए;

(ख) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी व्यायाम शिक्षा महाविद्यालय में पूरे एक वर्ष की प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो; और

(ग) देवनगरी लिपि में लिखित हिन्दी का अच्छा ज्ञान हो।

अधिमानी अर्हता

9. अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसने

एक प्रदेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,या

दो राष्ट्रीय कैडेट कोर का ‘‘बी’’ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को,यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें, और पहली जुलाई को यदि पद जुलाई से ३१ दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किया जाये, 21 वर्ष की हो जानी चाहिये ओर 30 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधन कर लेगा।

टिप्पणीः- संघ सरकार या किसी राज्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय, द्वारा पदच्च्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी भी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्निया जीवित हो और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही होः

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनैन्शियल हैण्डबुल, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

भाग पांच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) चयन के लिए विचारार्थ आवेदन-पत्र अयोग द्वारा विहित प्रपत्र में जो भुगतान किये जाने पर, यदि कोई हो, अयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते है, आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) अयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिशिचत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग अभ्यर्थियों को, उनकी प्रवीणता क्रम में रखेगा जैसा कि साक्षत्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर,बराबर अंक प्राप्त करे तो अयोग उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक(किन्तु पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी। आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

भाग-छः-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

16. 1- नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में विभिन्न पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम नियम 15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो।

2- नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापत्र रूप में उप नियम (1) में सूची में नियुक्तियां कर सकता हैं यदि उस सूची का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों परिसीमन) विनियम,

1954 के विनियम 5 (क) के उपबन्धों के अधीन होगी।

परिवीक्षा **17.** 1- सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा।

2- नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगें, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ाई जायः

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी ।

3- यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत है कि परिवक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है;

4- उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

5- नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणन करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है

स्थायीकरण **18-** किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि-

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधन हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

भाग सात-वेतन इत्यादि

वेतनमान **19.** 1- सेवा में विभित्र पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापत्र रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

2- इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये है

पद का नाम		वेतनमान
(एक)	मनोविज्ञान-प्राध्यापक	690-40-970-द० रो०-40-1050-50-1200 द०रो०-50-1300-60-1420 रूपया।
(दो)	अपराध विज्ञन और दण्ड शास्त्र प्राध्यापक	
(तीन)	दण्ड शास्त्र और परिवीक्षा प्राध्यापक	
(चार)	समाज शास्त्र प्राध्यापक	
(पांच)	व्यायाम शिक्षक ..	430-12-490-15-520-द०रो०15-640 द०रो०-15-685 रूपया।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

20. 1- फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय-मन में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ।

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

2- ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई ।पद धरण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना अवधि की गणन वेतन-वृद्धि के लिए नही की जयगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

3- ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा -अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

दक्षतारोक पार करने का मान दंड

21. 1- किसी व्यक्ति को-

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोतम योग्यता से कार्य न किया हो उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन	**22.**	पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों क अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक,विचार नहीं किया जायगां किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा
अन्य विषयों का विनियमन	**23.**	ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर समान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगें।
सेवा की शर्तो में शिथिलता	**24.**	जहां राज्य सरकार यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाल किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अननुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक ओर ऐसी शर्तों अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और सभ्यपूर्ण-रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती हैः परन्तु जहां कोई नियम अयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहां उस नियम की अपेक्षाओं अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायगा।
न्यायवृति	**25.**	इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

परिशिष्ट
[नियम 4 (2) देखिए]

सेवा की सदस्य-संख्या

क्र० सं०	पद	संख्या	
		स्थायी	अस्थायी
1-	मनोविज्ञान-प्रध्यापक	1	-
2-	अपराध विज्ञान ओर दण्ड शास्त्र-प्रध्यापक	1	-
3-	दण्ड शास्त्र और परिवीक्षा प्राध्यापक	-	1
4-	समाज शास्त्र-प्राध्यापक	-	1
5-	व्यायाम शिक्षक	1	-

आज्ञा से,
बी०एन०तिवा
री,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह विभाग (कारागार अनुभाग-1)
संख्या 4276/बाइस-1505-61
मई 1972

संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके तथा प्रस्तुत विषय पर विद्यमान समस्त आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल कारागार विभाग की चतुर्थ श्रेणी सेवा में पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः--

कारागार विभाग की चतुर्थ श्रेणी सेवा नियमावली, 1972

भाग - 1 - सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ **1.** (1) यह नियमावली कारागार विभाग की चुतर्थ श्रेणी सेवा नियमावली, 1972 कहलाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति **2.** कारागार विभाग की चतुर्थ श्रेणी सेवा चतुर्थ श्रेणी की 'घ' सेवा है।

नियुक्ति प्राधिकारी **3.** सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदो के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित होगेः--

पद	नियुक्ति प्राधिकारी
(1) कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के पद	कारागार महानिरीक्षक के कार्यालय के अधिष्ठान का प्रभारी उपमहानिरीक्षक
(2) उ० प्र० जेल डिपो के पद	निदेशक, कारागार उद्योग, उ० प्र०
(3) कारागार प्रशिक्षण विद्यालय के पद	प्रधानाचार्य, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय
(4) कारागार के पद	सम्बद्ध केन्द्रीय कारागार का अधीक्षक

परिभाषाएं **4.** जब तक कि विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में -

(क) **"संविधान"** का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(ख) **"उप-महानिरीक्षक"** का तात्पर्य कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के अधिष्ठान के प्रभारी उप महानिरीक्षक से है,

(ग) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(घ) **"महानिरीक्षक"** का तात्पर्य कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है,

(ड़) **"सेवा का सदस्य"** का तात्पर्य इस नियमावली के अथवा इस नियमावली के प्रचलित होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन सेवा के सन्दर्भ में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति से है,

(च) **"सेवा"** का तात्पर्य कारागार विभाग की चतुर्थ श्रेणी की सेवा से है।

भाग - 2 - संवर्ग

सेवा में पदों की संख्या

5. (1) सेवा के पदों की और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा के और उसमें प्रत्येक श्रेणी के स्थायी पदों की संख्या अब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित है।

प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है, या राज्यपाल किसी ऐसे पद को आस्थगित रख सकते हैं, जिसके लिए कोई व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा, और (2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते है जो समय-समय पर आवश्यक समझे जायं ।

भाग - 3 - भर्ती

भर्ती का स्रोत

6. सेवा के विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जाएगीः-

(1) महानिरीक्षक के कार्यालय मे दफ्तरी--महानिरीक्षक के कार्यालय में स्थायी चपरासियों (जिनके अन्तगर्त अर्दली चपरासी भी हैं) में से पदोन्नति द्वारा।

(2) महानिरीक्षक के कार्यालय में जमादार या मुख्य चपरासी--महानिरीक्षक के कार्यालय में स्थायी चपरासियों (जिनके अन्तर्गत अर्दली चपरासी भी हैं) में से पदोन्नति द्वारा।

(3) महानिरीक्षक के कार्यालय, उत्तर प्रदेश जेल डिपो और कारागार प्रशिक्षण विद्यालय के चपरासी (जिसके अन्तर्गत अर्दली चपरासी भी है);

(4) महानिरीक्षक और कारागार प्रशिक्षण विद्यालय के कार्यालय में चौकीदार;

(5) महानिरीक्षक के कार्यालय में पानीवाला;

(6) कारागार प्रशिक्षण विद्यालय में खलासी;

(7) महानिरीक्षक के कार्यालय, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय में माली;

(8) महानिरीक्षक के कार्यालय, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय और कारागार में सफाईकार;

(9) उत्तर प्रदेश जेल डिपो में अनुचर (अटेन्डेन्ट);

(10) कारागार प्रशिक्षण विद्यालय में चिकित्सालय अर्दली;

(11) कारागार के गाड़ीवान;

(12) कारागार में चाभी वाले;

(13) कारागार में पानी लाने ले जाने वाले (कहार और भिश्ती);

सीधी भर्ती द्वारा

(14) कारागार में चरवाहा (हड्र्समेन)

(15) कामदार

(16) उद्यान कुली

(17) नर्सिंग अर्दली

अनुसूचित जातियों /आदिम जातियों के लिए आरक्षण

7. सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त आरक्षण के आदेशों के अनुसार होगा। (इस नियमावली के प्रस्थापन के समय प्रवृत्त आदेशों की एक प्रति परिशिष्ट 'ख' पर है)

भाग - 4 - अर्हताएं

राष्ट्रिकता

8. सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का :--
(क) भारत का नागरिक, या
(ख) सिक्किम की प्रजा, या
(ग) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से १ जनवरी 1962 के पूर्व आया हो या (घ) भारतीय उद्भव का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा पूर्वी अफ्रीका के देशों (केनिया, उगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती) तांगानिका और जंजीवार से प्रव्रजन किया हो, होना आवश्यक है।

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) या (घ) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि श्रेणी (ग) के अभ्यर्थी को उप महानिरीक्षक, गुप्तचर विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुदत्त पात्रता का पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (घ) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक के लिये जारी नही किया जायगा और ऐसा अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के पश्चात तब ही सेवा में रखा जा सकता है जब कि वह भारत का नागरिक हो जाय।

टिप्पणी:--ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुज्ञा दी जा सकती है और उसे इस शर्त पर अस्थायी रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि वह या तो आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले या वह उसके पक्ष में जारी किया जाय।

आयु

9. सेवा में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस वर्ष की जिसमें भर्ती की जाय, पहली जनवरी से 18 वर्ष की आयु का हो और 30 वर्ष की आयु का न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सेवा में भूतपूर्व सैनिक की नियुक्ति की जा सकती है यदि उसकी आयु उक्त दिनांक को 40 वर्ष की न हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि अनुसूचित जातियाँ, आदिम जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्च आयु सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी ।

10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर ले।

टिप्पणी-संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

11. द्वि विवाह--कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी

जीवित हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है।

स्वस्थता **12.** कोई भी व्यक्ति सेवा में तब तक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने संबद्ध पद के कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो और जब तक वह फन्डामेन्टल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड 2, भाग 3 के अध्याय 3 में दिये गये नियमों के अनुसार इस आशय का स्वस्थता-प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें।

शैक्षिक अर्हताय **13.** चपरासी, अर्दली, अनुचर और कामदार के पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी किसी स्कूल की कक्षा 5 की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान करेगा ।

भाग – 5 – सीधी भर्ती

चयन द्वारा भर्ती **14.** जब कभी सीधी भर्ती करने का निश्चय किया जाय, नियुक्ति प्राधिकारी संबद्ध सेवायोजन कार्यालय से अभ्यथियों के नाम तथा विवरण प्राप्त करने के पश्चात पद के लिये अर्ह और सभी प्रकार से उपयुक्त अभ्यथियों में से उतने सबसे अच्छे अभ्यथियों का चयन करेगा जितनी प्रत्येक पद के लिये रिक्तियां हों। प्रत्येक पद के लिये चुने गये अभ्यथियों की सूची अधिमान क्रम में तैयार की जायगी।

भाग – 6 – पदोन्नति द्वारा भर्ती

ज्येष्ठता के आधार पर किन्तु अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए चयन **15.** जब कभी महानिरीक्षक के कार्यालय में नियम 6(1) और 6(2) के अधीन दफ्तरी और जमादार या मुख्य चपरासी के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती करने का निश्चय किया जाय, उप महानिरीक्षक पदोन्नति के लिये महानिरीक्षक के कार्यालय के स्थायी चपरासियों (जिसके अन्तर्गत अर्दली चपरासी भी है) में से ज्येष्ठता के आधार पर, किन्तु अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए, अभ्यर्थियों का चयन करेगा। दफ्तरी के पद पर पदोन्नति के लिये चयन करने में उप महानिरीक्षक अपना यह समाधान करेगा कि चुने गये अभ्यर्थी दफ्तरी के पद के कर्त्तव्यों का संतोषजनक ढ़ंग से पालन करने के लिये उपयुक्त है। चुने गये अभ्यर्थियों की सूची ज्येष्ठता-क्रम में तैयार की जायेगी।

भाग – 7 – नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

नियुक्ति **16.** (1) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में, स्थायी रिक्तियॉ होने पर, विभिन्न श्रेणी के पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम, यथास्थिति नियम 14 या 15 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में भी उपर्युक्त उप नियम (1) में उल्लिखित सूची से नियुक्तियॉ कर सकता है। यदि उस सूची के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रिक्तियों में उन व्यक्तियों में से नियुक्ति कर सकता है, जो इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिये पात्र

हों।

परिवीक्षा

17. (1) सेवा में नियुक्त किये जाने पर सभी अभ्यर्थी मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखे जायेगें :

प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी व्यक्ति विशेष मामले में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है। परिवीक्षा-अवधि बढ़ाने के किसी ऐसे आदेश में वह ठीक दिनांक निर्दिष्ट होगा जब तक के लिये परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय और सेवा के संदर्भ में सम्मिलित किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई लगातार सेवा अवधि पर उस श्रेणी के पद के लिये परिवीक्षा अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ विचार किया जा सकता है।

(2) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान जैसी भी दशा हो, किसी समय पर प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या यदि उसने अपने कर्त्तव्यों का अन्यथा पालन नही किया है तो उसकी सेवायें, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा लिया गया हो, समाप्त की जा सकती है या उसको उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है यदि उसकी भर्ती पदोन्नति द्वारा की गयी हो।

टिप्पणी--कोई भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें इस नियम के अधीन कर्तव्य पालन करने में असफल रहने के कारण समाप्त कर दी जायं, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

ज्येष्ठता

18. सेवा के संदर्भ में सम्मिलित किसी श्रेणी के पदों पर ज्येष्ठता उस श्रेणी के पद पर मौलिक रूप में नियुक्त किये जाने के दिनांक से अवधारित की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि दो या इससे अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायगी, जिस क्रम में उनकी नियुक्ति नियम 16(1) के अधीन की गई हों।

स्थायीकरण

19. कोई भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपने पद पर स्थायी कर दिया जायगा यदि--(1) उसने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, (2) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है, और (3) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाय।

भाग - 8 - वेतन

वेतन

20. सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी रूप में हों, अनुमन्य वेतनमान निम्नलिखित होगा--

पद	वेतनमान
(क) दफ्तरी जमादार या मुख्य चपरासी	32-1-37 रूपया या दिनांक 1 अप्रैल,

	1965 से 60-1-65-द०रो०-1-70-द०रो-1-75 द०रो०-1-80 रूपया, जैसी भी दशा हो
(ख) चपरासी (जिसके अन्तर्गत अर्दली चपरासी भी है) चौकीदार पानीवाला खलासी माली सफाईकार (स्वीपर) जेल डिपो का अनुचर कारागार प्रशिक्षण विद्यालय का चिकित्सालय अर्दली गाड़ीवान चाभीवाला पानी लाने ले जाने वाला (कहार और भिश्ती) चरवाहा कामदार	22-1/2-27 रूपया या 27-1/2-32 रूपया दिनांक 1 अप्रैल, 1965 से 55-1-60-द०रो०-1-65-1-70-द०रो०-1-75 रूपया, जैसी भी दशा हो ।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

21. (1) फंडामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि में प्रत्येक वर्ष की सेवा पूरी करने पर समय-मान में इस शर्त पर वेतन-वृद्धि मिलेगी कि उसका कार्य संतोषजनक बताया जाय। यदि परिवीक्षा अवधि कर्तव्य पालन में असफल रहने के कारण बढ़ायी जाय, तो बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये तब तक नही की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, लेकिन स्थायी किये जाने पर उसे उतना ही वेतन दिया जायेगा जो उसकी सेवा अवधि के अनुसार ग्राह्य होता।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति का, जो अधिष्ठान में भर्ती किये जाने के पूर्व सरकारी सेवा में कोई मौलिक पद धारण किये हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन नियम 23 में अभिदिष्ट संगत नियमों के अनुसार निश्चित किया जायगा।

दक्षतारोक पार करने के लिये मानदण्ड

22. सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को दक्षता-रोक पार करने की अनुमति तब तक नही दी जायगी जब तक कि--

(क) उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक न बताया जाय, और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न की जाय।

भाग - 9 - अन्य उपबन्ध

वेतन, अवकाश भत्ते, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तो

23. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विशिष्ट रूप से इस नियमावली अथवा तद्धीन दिये गये या जारी किये गये आदेशों के अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें जो उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर

का विनियमन सामान्यतया लागू होते हों।

सेवा की शर्तों में शिथिलता **24.** जब सरकार का यह समाधान हो जाय, कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में उपयुक्त कठिनाई होती है तो वह, उस मामले में लागू होने वाले निमयों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षओं को उस सीमा तक, और एसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिसे वह उस मामले को ठीक और उचित ढंग से निपटाने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परिशिष्ट – 'क'
(नियम 5 देखिये)

कारागार विभाग में चतुर्थ श्रेणी के सरकारी सेवकों के स्थायी पदों की स्वीकृत संख्या।

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>पद का नाम</th><th>प्रधान कार्यालय</th><th>कारागार प्रशिक्षण विद्यालय</th><th>जेल डिपो</th><th>जेल</th><th>योग</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>दफ्तरी</td><td>2</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>जमादार या मुख्य चपरासी</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>चौकीदार</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>40 + 1 कैम्प</td><td>45</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>पानी वाला</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>माली</td><td>2</td><td>2</td><td>-</td><td>5</td><td>9</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>सफाईकार (स्वीपर)</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td><td>71 + 4 कैम्प</td><td>82</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>चपरासी</td><td>10</td><td>2</td><td>1</td><td>-</td><td rowspan="2">16</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>अर्दली</td><td>-</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>खलासी</td><td>-</td><td>3</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>बिक्री अनुचर</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>2</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>गाड़ीवान</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>12.</td><td>चाभीवाला</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr>
<tr><td>13.</td><td>चरवाहा (हडसंमैन)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>पानी लाने ले जाने वाला</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>126+12+3 कैम्प</td><td>141</td></tr>
</table>

15.	कहार	-	2	-	-	2
16.	भिश्ती	-	1	-	-	1
17.	कामदार	-	-	-	4	4
18	चिकित्सालय अर्दली	-	1	-	-	1
19.	उद्यान कुली	-	-	-	1	1
20.	नर्सिंग अर्दली	-	-	-	2	2

परिशिष्ट - 'ख'

संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) तथा अनुच्छेद 335 के उपबन्धों के अनुसरण में राज्यपाल आदेश देते है कि प्रशासन की कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार--

(1) नियुक्तियां करते समय पिछड़े वर्ग के हित को सामान्य रूप से ध्यान में रखा जायगा, और

(2) उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवाओं में और पदों पर नियुक्तियां करने में 18 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित जातियों तथा 2 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिये समान्यतया आरक्षित रहेंगी, किन्तु अनुसूचित जाति के लिये 45 प्रतिशत का आरक्षण तब तक रहेगा, जब तक कि संवर्ग में 18 प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं हो जाता :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी एक वर्ष अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थी किसी सेवा या अधिष्ठान में 18 प्रतिशत/ 2 प्रतिशत तक भर्ती नहीं हो पाते तो सम्बद्ध सेवा या अधिष्ठान की भर्ती की इस कमी की पूर्ति आगामी वर्ष में की जायगीः

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि कमी के लिए उक्त आरक्षण को दो वर्ष से और आगे नहीं ले जाया जायगा।

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (कारागार) अनुभाग-1

संख्या 1522/बाईस-82-1366-61

लखनऊ 8 फरवरी, 1983

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि० - 62

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयाग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश कारागार लिपिक वर्ग और वाणिज्यिक सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश कारागार लिपिक वर्ग और वाणिज्यिक सेवा नियमावली 1983

भाग-एक-सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कारागार लिपिक वर्ग और वाणिज्यिक सेवा नियमावली, 1983 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश कारागार लिपिक वर्ग और वाणिज्यिक सेवा एक अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है,

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय

(ग) **"संविधान"** का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(घ) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राजय सरकार से है,

(ड) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(च) **"सेवा का सदस्य"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(छ) **"सेवा"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश कारागार लिपिक वर्ग और वाणिज्यिक सेवा से है,

(ज) **"मौलिक नियुक्ति"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो,

(झ) **"भर्ती का वर्ष"** का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि से है,

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

(2) जब तक उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गयी है :

परन्तु --

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझें ।

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगीः-

क - कारागार महानिरीक्षक का कार्यालय

1.	अधीक्षक ग्रेड-I	स्थायी अधीक्षक ग्रेड-II में से पदोन्नति द्वारा ।
2.	अधीक्षक ग्रेड-II	स्थायी वरिष्ठ सहायकों और वरिष्ठ सहायकों में से पदोन्नति द्वारा ।
3.	वरिष्ठ सहायक	स्थायी वरिष्ठ लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ।
4.	वरिष्ठ लिपिक	स्थायी कनिष्ठ लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ।
5.	कनिष्ठ लिपिक	(1) नब्बे प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा । (2) दस प्रतिशत रिक्तियां समूह 'घ' के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा।
6.	टंकक	
7.	आशुलिपिक ग्रेड-I	श्रेणी दो के स्थायी आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ।
8.	आशुलिपिक ग्रेड-II	(1) एक पद श्रेणी तीन के स्थायी आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा । परन्तु यदि श्रेणी तीन का उपयुक्त आशुलिपिक पदोन्नति के लिये उपलब्ध न हों तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है। (2) शेष सीधी भर्ती द्वारा ।
9.	आशुलिपिक ग्रेड-III	सीधी भर्ती द्वारा ।
10.	वरिष्ठ सम्परीक्षक	स्थायी सम्परीक्षक में से पदोन्नति द्वारा ।
		परन्तु यदि वरिष्ठ सम्परीक्षक के पद के लिए कोई उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश से किसी अभ्यर्थी को पाँच वर्ष की अवधि के लिए स्थानान्तरण करके लिया जा सकता है।

11.	सम्परीक्षक	सीधी भर्ती के द्वारा

ख - अन्य जेल कर्मचारी

1.	आशुलिपिक श्रेणी तीन	सीधी भर्ती द्वारा ।
2.	वरिष्ठ सहायक	स्थायी वरिष्ठ लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ।
3.	वरिष्ठ लिपिक	स्थायी कनिष्ठ लिपिकों और टंककों में से पदोन्नति द्वारा ।
4.	कनिष्ठ लिपिक	सीधी भर्ती द्वारा ।
5.	टंकक	सीधी भर्ती द्वारा ।
6.	लेखा लिपिक	सीधी भर्ती द्वारा ।

ग - जेल डिपो लखनऊ

1.	प्रबन्धक, जेल डिपो	स्थायी बिक्री कर्ताओं में से पदोन्नति द्वारा । परन्तु यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त बिक्रीकर्ता उपलब्ध न हों तो पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है ।
2.	बिक्री कर्ता	सीधी भर्ती द्वारा ।
3.	लिपिक एवं स्टोर कीपर	सीधी भर्ती द्वारा ।

आरक्षण **6.** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

भाग-चार-अर्हताएं

राष्ट्रीयता **7.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश - केन्या, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानियां (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया होः

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेः

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जायगा जब कि वह भारत का नागरिकता प्राप्त कर ले ।

टिप्पणीः- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

शैक्षिक अर्हताएं **8.** सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिएः-

संपरीक्षकः

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ।

(2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान ।

(3) **अधिमानी**-अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई किसी प्राविधिक अर्हता को समुचित रूप से ध्यान में रखा जायगा ।

जेल लेखा-लिपिकः

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि

(2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान ।

बिक्रीकर्ता जेल डिपोः

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
(2) किसी फर्म या सरकारी विभाग में विक्रय कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव ।
(3) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान ।

आशुलिपिक श्रेणी दो और तीनः

(1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
(2) हिन्दी आशुलिपि और टंकण में क्रमशः 80 और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना चाहिए।
(3) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान ।
(4) अन्य बातों के समान होने पर ऐसे व्यक्तियों को अधिमान दिया जायगा जिन्हें अंग्रेजी आशुलिपि औश्र टंकण का भी ज्ञान हो ।

कनिष्ट लिपिक, लिपिक एवं स्टोर कीपर और टंककः

(1) समय-समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग कर्मचारी (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में विहित शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए ।

अधिमानी अर्हताएं **9.** अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसने --

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।

आयु **10.** (1) महानिरीक्षक के कार्यालय में कनिष्ठ श्रेणी लिपिक और टंकक, जेल डिपो में लिपिक एवं स्टोरकीपर और बिक्रीकर्ता, जिला जेल कर्मचारी वर्ग के लिपिक और टंकक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग कर्मचारी (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में विहित आयु सीमा के भीतर होना चाहिए ।

(2) शेष पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जाय, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायं और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायं, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 28 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

चरित्र **11.** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सकें। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा ।

टिप्पणीः संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिय पात्र नहीं होगें। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

वैवाहिक प्रास्थिति **12.** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों और न ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही होः

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता **13.** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने

कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें:

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग-पाँच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी तत्समय प्रवृत्त नियमों और आदेशों के अनुसार अवधारित करेगा और उनकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा ।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(एक) कारागार महानिरीक्षक ।

(दो) कारागार, महानिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अपर या उप कारागार महानिरीक्षक

(तीन) जेल लेखा लिपिकों, वरिष्ठ सम्परीक्षकों और सम्परीक्षकों की दशा में कारागार महानिरीक्षक के कार्यालय का ज्येष्ठ वित्त और लेखाधिकारी, और अन्य पदों की दशा में कारागार महानिरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार ।

(2) चयन समिति, आवेदन-पत्रों की संवीक्षा करेगी और आशुलिपिक, जेल लेखा-लिपिक, सम्परीक्षक, कनिष्ठ लिपिक, टंकक, लिपिक एवं स्टोरकीपर, प्रबन्धक, जेल डिपो और बिक्रीकर्ता जेल डिपो के पदों के लिये पात्र अभ्यर्थियों से प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा ।

टिप्पणी: प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्य-क्रम और प्रक्रिया परिशिष्ट 'ख' में दी गई है।

(3) चयन समिति, अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को सारिणीबद्ध करने के पश्चात, नियम-6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिये उतने अभ्यर्थियों को बुलायेगी जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुंच सके हों । साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसको प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेगें ।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की, योग्यता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में उनको प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम उच्चतर स्थान पर रखा जायगा ।

कनिष्ठ श्रेणी लिपिक और टंकक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

(5) कनिष्ठ लिपिक और टंकक के पद पर भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग कर्मचारी (सीधी भर्ती) नियमावली, 1975 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जायगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर नियम-15 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता-क्रम में, एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर

विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो वह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति, चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

संयुक्त चयन सूची

17. यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाये तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी । जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेगें कि विहित प्रतिशत बना रहे । सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।

भाग-छः-नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो ।

(2) जहां, भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम-17 के अनुसार एक संयुक्त सूची न तैयार कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में ऐसे अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता-क्रम में किया जायगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायं, तो नाम नियम 17 के अधीन तैयार की गयी सूची के अनुसार रखे जायेंगे ।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूची से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों में से नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगी ।

(5) चयन श्रेणी में नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 15 के अधीन गठित चयन समिति के परामर्श से की जायेगी ।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर, स्थायी रिक्ति के प्रति नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा-अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय ।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकर न हो, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं ।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, वह किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ दिये जाने की अनुमति दे सकता है ।

स्थायीकरण **20.** किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि--

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता **21.** (1) एतद्पश्चात यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी श्रेणी या पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें, तो उस क्रम में, जिसमें उसके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगीः

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और, अन्य मामलों में, उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा ।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम-18 के उप नियम (3) के अधीन जारी किए गए नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हों ।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो चयन समिति द्वारा अवधारित की गयी हो,

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किए जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी।

(4) जहां नियुक्तियां, पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक स्रोतों से की जाय और स्रोतों का अलग-अलग कोटा विहित हो, वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम १७ के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में उनके नाम रखकर ऐसी रीति से अवधारित की जायगी कि विहित प्रतिशत बना रहे ।

भाग-सात-वेतन इत्यादि

वेतनमान **22.** (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो, या अस्थाई आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिया गया हैः-

क-कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश का कार्यालय

क्र० सं०	पद का नाम	वेतन-मान
1.	अधीक्षक ग्रेड - I	625-30-835-द०रो०-30-925-35-1065 द०रो०-35-1240 द०रो० 40-1360
2.	अधीक्षक ग्रेड - II	570-25-770-द०रो०-30-980-द०रो० 30-1100
3.	वरिष्ठ सहायक	515-15-590-18-626-द०रो०-18-680-20-780-द०रो०-20-860
4.	वरिष्ठ लिपिक	430-12-490-15-520-द०रो०-15-640-द०रो०-15-685
5.	कनिष्ठ लिपिक	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550
6.	टंकक	
7.	आशुलिपिक श्रेणी - I	570-25-770-द०रो०-30-980-द०रो० 30-1100
8.	आशुलिपिक श्रेणी - II	515-15-590-18-626-द०रो०-18-680-20-780-द०रो०-20-860
9.	आशुलिपिक श्रेणी - III	470-15-575-द०रो०-15-650-17-701.द०रो०-17-735

10.	वरिष्ठ सम्परीक्षक	570-25-770-द०रो०-30-980-द०रो० 30-1100
11.	सम्परीक्षक	470-15-575.द०रो०-15-650-17-701-द०रो०-17-735
	ख-अन्य जेल कर्मचारी वर्ग	
1.	आशुलिपिक श्रेणी - III	470-15-575-द०रो०-15-650-17-701.द०रो०-17-735
2.	वरिष्ठ सहायक	470-15-575-द०रो०-15-650-17-701.द०रो०-17-735
3.	वरिष्ठ लिपिक	430-12-490-15-520-द०रो०-15-640-द०रो०-15-685
4.	कनिष्ठ लिपिक	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550
5.	टंकक	
6.	लेखा लिपिक	430-12-490-15-520-द०रो०-15-640-द०रो०-15-685
	ग-जेल डिपो, लखनऊ	
1.	प्रबन्धक, जेल डिपो	515-15-590-18-626-द०रो०-18-680-20-780-द०रो०-20-860
2.	बिक्रीकर्ता	354-10-424-द०रो०-10-454-12-514-द०रो०-12-550
3.	लिपिक एवं स्टोर कीपर	

परिवीक्षा-अवधि में वेतन

23. (1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थाई सरकारी सेवा में न हो, समयमान में प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया होः

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें ।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगाः

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड

24. (1) किसी भी अधीक्षक ग्रेड-I को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने प्रभावकारी पर्यवेक्षण न रखा हो और नियमों और विनियमों की जानकारी द्वारा विभाग के लिये अपनी उपयोगिता प्रदर्शित न की हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(2) किसी श्रेणी एक के आशुलिपिक को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि अपनी कार्य कुशलता द्वारा विभाग के लिए अपनी उपयोगिता प्रदर्शित न की हो, उसका आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(3) जेल डिपो के प्रबन्धक को दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने अपने कार्य से सम्बन्धित नियमों और विनियमों की जानकारी से और अपनी दक्षता से पूर्ण रूप से सन्तोष प्रदान न किया हो और जेल डिपो की बिक्री बढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चय से प्रयास न किया हो और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(4) किसी अधीक्षक ग्रेड-II, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सम्परीक्षक और सम्परीक्षक कोः----

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि नियमों

की जानकारी और उसकी दक्षता से उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने को अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने अपनी दक्षता में विशिष्ट सुधार न किया हो और (अधीक्षक ग्रेड-II, का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के मामले में) प्रभावकारी पर्यवेक्षक न रखा हो और जब तक उसका आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(5) द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किसी आशुलिपिक और टंकक कोः--

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि उसकी दक्षता से उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनकन पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने अपनी दक्षता में पर्याप्त सुधार प्रदर्शित न किया हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

(6) उप नियम (1) से (5) के अन्तर्गत आने वाले पदों से भिन्न किसी अन्य पद को धारण करने वाले किसी व्यक्ति कोः--

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय और

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग-आठ-अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

27. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों को सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझें, उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट 'क'

[नियम 4 (2) देखिए]

क-कारागार महानिरीक्षक का कार्यालय

क्र० सं०	पद का नाम	स्थायी	अस्थायी	योग
1.	अधीक्षक ग्रेड - I	2	-	2
2.	अधीक्षक ग्रेड - II	6	-	6
3.	वरिष्ठ सहायक	19	8	27
4.	वरिष्ठ लिपिक	18	6	24
5.	कनिष्ठ लिपिक	37	2	39
6.	टंकक	-	2	2
7.	आशुलिपिक श्रेणी - I	1	-	1
8.	आशुलिपिक श्रेणी - II	6	-	6
9.	आशुलिपिक श्रेणी - III	1	-	1
10.	वरिष्ठ सम्परीक्षक	2	1	3
11.	सम्परीक्षक	1	2	3

ख- अन्य जेल कर्मचारी वर्ग

1.	आशुलिपिक श्रेणी - III	-	7	7
2.	वरिष्ठ सहायक	-	5	5
3.	वरिष्ठ लिपिक	-	51	51
4.	कनिष्ठ लिपिक	-	42	42
5.	टंकक	-	43	43
6.	लेखा लिपिक	26	28	54

ग- जेल डिपो, लखनऊ

1.	प्रबन्धक, जेल डिपो	1	-	1
2.	बिक्रीकर्ता	1	-	1
3.	लिपिक एवं स्टोर कीपर	1	-	1

परिशिष्ट 'ख'

[नियम 15 (2) देखिए]

प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम

विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा के विषय और प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगेः-

क्रमांक	विषय	अधिकतम अंक
	क-जेल लेखा लिपिक	
1.	सामान्य हिन्दी	100
2.	गणित	100
3.	बही लेखन (बुक कीपिंग) और लेखा शास्त्र	100
4.	व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार)	50
	ख-सम्परीक्षक	
1.	सामान्य हिन्दी (निबन्ध सहित)	100
2.	सामान्य अंग्रेजी	100
3.	लेखा और लेखा परीक्षा के सामान्य सिद्धांत	100
4.	सामान्य ज्ञान	100
5.	व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार)	50

ग-बिक्रीकर्ता, राजकीय जेल डिपो		
1.	सामान्य हिन्दी	100
2.	गणित	100
3.	बही लेखन (बुक कीपिंग) और लेखा शास्त्र	100
4.	व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार)	50

घ-आशुलिपिक के पद पर भर्ती के लिए पाठ्यक्रम

परीक्षा में निम्नलिखित विषय होंगे :-

(क) हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपि की परीक्षा

दोनों भाषाओं में से प्रत्येक के गद्यांश का श्रुतलेख 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जायगा। अभ्यर्थियों से श्रुतलेख की आशुलिपि की अनुलिपि को टंकित करने की अपेक्षा की जायगी जिसमें से प्रत्येक के लिए उन्हें एक घन्टे का समय दिया जायगा। हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपि में अधिकतम अंक क्रमशः 150 और 50 होंगे।

गद्यांश का चयन केवल अभ्यर्थियों की आशुलिपि में गति का परीक्षण करने की दृष्टि से ही नहीं वरन् उनके मुहावरेदार भाषा के ज्ञान के परीक्षण की दृष्टि से भी किया जायगा ।

ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को सेवायोजन के लिए अर्ह नहीं समझा जायगा जिसकी परीक्षा में त्रुटियों का प्रतिशत पांच से अधिक हो। परन्तु चयन समिति, स्वाविवेकानुसार त्रुटियों की संख्या तीन प्रतिशत तक और शिथिल कर सकती है।

(ख) हिन्दी और अंग्रेजी निबंध

अभ्यर्थियों से सामान्य रूचि के किसी एक विषय पर क्रमशः देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी या अंग्रेजी में एक संक्षिप्त निबन्ध या पत्र लिखने की अपेक्षा की जायगी। प्रत्येक भाषा के प्रश्न-पत्र के लिए एक घन्टे का समय दिया जायगा। प्रत्येक के लिए अधिकतम अंक 100 होंगे। ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को सेवायोजन के लिए अर्ह नहीं समझा जायगा जब तक कि उसने कम सेकम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त न किया हो।

टिप्पणी: स्थायी और अस्थायी पदों पर भर्ती के लिये अभ्यर्थियों से कम से कम हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण करने की और अंग्रेजी आशुलिपि में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायगी। तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायगा जो दोनों ही भाषाओं की आशुलिपि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायं। फिर भी स्थायी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को तब तक स्थायी नहीं किया जायगा और अस्थायी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को दक्षतारोक पार करने की जिसे उन्हें पद का कार्यभार ग्रहण करने के तुरन्त पश्चात पार करने की अपेक्षा की जाय, अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि वे अंग्रेजी आशुलिपि और चयन समिति द्वारा बाद में ली जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण न हो जायं ।

आज्ञा से,
राम चन्द्र टकरू
सचिव ।

भाग - २

उत्तर प्रदेश कारागार विभाग

के

विभिन्न संवर्गों की सेवा सम्बन्धी अन्य

महत्वपूर्ण नियमावलियाँ

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 20/4/2002/का–2–2002
लखनऊ, 29 जून, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०–4

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमावलियॉं और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह “ग'' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002

संक्षिप्त नाम

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश **(उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर)** समूह ''ग'' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

(3) यह संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन सीधी भर्ती के समूह ‘ग’ के पदों पर लागू होगी सिवाय उन पदों और विभागों के-

(एक) जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा वोर्ड, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नियन्त्रण और अधीक्षण के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों और प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस और अग्नि शमन सेवाओं को सम्मिलित करते हुये पुलिस विभाग के क्षेत्रान्तर्गत हो

(दो) जिनकी विहित की गयी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता से कम हो,

(तीन) जो सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा इस नियमावली के लागू होने से अपवर्जित हों।

2. यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रभावी होगी।

3. इस नियमावली में, जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो :

(क) **“नियुक्त प्राधिकारी''** का तात्पर्य संगत सेवानियमावली के अधीन नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) **“संविधान''** का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(ग) **“सरकार''** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(घ) **“राज्यपाल''** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ड़) **“अन्य पिछडे वर्गों''** का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से है।

4. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या संगत सेवा नियमावली के अनुसार भी अवधारित करेगा। यदि चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारी से भिन्न कोई अधिकारी है तो नियुक्ति प्राधिकारी चयन समिति के अध्यक्ष को रिक्तियों की सूचना देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

5. (1) सीधी भर्ती करने के लिए रिक्तियाँ निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेगी :-

<table>
<tr><th colspan="2">मूल नियम</th><th colspan="2">* दिनांक 21 जून, 2003 से प्रतिस्थापित</th></tr>
<tr><td>(एक)</td><td>ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,</td><td>(एक)</td><td>ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,</td></tr>
<tr><td>(दो)</td><td>कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके और</td><td>(दो)</td><td>कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके और</td></tr>
<tr><td>(तीन)</td><td>रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके ।</td><td>(तीन)</td><td>रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।</td></tr>
<tr><td colspan="2">(2) चयन के विचारार्थ आवेदन पत्र उपनियम (1) के अधीन जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएगें ।</td><td colspan="2">(2) चयन के विचारार्थ आवेदन पत्र उपनियम (1) के अधीन जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएगें ।</td></tr>
<tr><td colspan="2">(3) चयन के लिए कुल प्राप्तांक एक सौ अंक के होंगे। अभ्यर्थियों के लिए श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी:-</td><td colspan="2">(3) चयन के लिए कुल प्राप्तांक एक सौ अंक के होंगे। अभ्यर्थियों के लिए श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी:-</td></tr>
<tr><td colspan="2">(क) शैक्षिक योग्यता के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को अंक निम्नलिखित रीति से दिये जायेगें :-
<table>
<tr><th>शैक्षिक योग्यता</th><th>प्राप्त श्रेणी</th><th>अंक जो दिये जायेगें</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1- इण्टरमीडिएट</td><td>प्रथम श्रेणी</td><td>तीस अंक</td></tr>
<tr><td>द्वितीय श्रेणी</td><td>बीस अंक</td></tr>
<tr><td>तृतीय श्रेणी</td><td>दस अंक</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2- स्नातक उपाधि</td><td>प्रथम श्रेणी</td><td>दस अंक</td></tr>
<tr><td>द्वितीय श्रेणी</td><td>छः अंक</td></tr>
<tr><td>तृतीय श्रेणी</td><td>चार अंक</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3- स्नातकोत्तर उपाधि</td><td>प्रथम श्रेणी</td><td>दस अंक</td></tr>
<tr><td>द्वितीय श्रेणी</td><td>छः अंक</td></tr>
<tr><td>तृतीय श्रेणी</td><td>चार अंक</td></tr>
</table>
परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूपा में या भर्ती के ढंग के रूपा में विहित किये गये हों चयन के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए विचार किया जायेगा, जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूर्ण करते हों ।</td>
<td colspan="2">(क) (1) ऐसे पद जिनके लिए केवल शैक्षिक योग्यता विहित हो, प्रत्येक अभ्यर्थी को अंक निम्नलिखित रीति से दिये जायेगें:-
<table>
<tr><th>शैक्षिक योग्यता</th><th>प्राप्त श्रेणी</th><th>अंक जो दिये जायेगें</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1-इन्टरमीडिएट</td><td>साठ प्रतिशत और उससे ऊपर</td><td>बीस अंक</td></tr>
<tr><td>पैंतालिस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम</td><td>पन्द्रह अंक</td></tr>
<tr><td>तैंतीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम</td><td>दस अंक</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2- स्नातक उपाधि</td><td>साठ प्रतिशत और उससे ऊपर</td><td>दस अंक</td></tr>
<tr><td>पैंतालिस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम</td><td>आठ अंक</td></tr>
<tr><td>तैंतीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम</td><td>छः अंक</td></tr>
</table>
(2) ऐसे पद जिनके लिए शैक्षिक योग्यता और तकनीकी योग्यता दोनों विहित हों, प्रत्येक अभ्यर्थी को अंक निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे :-
<table>
<tr><th>शैक्षिक योग्यता</th><th>प्राप्त श्रेणी</th><th>अंक जो दिये जायेगें</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1- पद के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता</td><td>साठ प्रतिशत और उससे अधिक</td><td>दस अंक</td></tr>
<tr><td>पैंतालीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम</td><td>आठ अंक</td></tr>
<tr><td>तैतीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु पैंतालीस प्रतिशत से कम</td><td>छः अंक</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2- पद के लिए विहित न्यूनतम तकनीकी योग्यता</td><td>साठ प्रतिशत और उससे अधिक</td><td>बीस अंक</td></tr>
<tr><td>पैंतालीस प्रतिशत या उससे ऊपर किन्तु साठ प्रतिशत से कम</td><td>पन्द्रह अंक</td></tr>
<tr><td>तैतीस प्रतिशत या उससे ऊपर</td><td>दस अंक</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

* उत्तर प्रदेश (उ०प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (संशोधन) नियमावली 2003 द्वारा संशोधित।

<table>
<tr>
<td>परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हों चयन के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए विचार किया जायेगा जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों ।</td>
<td>परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूपा में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हों चयन के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए विचार किया जायेगा जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों ।</td>
</tr>
<tr>
<td>(ख) छटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा, जो अधिकतम पन्द्रह अंक होगाः-
<table>
<tr><td>1.</td><td>सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए</td><td>पाँच अंक</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सेवा के दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए</td><td>प्रत्येक वर्ष के लिए पाँच अंक</td></tr>
</table></td>
<td>(ख) छटनीशुदा कर्मचारियों को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा, जो अधिकतम पन्द्रह अंक होगाः-
<table>
<tr><td>1.</td><td>सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए</td><td>पाँच अंक</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>सेवा के दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए</td><td>प्रत्येक वर्ष के लिए पाँच अंक</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>(ग) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा, जो चयन के लिए परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों का अधिकतम पाँच अंक होगाः-
<table>
<tr><td>1.</td><td>यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो</td><td>पाँच अंक</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो</td><td>चार अंक</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो</td><td>तीन अंक</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/ कालेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो</td><td>दो अंक</td></tr>
</table></td>
<td>(ग) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा, जो चयन के लिए परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों का अधिकतम पाँच अंक होगाः-
<table>
<tr><td>1.</td><td>यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो</td><td>पाँच अंक</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो</td><td>चार अंक</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो</td><td>तीन अंक</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/ कालेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो</td><td>दो अंक</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>(घ) किसी ऐसे पद जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के लिए विहित हो, चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण की अर्हक प्रकृति की परीक्षा होगी। केवल ऐसे अभ्यर्थियों का चयन के लिए विचार किया जायेगा जिन्होंने, यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो ।
टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी चयन मिति द्वारा उपयुक्त समझी जाय। इस प्रयोजन के लिए नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क), ख और (ग) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर प्रथक रूप से तैयार की जायेगी ।</td>
<td>(घ) किसी ऐसे पद जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के लिए विहित हो, चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण की अर्हक प्रकृति की परीक्षा होगी। केवल ऐसे अभ्यर्थियों का चयन के लिए विचार किया जायेगा जिन्होंने, यथास्थिति, टंकण या आशुलिपि और टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो ।
टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी चयन मिति द्वारा उपयुक्त समझी जाय। इस प्रयोजन के लिए नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क), ख और (ग) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर प्रथक रूप से तैयार की जायेगी ।</td>
</tr>
<tr>
<td>(4)-(क)-उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात चयन समिति नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिए बुलाये</td>
<td>(4)-(क)-उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने और सारणीबद्ध कर लिए जाने के पश्चात चयन समिति नियम-4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। रिक्तियों की संख्या के</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या, की चार गुना होगी। किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में केवल ऐसे अभ्यर्थियों को जो उपनियम-४ के खण्ड (घ) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में सफल हो गये हो, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायगा।</td>
<td>विरूद्ध साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या उतनी होगी जितनी चयन समिति द्वारा उचित समझी जाए किन्तु किसी मामले में एक रिक्ति के लिए 10 अभ्यर्थियों से अधिक न होगी। किसी पर पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किए जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में केवल ऐसे अभ्यर्थियों को जो उपनियम-3 के खण्ड (घ) के अधीन यथा स्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में सफल हो गये हों, साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>(4)-(ख)-साक्षात्कार कुल तीस अंकों का होगा। साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेगें:-
<table>
<tr><td>1.</td><td>विषय/सामान्य ज्ञान</td><td>बारह अंको तक</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>व्यक्तित्व निर्धारण</td><td>नौ अकों तक</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अभिव्यक्ति क्षमता</td><td>नौ अंको तक</td></tr>
</table>
टिप्पणी:- किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किए गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथम पृथक रूप में दिए गए अकों के औसत की गणना करके अवधारित किए जाये।</td>
<td>(4)-(ख)-साक्षात्कार पचास अंकों का होगा। साक्षात्कार में निम्नलिखित रीति से अंक दिए जायेंगे :-
<table>
<tr><td>1.</td><td>विषय/सामान्य ज्ञान</td><td>10 दस अंको तक</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>व्यक्तित्व निर्धारण</td><td>बीस अकों तक</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>अभिव्यक्ति क्षमता</td><td>बीस अंको तक</td></tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td>(4)-(ग)-चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम (३) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंको के संबंध में कोई सूचना नही दी जायेगी।</td>
<td>(4)-(ग)-चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम (३) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन अभ्यार्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंको के संबंध में कोई सूचना नही दी जायेगी।</td>
</tr>
<tr>
<td>(5) उपनियम (4) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गए अंकों को उपनियम (3) के अधीन प्राप्त किए गए अंकों में जोड दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।</td>
<td>(5) उपनियम (4) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गए अंकों को उपनियम (3) के अधीन प्राप्त किए गए अंकों में जोड दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।</td>
</tr>
<tr>
<td>(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।</td>
<td>(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायेगी।</td>
</tr>
</table>

6. सीधी भर्ती एक चयन-समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होगें :-

1.	नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, या अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य
3.	अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट अन्य पिछडे वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछडे वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछडे वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य
4.	भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार संबधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।	सदस्य
5.	सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी	सदस्य

टिप्पणी-1:- यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम-निदिष्ट कर सकता है। ऐसा विभागाध्यक्ष केवल साक्षात्कार के लिए एक से अधिक चयन समिति गठित कर सकता है।

टिप्पणी-2:- यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राक्षिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती की प्रक्रिया उस जिले में की जायेगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

7. चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. अभ्यर्थियों को ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की व्यय भुगतान करने पर नियम-5 के अनुसार चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे पॉच रूपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतिया भी दी जायेगी।

आज्ञा से,

राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग - 4

संख्या 1648/47-का-4-90-48-79

लखनऊ, 7 फरवरी, 1991

<u>अधिसूचना</u>

सा०प०नि०-9

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 कही जायेगी ।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

(3) यह उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जो उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में कोई सिविल पद धारण करते हों और जो संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने के नियंत्रणाधीन हों ।

अध्यारोही प्रभाव

2. इस नियमावली के उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद ३०६ के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :-

(क) किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सरकार द्वारा जारी किए गए सुसंगत सेवा नियमों या कार्यपालक अनुदेशों के अधीन ऐसे पद पर या सेवा में नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) **"संविधान"** का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(ग) **"संवर्ग"** का तात्पर्य किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत किसी सेवा या सेवा के किसी भाग की सदस्य संख्या से है,

(घ) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राजय सरकार से है,

(ड) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(च) **"सरकारी सेवक"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा या पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति से है,

(छ) **"धारणाधिकार"** का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के किसी नियमित पद को, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, या तो तुरन्त या अनुपस्थिति की अवधि की समाप्ति पर धारण करने के अधिकार या हक से है,

(ज) **"विहित"** का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा या किसी विशिष्ट सेवा के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्गत कार्यपालक अनुदेशों द्वारा विहित से है ।

(झ) **"सेवा"** का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमों या सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों में यथा परिभाषित सेवा से है ।

(ञ) **"मौलिक नियुक्ति"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो,

स्थायीकरण जहां आवश्यक है

4. (1) किसी सरकारी सेवक का स्थायीकरण केवल उसी पद पर किया जायेगा जिस पर वह, (एक) सीधी भर्ती के माध्यम से या (दो) यदि भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी है, प्रोन्नति द्वारा या (तीन) यदि पद भिन्न सेवा से सम्बन्धित है तो प्रोन्नति द्वारा, मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो ।

(2) ऐसा स्थायीकरण निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा :-

(एक) ऐसे पद के प्रति चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार न हो,

(दो) यथास्थिति, सुसंगत सेवा नियमों, या सरकार द्वारा निर्गत किए गए कार्यपालक अनुदेशों, में दी गई स्थायीकरण की शर्तो को पूरा करने के अधीन,

(तीन) स्थायीकरण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया जाना आवश्यक होगा ।

स्पष्टीकरणः- इस तथ्य के होते हुए भी कि कोई सरकारी सेवक किसी अन्य पद पर स्थायी है, चाहे वह किसी पद पर सीधे भर्ती किया जाए, या किसी पद पर जहां भर्ती का एक स्रोत सीधी भर्ती भी हो, प्रोन्नत किया जाय तो उसे पद पर स्थायी करना होगा ।

स्थायीकरण जहां आवश्यक नहीं है

5. (1) स्थायीकरण तब आवश्यक नहीं होगा, जब कोई सरकारी सेवक उस संवर्ग में, जिसमें भर्ती का स्रोत प्रोन्नति ही हो, विहित प्रक्रिया का पालन किए जाने के पश्चात नियमित आधार पर प्रोन्नत

किया जाय ।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट पद पर प्रोन्नति होने पर सरकारी सेवक को वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो उस श्रेणी में स्थायी किए गए, यदि कोई परिवीक्षा विहित न की गई हो, किसी व्यक्ति को प्राप्त होते ।

(3) जहां परिवीक्षा विहित है वहां नियुक्ति प्राधिकारी विहित परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सरकारी सेवक के कार्य और आचरण का स्वयं मूल्यांकन करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुँचने की दशा पर कि सरकारी सेवक उच्चतर श्रेणी के लिए उपर्युक्त है तो वह यह घोषित करते हुए एक आदेश जारी करेगा कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यदि नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में सम्बन्धित सरकारी सेवक का कार्य और आचरण सन्तोषजनक नहीं रहा है या कुछ और समय तक उसके कार्य और आचरण को देखने की आवश्यकता है तो वह उसे उस पद या श्रेणी पर प्रत्यावर्तित कर सकता है जिससे वह प्रोन्नत किया गया था, या परिवीक्षा की अवधि विहित रीति से बढ़ा सकता है।

(4) जहां उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता की एक आवश्यक शर्त निम्नतर पोषक पद पर स्थायीकरण विहित की जाय, वहां नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन निम्नतम पद पर स्थायी कोई व्यक्ति उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र होगा और निम्नतर पोषक पद पर उसका स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा यदि उस पद पर उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक पाया जाय ।

दृष्टान्त :

(1) "लेखपाल सेवा नियमावली" में लेखपाल के पद पर भर्ती का एक मात्र स्रोत सीधी भर्ती है। "क" लेखपाल के रूप में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। "क" को नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन उक्त पद पर स्थाीय करना होगा ।

(2) "ख" तहसीलदार के पद पर एक स्थायी सरकारी सेवक है जिसे उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली, 1982 के उपबन्धों के अधीन उात्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में सामान्य श्रेणी के एक पद पर प्रोन्नत किया जाता है । "ख" को नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन पुनः बाद वाले मद पर स्थायी करना होगा ।

(3) "ग" को सीधी भर्ती के माध्यम से सिंचाई विभाग में सहायक अभियन्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है और "घ" को यूनाइटेड प्राविन्सेज सर्विस आफ इन्जीनियर्स क्लास टू (इरीगेशन ब्रान्च) रूल्स, 1936 के उपबन्धों के अधीन प्रोन्नति कोटा के प्रति सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता है । "ग" और "घ" दोनों को सहायक अभियन्ता के पद पर स्थायी करना होगा क्योंकि सहायक अभियन्ता के पद पर भर्ती के स्रोतों में से सीधी भर्ती एक स्रोत है।

(4) (ड़) सिंचाई विभाग में एक स्थायी सहायक अभियन्ता है जिसे सरकार द्वारा निर्गत किए गए कार्यपालक अनुदेश के अनुसार अधिशासी अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत किया जाता है । “ड़” को पुनः अधिशासी अभियन्ता के पद पर स्थायी करना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि अधिशासी अभियन्ता के पद पर भर्ती का एक मात्र स्रोत प्रोन्नति है ।

(5) उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायक का पद लिपिक वर्गीय सेवा का पद है । अनुभाग अधिकारी का पद एक भिन्न सेवा अर्थात उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा का पद है “च” एक स्थायी प्रवर वर्ग सहायक है जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति होने पर पुनः स्थायी करना होगा । अनुसचिव के पद पर और अन्य उच्चतर पदों पर अगली प्रोन्नति होने पर उसका मामाल नियम-5 के उप नियम (1) के अन्तर्गत आएगा और “च” को उच्चतर श्रेणी के पदों पर पुनः स्थायी नहीं करना होगा ।

(6) उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा नियमावली, 1983 के अधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में उप सचिव के पद पर प्रोन्नति के लिए एक स्थायी अनुसचिव ही पात्र है। उपर्युक्त उपबन्ध से युक्त सेवा नियम इस नियमावली के लियम 5 के उप नियम (4) के अधीन इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे कि प्रोन्नति के लिए ऐसी पात्रता के सम्बन्ध में स्थायीकरण आवश्यक नहीं होगा ।

वे पद जिन पर ये नियम लागू नहीं होगें।

6. ये नियम वहां लागू नहीं होंगे जहां नियुक्तियां उन अधिष्ठानों के पदों पर की जाएं जो निश्चित और पूर्णतः अस्थायी अवधि के लिए सृजित किए गए हों जैसे कि समितियां, जांच आयोग, किसी विशिष्ट आपात स्थिति से निपटने के लिए सृजित संगठन जिनके कुछ ही वर्षो से अधिक समय तक चलने की प्रत्याशा न हो, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परियोजनाओं और पूर्णतः अस्थायी संगठनों के लिए सृजित पद।

धारणाधिकार रखने का अधिकार

7. ऐसा सरकारी सेवक जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के अधीन किसी पद पर स्थायी किया गया हो या जिसे किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत किया गया हो और इस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन विहित परिवीक्षा पूरी कर लिया जाना घोषित कर दिया गया हो या जहाँ परिवीक्षा विहित नहीं है । वहां नियमित आधार पर उच्चतर पद पर प्रोन्नत कर दिया गया हो, यथास्थिति, यह समझा जाएगा कि उस पद पर उसका धारणाधिकार है ।

व्यावृत्ति

8. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो ।

आज्ञा से,

नीरा यादव
सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग - 1

संख्या 13/2/91-टी० सी०-का-1-1991

लखनऊ, दिनांक 20 मार्च, 1991

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अवधारित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991

भाग-एक-प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1.** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 1991 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

लागू होना **2.** यह नियमावली उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी जिनकी भर्ती और सेवा की शर्तो के सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन नियमावली बनाई जायेगी या बनाई जा चुकी है ।

अध्यारोही प्रभाव **3.** यह नियमावली इससे पूर्व बनाई गई किसी अन्य सेवा नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होगी ।

परिभाषाएं **4.** जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली में :-

(क) किसी सेवा के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन ऐसी सेवा में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) **"संवर्ग"** का तात्पर्य किसी सेवा की सदस्य संख्या, या किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत सेवा के किसी भाग से है,

(ग) **"आयोग"** का तात्पर्य यथास्थिति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है ।

(घ) **"समिति"** का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए चयन करने हेतु गठित समिति से है,

(ड़) **"पोषक संवर्ग"** का तात्पर्य सेवा के उस संवर्ग से है जिसके सदस्यों में से सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन उच्चतर सेवा या पद पर पदोन्नति की जाय,

(च) **"सेवा"** का तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता अवधारित की जानी है,

(छ) **"सेवा नियमावली"** का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद ३०६ के परन्तुक के अधीन बनाई गई नियमावली से है और जहां ऐसी नियमावली न हो वहां सुसंगत सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों से है,

(ज) **"मौलिक नियुक्ति"** का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और सेवा से सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो,

(झ) **"वर्ष"** का तात्पर्य जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अविध से है ।

भाग-दो-ज्येष्ठता की अवधारण

उप स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां की जाएं

5. जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल सीधी भर्ती द्वारा की जानी हो वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो यथास्थिति, आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई है :

प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर यह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों की विधि मान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती नियम के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों से कनिष्ठ रहेंगे ।

स्पष्टीकरण-जब एक ही वर्ष में नियमित और आपात भर्ती के लिए पृथक-पृथक चयन किए जाएं तो नियमित भर्ती के लिए किया गया चयन पूर्ववर्ती चयन माना जाएगा ।

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब केवल एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाएं

6. जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी ।

स्पष्टीकरण-पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात की गई हो, उस संवर्ग में जिसमें उनकी पदोन्नति की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब कई पोषक संवर्गो से केवल पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाएं

7. जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां एक से अधिक पोषक संवर्गो से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हों वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किए गए व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उनके अपने-अपने पोषक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण-जहां पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक

से होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हों तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्ति निम्नतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगेः-

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे ।

उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जाय

8. जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाएं तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हैं:-

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई सेवा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई वयक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाय, तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जाएगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किए जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है, कारणों को विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) किसी एक चयन के परिणामस्वरूप-

(क) सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में दिखाई गई हो :

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गो से होती है यथास्थिति, नियम 6 या नियम 7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय ।

(3) जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जायं वहां पदोन्नत व्यक्तियों की, सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम में (प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा) अवधारित की जाएगी ।

दृष्टान्त-

(1) जहां पदोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों का कोटा 1:1 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगी :

प्रथम	पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय	सीधी भर्ती किया गया व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी

(2) जहां उक्त कोटा 1:3 के अनुपात में हो वहां ज्येष्ठता निम्नलिखित क्रम में होगीः-

प्रथम	पदोन्नत व्यक्ति
द्वितीय से चतुर्थ तक	सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति
पांचवां	पदोन्नत व्यक्ति
छठा से आठवां	सीधी भर्ती किये गये व्यक्ति और इसी प्रकार आगे भी

प्रतिबन्ध यह है कि :-

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जाएं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिए उन अनुवर्ती वर्ष या वर्षो के लिए बढ़ा दिया जायेगा जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों ।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी न भरी गई रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाएं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं पायेंगे किन्तु वह उस वर्ष की ज्येष्ठता पायेगें जिसमें उनकी नियुक्तियां की जाएं किन्तु

उनके नाम शीर्ष पर रखे जायेगें, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहां सेवा नियमावली के अनुसार, सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी स्रोत से बिना भरी गई रिक्तियां अन्य स्रोत से भरी जाएं और कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता पायेंगे मानों वे अपने कोटा की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किए गए हों ।

नये नियम का 8-क बढ़ाया जाना

*** दिनांक 18 अक्टूबर, 2002 से प्रतिस्थापित**

अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किसी व्यक्ति को पारिणामिक ज्येष्ठता की हकदारी

इस नियमावली के नियम 6, 7 या 8 में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई व्यक्ति आरक्षण/रोस्टर के नियम के आधार पर, अपनी पदोन्नति पर पारिणामिक ज्येष्ठता का भी हकदार होगा ।

नियम 8-क का लोप

**** दिनांक 13 मई, 2005 से प्रतिस्थापित**

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में नियम 8-क निकाल दिया जायेगा ।

नये नियम का 8-क बढ़ाया जाना

***** दिनांक 14 सितम्बर, 2007 से प्रतिस्थापित**

अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित किसी व्यक्ति को पारिणामिक ज्येष्ठता की हकदारी

इस नियमावली के नियम 6, 7 या 8 में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का कोई व्यक्ति आरक्षण/रोस्टर के नियम के आधार पर, अपनी पदोन्नति पर पारिणामिक ज्येष्ठता का भी हकदार होगा ।

भाग-तीन-ज्येष्ठता सूची

ज्येष्ठता सूची का तैयार किया जाना

9. (1) सेवा में नियुक्तियां होने के पश्चात यथा सम्भव शीघ्र नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा ।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को सम्बन्धित व्यक्तियों में आपत्तियां आमन्त्रित करते हुए युक्तियुक्त अवधि का नोटिस देकर, जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक से कम से कम सात दिन की होगी, परिचालित किया जायेगा ।

(3) इस नियमावली की शक्तिमत्ता या विधिमान्यता के विरूद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नहीं की जायेगी ।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करेगा ।

(5) उस संवर्ग की जिसमें नियुक्तियां एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जाय, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नहीं होगा ।

आज्ञा से,

नीरा यादव
सचिव ।

* उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2002 संख्या 13/2/91-का-1-2002 दि० 18 अक्टूबर, 2002 द्वारा संशोधित

** उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (क्षितीय संशोधन) नियमावली, 2002 संख्या 324/13-2-91-टी०सी०-का-1-2005 दि० 13 मई, 2005 द्वारा संशोधित

*** उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2002 संख्या 13/2/91-टी०सी०-का-1-2007 दि० 14 सितम्बर, 2007 द्वारा संशोधित

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-13/19/91-का-1-1992
लखनऊ, दिनॉक 25 मार्च, 1992

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद-320 के खण्ड (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित विनियम बनाते हैंः-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम 1992

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह विनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम,1992 कहे जायेंगे ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

विनियम-6 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 में, स्तम्भ-1 में दिए गए विनियम-6 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा ।

स्तम्भ-1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित विनियम
(6) पदोन्नतियाँः निम्नलिखित दशाओं में पदोन्नतियां करते समय अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अथवा पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा, अर्थातः-	**(6) पदोन्नतियाँः** पदोन्नतियॉं करने में या पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले सिद्धान्तों के सम्बन्ध में, निम्नलिखित मामलों में, आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा, अर्थातः-
(क) राज्यपाल से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा किसी सेवा (Service) या पद पर पदोन्नति किए जाने की दशा में उस दशा से भिन्न जब वह सेवा या पद विनियम (Regulalion) 3 के खण्ड (क) में दिए हुए उपबन्धों के अनुसार आयोग (Commission) के विचार क्षेत्र में आता हो ।	(क) समूह ''ग'' के उन पदों पर, जिनकी सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से नहीं की जाती हैं, पदोन्नतियां करने में या एक अराजपत्रित पद से दूसरे अराजपत्रित पद पर पदोन्नतियां करने में ।
(ख) एक ही सेवा (Service) में उसके (सेवा के) नियमों के अनुसार निम्न ग्रेड या पद से उच्च ग्रेड या पदोन्नति किए जाने की दशा में । किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी अधिकारी की पदोन्नति एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में करने का प्रस्ताव हो, तो आयोग से परामर्श करने के पश्चात उच्च पद, ग्रेड में सीधे भर्ती की जा सकती है । **उदाहरणः** सुपरिन्टेन्डेन्ट और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल प्रेस, एक ही सेवा के हैं। नियमों के अन्तर्गत सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर भर्ती आयोग (Commission) से परामर्श करने के पश्चात सीधे या पदोन्नति द्वारा की जा सकती है । डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट की पदोन्नति सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर करने के सम्बन्ध में आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता है।	(ख) समूह ''ग'' के पदों से समूह ''ख'' के पदों पर या एक राजपत्रित पद से दूसरे राजपत्रित पद पर जहॉं भर्ती का एक मात्र स्रोत पदोन्नति हो, पदोन्नतियां करने में ।

(ख-ख) जब संबद्व सेवा या पद के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं या राज्यपाल से भिन्न कोई प्राधिकारी है, और सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक को या उसके पूर्व तदर्थ आधार पर पदोन्नति किया जाने वाला सम्बद्व व्यक्ति ऐसी तदर्थ पदोन्नति के समय नियमित पदोन्नति के लिए अपेक्षित अर्हता रखता है और उक्त दिनांक को या उसके पश्चात पदोन्नति के पद पर तीन वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है ।

(ग) ऐसी अवधि के लिए स्थानापन्न पदोन्नति किए जाने की दशा में, जिसकी लगातार एक वर्ष से अधिक होने की सम्भावना न हो ।

उदाहरणः अधीनस्थ चिकित्सा सेवा (Subordinate Medical Service) किसी सदस्य को राजकीय चिकित्सा सेवा (State Medical Service) किसी ऐसे रिक्त पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसके 10 महीने तब बने रहने की सम्भावना है । इस पदोन्नति के सम्बन्ध में आयोग से परामर्श नहीं किया जाएगा, किन्तु बाद में यदि उक्त रिक्त स्थान की अवधि 4 महीने और बढ़ा दी जाती है और उक्त अधिकारी को रिक्त स्थान में इस बढ़ाई गई अवधि में भी रखे रहने का प्रस्ताव हो, तो यह मालूम होते ही कि स्थानापन्न नियुक्ति लगातार कुल एक वर्ष से अधिक समय तक रहेगी, आयोग से परामर्श कर लेना चाहिए ।

(घ) राज्य के पुलिस दल के अधीनस्थ पदों पर पदोन्नतियां किये जाने की दशा में ।

स्पष्टीकरणः इस खण्ड में ''पुलिस दल'' के अन्तर्गत प्रान्तीय सशस्त्र कान्सटेबुलरी तथा अन्य समान संगठन भी हैं ।

(ग) खण्ड (ख) के अन्तर्गत न आने वाले समूह ''क'' के पदों पर पदोन्नतियां करने में ।

(6)-(क) - विनियम-3, 4, 5 व 6 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां प्रत्यक्षतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 1962 को घोषित आपातकाल के सम्बन्ध में, सृजित किया गया पद, जो आयोग के क्षेत्रान्तर्गत आता हो, पर राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल से भिन्न प्राधिकारी द्वारा अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्ति हेतु चयन किया गया हो और ऐसे पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति के उक्त आपाल काल या तीन वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक उस पद पर बने रहने की सम्भावना न हो, और जहॉ अग्रेतर--

(1) सम्बन्धित विभाग में उत्तर प्रदेश शासन के सचिव द्वारा, जहॉ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हैं,

अथवा

सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा, हो वह या उसके अधीन अन्य प्राधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी हैं, प्रमाणित किया गया हो कि पद को तुरन्त भरा जाना आवश्यक है,

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी प्रत्येक नियुक्ति, करने के तुरन्त बाद आयोग को सूचना दी जाएगी।

आज्ञा से,
ओ० पी० आर्य,
सचिव ।

उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन नियमावली–1992

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या–13/19/91–का–1/1992

लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 1992

अधिसूचना/प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

''उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ **1.** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्यारोही प्रभाव **2.** (1) यह नियमावली सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों के सिवाए, राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन पदोन्नति कोटे के पदों पर लागू होगी ।

(2) यह नियमावली किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी ।

परिभाषाएं **3.** जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,

(क) **'कृषि उत्पादन आयुक्त'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त और सरकार के कृषि उत्पादन और ग्राम्य विकास विभाग के प्रमुख सचिव से है,

(ख) **'मुख्य सचिव'** का तात्पर्य सरकार के मुख्य सचिव से है,

(ग) **'संबन्धित विभाग'** का तात्पर्य उस विभाग से है जिसके लिए चयन किया जा रहा है,

(घ) **'संविधान'** का तात्पर्य 'भारत के संविधान' से है,

(ड़) **'कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अधीन विभागों'** का तात्पर्य निम्नलिखित विभागों से है, अर्थात

1.	ग्राम्य विकास विभाग,
2.	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,
3.	लघु सिंचाई विभाग,
4.	भूजल विभाग,
5.	कृषि विभाग,
6.	उघान एवं खाघ प्रसंस्करण विभाग,
7.	सहकारिता विभाग,
8.	मत्स्य विभाग,
9.	पशुधन विभाग ।

(च) **'सरकार'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ज) **'सचिव कार्मिक'** का तात्पर्य कार्मिक विभाग में सरकार के सचिव से है,

(झ) **'चयन समिति'** का तात्पर्य सुसंगत सेवा नियमावलियों के अधीन पदों पर चयन करने के लिए गठित समिति से है,

(ट) **'सेवा आयोग'** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी सम्मिलित है।

चयन समिति का गठन **4.** किसी अन्य नियमावली या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगीः-

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अधीन विभागों में विभागाध्यक्ष और अपर विभागाध्यक्ष के पद के लिए,

(1)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2)	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
(3)	सचिव, कार्मिक	सदस्य
(4)	सम्बन्धित विभाग में सरकार के यथास्थिति प्रमुख सचिव और/या सचिव	सदस्य (गण)

(ख) कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के अधीन विभागों से भिन्न विभागों में विभागाध्यक्ष और अपर विभागाध्यक्ष के पद के लिए,

(1)	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
(2)	सचिव, कार्मिक	सदस्य
(3)	सम्बन्धित विभाग में सरकार के यथास्थिति प्रमुख सचिव और/या सचिव	सदस्य (गण)

(ग) समय-समय पर सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों के पदोन्नति कोटे के लिए जहां किसी अन्य नियमवाली में पदोन्नति के लिए कोई विभागीय चयन समिति विहित न हो,

(1)	सम्बन्धित विभाग में सरकार के, यथास्थिति, प्रमुख सचिव और/या सचिव,
(2)	सचिव, कार्मिक या उसका कोई नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति जो सरकार के, संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे से निम्न न हो,
(3)	सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष और जहॉ कोई विभागाध्यक्ष न हो, वहां सरकार के सम्बन्धित विभाग के सचिव द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई ऐसा अधिकारी जो सरकार के, संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो। ज्येष्ठतम सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा।

(घ) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, सन 1988) की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन अधीनस्थ आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के कोटे के लिए चयन करने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित पदों सहित समूह 'ग' के पदों के पदोन्नति कोटे के लिएः-

(1)	नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(2)	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी, जो इस पद के पर्यवेक्षक की हैसियत रखते हों, जिसके लिए चयन किया जा रहा है।	सदस्य गण

नाम निर्देश **5.** उन पदों के लिए जो नियम-4 के खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन नहीं आये हैं, जहॉ सचिव, कार्मिक किसी चयन समिति का सदस्य हो, वहॉ वह अपनी ओर से किसी ऐसे अधिकारी का नाम निर्दिष्ट कर सकता है जो सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न न हो।

आज्ञा से,

ओ०पी०आर्य,
सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग-1
संख्या-13/34/90-का-1-1994
लखनऊ, दिनॉक 10 अक्टूबर, 1994

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

"उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994"

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना **1.** (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली,1994 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

(3) यह किसी पद पर या सेवा में, जिसके लिये समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिशीमन) विनियम, 1954 के अधीन पदोन्नति करने में अनुपालन किये जाने वाले सिद्धान्तों पर लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं है, पदोन्नति द्वारा भर्ती के सम्बन्ध में लागू होगी ।

अध्यारोही प्रभाव **2.** यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गई किसी नियमावली, या सत्समय प्रवृत्त किन्ही आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रभावी होगे।

परिभाषाएं **3.** जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो

(क) **"संविधान"** का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है,

(ख) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है

(ग) **"पद या सेवा"** का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद या सेवा से है।

पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मापदण्ड **4.** विभागाध्यक्ष के पद पर, विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद, जिसके वेतनमान का अधिकतम 6700/- रूपये या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायेगी, और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों, जिसमें ऐसा पद, जहां पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाये, भी सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

आज्ञा से,
(आर0 बी0 भास्कर)
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
कार्मिक अनुभाग - 2
सख्याः 20/1/95-का-2/1995
लखनऊ दिनांक 10 जुलाई, 1995

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टो के विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995 कही जायगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

(3) यह समस्त सरकारी सेवकों पर लागू होगी ।

अध्यारोही प्रभाव

2. यह नियमावली, किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी ।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, पद-

(क) **"समुचित अधिकारी"** का तात्पर्य उस व्यक्ति, जो सरकार द्वारा, यथास्थिति, प्रतिवेदक प्राधिकारी, समीक्षक प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त हो, से है,

(ख) **"संविधान"** का तात्पर्य भारत का संविधान से है,

(ग) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(घ) **"सरकारी सेवक"** का तात्पर्य उस व्यक्ति, जो उच्च न्यायायल के नियंत्रण के अधीन किसी पद से भिन्न संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर कार्य कर रहा हो, से है,

(ङ) **"रिपोर्ट"** का तात्पर्य किसी सरकारी सेवक के कार्य, आचरण और सत्य-निष्ठा के संबंध में किसी समुचित प्राधिकारी, जिसने उस सरकारी सेवक का काम निरन्तर तीन मास से अन्यून अवधि तक देखा हो, द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अभिलिखित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से है,

(च) **"सचिवालय"** का तात्पर्य सरकार के सचिवालय से है,

(छ) "वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

प्रतिकूल रिपोर्ट के संसूचना और प्रत्यावेदन के निपटाने के लिए प्रक्रिया

4. (1) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के सम्बन्ध में रिपोर्ट पूर्णतः या अंशतः प्रतिकूल या आलोचनात्मक हो, जिसे आगे प्रतिकूल रिपोर्ट कहा गया है, तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा, जो प्रतिवेदक/प्राधिकारी से निम्न पंक्ति का न हो और स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट हो, रिपोर्ट को अभिलिखित किये जाने के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर सम्पूर्ण रिपोर्ट लिखित रूप में संसूचित की जायेगी और इस आशय का एक प्रमाण-पत्र रिपोर्ट में अभिलिखित किया जायेगा ।

(2) सरकारी कर्मचारी, उप नियम (1) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना के दिनांक से 45 दिन की अवधि के भीतर, इस प्रकार संसूचित प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन लिखित में सीधे और उचित माध्यम से स्वीकर्ता प्राधिकारी से एक पंक्ति ऊपर के प्राधिकारी को, जिसे आगे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, और यदि कोई सक्षम प्राधिकारी न हो तो स्वीकर्ता प्राधिकारी को ही कर सकता है परन्तु यदि यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि सरकारी सेवक के पास उक्त अवधि के भीतर प्रत्यावेदन प्रस्तुत न कर सकने के लिए पर्याप्त कारण है तो यह ऐसे प्रत्यावेदन की प्रस्तुति के लिए 45 दिन की अग्रतर अवधि की अनुमति दे सकता है ।

(3) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह से अनधिक अवधि के भीतर प्रत्यावेदन को समुचित प्राधिकारी को, जिसने प्रतिकूल रिपोर्ट अभिलिखित की है, उसकी टीका-टिप्पणी के लिए भेजेगा जो प्रत्यावेदन की प्राप्ति के दिनांक से 45 दिन से अनधिक अवधि के भीतर अपनी टीका-टिप्पणी, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी को भेजेगाः-

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी टीका-टिप्पणी अपेक्षित नहीं होगी, यदि समुचित प्राधिकारी अपनी टीका-टिप्पणी भेजने से पहले सेवा में न रह गया हो या सेवानिवृत्त हो गया हो या निलम्बनाधीन हो ।

(4) यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट 45 दिन की समाप्ति के दिनांक से 120 दिन की अवधि के भीतर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी के साथ प्रत्यावेदन पर विचार करेगा और यदि कोई टीका-टिप्पणी प्राप्त न हुई हो तो टीका-टिप्पणी की प्रतीक्षा किये बिना--

(क) प्रत्यावेदन को निरस्त करते हुए, या

(ख) प्रतिकूल रिपोर्ट को पूर्णतः या अंशतः, जैसा वह उचित समझे, निकालते हुए, सकारण आदेश पारित करेगा ।

(5) जहां सक्षम प्राधिकारी, उप नियम (4) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी प्रशासनिक कारण से प्रत्यावेदन का निपटारा करने में असमर्थ हो तो वह इस संबंध में अपने उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रत्यावेदन के निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे।

(6) उप नियम (4) के अधीन पारित आदेश सम्बन्धित सरकारी सेवक को लिखित रूप में संसूचित किया जायेगा ।

(7) जहां उप नियम (4) के अधीन प्रतिकूल रिपोर्ट निकालने का आदेश पारित किया जाय, वहां यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी इस प्रकार निकाली गई रिपोर्ट को विलुप्त कर

देगा ।

(8) उप नियम (4) के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा ।

(9) जंहा --

(एक) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट की संसूचना,

(दो) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन,

(तीन) समुचित प्राधिकारी को उसकी टीका-टिप्पणी के लिए प्रत्यावेदन के भेजे जाने,

(चार) समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी, या

(पांच) किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्यावेदन के निपटारे, का कोई मामला इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को लम्बित हो वहां ऐसे मामलों पर इस नियम के अधीन उनके लिए विहित अवधि के भीतर विचार किया जायेगा और उसका निपटारा किया जाएगा ।

स्पष्टीकरणः इस उप नियम में विनिर्दिष्ट किसी मामले के लिए इस नियम के अधीन विहित अवधि की संगणना करने में इस नियमावली के प्रारम्भ के दिनांक को व्यतीत हो चुकी अवधि की गणना नहीं की जाएगी ।

रिपोर्ट का प्रतिकूल न समझा जाना

5. फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार में दिये गये उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के नियम-56 में यथा उपबन्धित के सिवाय जहां कोई प्रतिकूल रिपोर्ट संसूचित नहीं की जाती है या जहां किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध कोई प्रत्यावेदन नियम-4 के अनुसार नहीं निपटाया गया है वहां ऐसी रिपोर्ट को, संबंधित सरकारी सेवक की पदोन्नति, दक्षता रोक पार करने और अन्य सेवा संबंधी मामलों के प्रयोजनार्थ प्रतिकूल नहीं समझा जायेगा ।

रजिस्टर का रख रखाव

6. यथास्थिति सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में, जैसा समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, एक रजिस्टर रखेगा और उसमें समुचित प्रविष्टियां करेगा ।

7. (1) जहां संबंधित सरकारी सेवक की किसी प्रतिकूल रिपोर्ट को संसूचित करने के लिए विधिक रूप से बाध्य कोई अधिकारी या इस नियमावली के अधीन किसी प्रतिकूल रिपोर्ट के विरूद्ध किसी प्रत्यावेदन को निपटाने में विधिक रूप से सक्षम कोई अधिकारी, उसके लिये विहित अवधि के भीतर ऐसा करने में जानबूझ कर विफल रहता है, वहां वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा ।

(2) सचिवालय का अनुभाग अधिकारी और सचिवालय से भिन्न किसी कार्यालय का कोई प्रभारी अधिकारी या पदधारी, प्रत्यावेदन को, उस पर समुचित प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी, और अन्य सुसंगत अभिलेखों को, यदि कोई हों, उनकी प्राप्ति के तुरन्त पश्चात, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या स्वीकर्ता प्राधिकारी के समक्ष रखेगा । इस निमित्त, उसकी तरफ से जानबूझ कर किया गया कोई व्यतिक्रम कदाचार होगा और वह उस पर लागू दण्ड नियमों के अनुसार दण्डनीय होगा ।

व्यावृत्ति

8. नियम-4 के उप नियम (9) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व की गई कोई कार्यवाही या किया गया कोई कृत्य इस नियमावली के तत्समान उपबन्धों के अधीन की गई कार्यवाही या किया गया कृत्य समझा जायेगा ।

आज्ञा से,
राम कुमार,
सचिव

भाग - ३

उत्तर प्रदेश कारागार विभाग

की

कारागार सम्बन्धी

अन्य

नियमावलियाँ

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (कारागार) अनुभाग-3
संख्या 2736-जे/बाईस-12 (जी)-80
लखनऊ 4 अक्तूबर, 1980

अधिसूचना
आदेश

सा०प०नि०-87

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1980) की धारा 5 के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं:-

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी (निरूद्ध करने की शर्ते) आदेश, 1980

संक्षिप्त नाम और लागू होना

1. (1) यह आदेश उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय व सुरक्षा बन्दी (निरूद्ध करने की शर्ते) आदेश, 1980 कहा जायगा।

(2) यह अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन या अनुसार निरूद्ध किये गये प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा ।

परिभाषायें

2. इस आदेश में -

(क) **"राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी"** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन या अनुसार निरूद्ध करने का आदेश दिया गया हो,

(ख) **"अध्यादेश"** का तात्पर्य राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 से है,

(ग) **"अधीक्षक"** का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो किसी जेल या ऐसे अन्य स्थान का, जहां पर निरूद्ध व्यक्ति को निरूद्ध रखने का आदेश दिया गया हो, अधीक्षक या उस रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो ।

वास सुविधा

3. राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी को प्रकोष्ठ (सेल) या सहयुक्त बैरेक (एसोसियेशन बैरेक) में निरूद्ध किया जायगा और यथा संभव, अन्य बन्दियों से प्रथक रखा जाएगा। यदि अधीक्षक ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह किसी विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी को किसी एकान्त प्रकोष्ठ में परिरूद्ध कर सकता है ।

वर्गीकरण

4. किसी राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी को सामान्यतया साधारण श्रेणी में रखा जायगा, जब तक के निरूद्ध करने वाले प्राधिकारी या उस जिले में, जहां वह तत्समय निरूद्ध हो, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्ध-दोष व्यक्तियों के वर्गीकरण से संबन्धित जेल मैनुअल में दिये गये उपबन्धों के अनुसार उच्चतर श्रेणी में अन्यथा वर्गीकृत न किया जाय ।

आहार 5. किसी राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी को सिद्ध-दोष बन्दियों के लिये जेल मैनुअल में विहित मापमान के अनुसार आहार दिया जायेगा किन्तु ऐसे बन्दियों को जिन्हें उच्चतर श्रेणी में वर्गीकृत किया जाय, परिशिष्ट ‘क’ में यथा निर्दिष्ट आहार दिया जा सकता है। किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी को स्वयं अपना भोजन पकाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

कपड़े और बिस्तर 6. (1) कोई राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी अपने निजी कपड़े पहन सकता है और अपना बिस्तर और जूतों का उपयोग कर सकता है। अधीक्षक किसी ऐसे बन्दी के लिये, जिसके पास पर्याप्त कपड़े और बिस्तर की व्यवस्था न हों, ऐसी वस्तुओं का संभरण करेगा जो पहिले से उसके कब्जे में मौजूद सामान को मिलाकर, जो, यथास्थिति, साधारण या उच्चतर श्रेणी के लिये, ऐसे बन्दी के वर्गीकरण के अनुसार, विहित मापमान के अनुरूप हो जाय ।

(2) किन्तु, अधीक्षक द्वारा संभरित कपड़े और बिस्तर की सभी वस्तुयें राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहेगी ।

साक्षात्कार 7. (1)

मूल नियम	* दिनांक 12 अक्टूबर 1990 से प्रतिस्थापित
उच्चतर श्रेणी में वर्गीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी महीने में दो बार और साधारण श्रेणी का ऐसा बन्दी प्रतिमास एक बार अपने संबन्धियों और मित्रों से साक्षात्कार कर सकता है, परन्तु यह विशेषाधिकार सदाचरण के अधीन रहेगा और अधीक्षक इसका प्रत्याहरण या निलम्बन कर सकता है यदि बन्दी गंभीर रूप से अनुशासन भंग करने का दोषी रहा हो । प्रत्येक ऐसा बन्दी अधीक्षक की अनुज्ञा से किसी साक्षात्कार के बदले में पत्र लिख सकता है जो पैरा 9 (1) के अधीन अनुज्ञात पत्रों के अतिरिक्त होगा ।	(1) **(क)** कोई राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी अधीक्षक की अनुज्ञा से, सप्ताह में दो बार अपने संबंधियों और मित्रों से साक्षात्कार कर सकता है, परन्तु यह विशेषाधिकार सदाचरण के अधीन होगा और अधीक्षक इसका प्रत्याहरण या निलम्बन कर सकता है यदि बंदी गम्भीर रूप से अनुशासन भंग करने .. ………… रहा हो। ………… प्रत्येक ऐसा बंदी अधीक्षक की अनुज्ञा से किसी साक्षात्कार के बदले में पत्र लिख सकता है जो पैरा 9 के उप पैरा (1) के अधीन अनुमत पत्रों के अतिरिक्त होगा । **(ख)** अधीक्षक की अनुज्ञा से कोई संबंधी या मित्र किसी राष्ट्रीय सुरक्षा बंदी से सप्ताह में दो बार साक्षात्कार कर सकता है, परन्तु यह विशेषाधिकार सदाचरण के अधीन होगा और अधीक्षक इसका प्रत्याहरण या निलम्बन कर सकता है यदि इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों पर उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के किन्हीं उपबन्धों का उल्लघंन होता है।

(2) अधीक्षक, जिसको साक्षात्कार के लिये स्थान चुनने और उसके ढंग का पूर्ण विवेक होगा, यह देखेगा कि बन्दी और उसे साक्षात्कार करने वाले व्यक्तियों के लिये पर्याप्त जगह की व्यवस्था है ।

(3) उप पैरा (1) के अधीन अनुज्ञेय साक्षात्कारों के अतिरिक्त प्रत्येक राष्ट्रीय सुरक्षा बंदी को जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से अपनी गिरफ्तारी के दो साल के भीतर साधारणतया उत्पन्न होने वाले निजी कार्यकलाप के समाधान के लिये विशेष साक्षात्कार की अनुमति दी जा सकती है। ऐसा साक्षात्कार इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और उसका उद्देश्य सर्वथा वहीं तक सीमित होगा

जिसके लिये अनुमति दी गई हो ।

(4) साधारणतया राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी से एक बार में तीन से अधिक व्यक्ति साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। साक्षात्कार की अनुमति देने के लिये, सशक्त प्राधिकारी, स्वविवेकानुसार विशेष मामलों में, किसी साक्षात्कार में, अनुज्ञा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या बढ़ा सकता है ।

(5) साक्षात्कार आधा घंटा से अधिक नहीं होगा ।

(6) साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी की ओर से कोई प्रचार नहीं करेगा। यदि कोई प्रचार किया जाय तो भविष्य में साक्षात्कार प्रतिषिद्ध किया जा सकता है ।

---

* उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा बंदी (निरूद्ध करने की शर्तें) (प्रथम संशोधन) आदेश 1990 संख्या 308एन.एस.ए./बाइस-100(38-87 दि० 12 अक्टूबर, 1990 द्वारा संशोधित

	मूल नियम	* दिनांक 12 अक्टूबर 1990 से प्रतिस्थापित
7–क	नया पैरा का बढ़ाया जाना	कोई राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी यदि उसके लिये ऐसा करना आवश्यक हो, जिला मैजिस्ट्रेट की पूर्ण अनुज्ञा से अपने विधि सलाहकार से साक्षात्कार कर सकता है, साक्षात्कार की अनुज्ञा जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र देकर प्राप्त की जायेगी और जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर बिना किसी परिहार्य विलम्ब उस पर समुचित आदेश पारित करेगा । अधीक्षक साक्षात्कार के तुरन्त समय और स्थान निर्धारित करेगा। यदि जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे तो वह निरूद्ध व्यक्ति और उसके विधिक सलाहकार के सुनवाई की दूरी के बाहर किसी स्थान से साक्षात्कार पर नजर रखने के लिये एक अधिकारी को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है। परन्तु साक्षात्कार का समय एक घण्टें से अधिक नहीं होगा और ऐसे साक्षात्कार की संख्या सप्ताह में दो से अधिक नहीं होगी ।

सरकारी अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार

8. राज्य सरकार के निदेशों के अधीन रहते हुये, कारागार महानिरीक्षक, सामान्य या विशेष आदेश से, किसी राजपत्रित अधिकारी को किसी राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी का सरकारी कार्य के लिये साक्षात्कार करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है। ऐसे साक्षात्कार के समय सभी आवश्यक पूर्वावधानी बरती जायेगी ।

पत्र–व्यवहार

9. (1) कोई राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी, यदि उच्चतर श्रेणी का बन्दी है, एक महीने में बिल्कुल वैक्तिक प्रकार के दो पत्र और यदि साधारण श्रेणी का बन्दी है तो एक महीने में एक पत्र लिख सकता है।

(2) प्रत्येक राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी बिल्कुल वैयक्तिक प्रकार के पत्र प्राप्त कर सकता है। ऐसे पत्र प्रतिशत उच्चतर श्रेणी के बन्दी की स्थिति में दो और साधारण श्रेणी के बन्दी की स्थिति में एक से अधिक नहीं होगें।

(3) किसी राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी को संबोधित और उसके द्वारा भेजे जाने वाले सभी पत्र स्वयं अधीक्षक द्वारा पढ़े जायेंगें। वह इस आदेश के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुये अनापत्तिजनक पत्रों को प्रेषित कर देगा। आपत्तिजनक प्रकार के पत्रों को वह तुरन्त उस जिले के, जिसमें जेल स्थित हो, जिला मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट करेगा। जिला मजिस्ट्रेट चार दिन के भीतर इन पत्रों को उनके निस्तारण के लिये आवश्यक निर्देश के साथ वापस भेज देगा।

(4) किसी राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी द्वारा लिखा गया और केन्द्रीय या राज्य सरकार को संबोधित प्रत्येक पत्र तुरन्त ही सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, गृह (कारागार-3) विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया जायेगा।

(5) ऐसे सभी पत्र को इस आधार पर रोके गये हों कि उसमें आपत्तिजनक बातें हैं पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अन्य अधिकारी के पास भेजे जायेगें जो, स्वविवेकानुसार, उन्हें रोक सकते है या नष्ट कर सकते है।

(6) तार ऐसे बन्दियों के खर्च पर जो उन्हें भेज रहे हो, भेजे जा सकते है। उन्हें इस आदेश के प्रयोजनों के लिये पत्र समझा जायेगा और वे उन्हीं नियमों से नियंत्रित होंगे जो पत्रों पर लागू होते हैं।

परीक्षा

10. किसी राश्ट्रीय सुरक्षा बन्दी को निरूद्ध रहने की अवधि में साधारणतया जेल में परीक्षा में सम्मिलित होने या बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। आपवादिक मामलों में राज्य सरकार आवश्यक अनुज्ञा दे सकती है।

दण्ड

11. अधीक्षक किसी राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी को कोई भी ऐसा दंड दे सकता है जो किसी सिद्धदोष बन्दी को उत्तर प्रदेश जेल मैंनुअल के पैरा 806 के साथ पठित कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 45 में विनिदिष्ट किसी अपराध के लिये दिया जा सकता है।

हथकड़िया और बेड़ियाँ

12. (1) ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी को जो सड़क या रेल से यात्रा कर रहा हो, जब तक कि पुलिस अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा के कारणों से लिखित रूप में अपेक्षा न की जाय, बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ, और आड़ी तिरछी बेड़ियां नही लगाई जायेंगी।

(2) उप पैरा (1) में किसी बात के होते हुये भी, अधीक्षक किसी भी समय राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी पर बेड़िया लगा सकता है यदि उसका यह विचार हो कि ऐसे बन्दी को यदि बेड़ियां न लगाई जायें, भाग जाने का गंभीर खतरा है।

यह विचार हो कि ऐसे बन्दी को, यदि बेड़िया न लगाई जायं, भाग जाने का गंभीर खतरा है।

प्रकीर्ण

13. (1) पत्रों में या साक्षात्कार के दौरान राजनैतिक प्रकार के या सरकार के विरूद्ध जनता को उत्तेजित करने के लिये आशयित विषयों की चर्चा प्रतिषिद्ध है।

(2) प्रत्येक राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी को, अपने विकल्प पर, ऐसा कार्य करने के अनुमति दी जा सकती है जो से अधीक्षक द्वारा आवंटित किया जाय और वह अपने श्रम के लिये ऐसी दरों पर पारिश्रमिक पा सकता है जैसी कारागार महानिरीक्षक राज्य सरकार के अनुमोदन से निश्चित करे।

(3) किसी राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी के संबन्ध में विशिष्टियां सिविल बन्दी के रजिस्टर में (क्रम संख्या के बिना) दर्ज की जायेगी, और ऐसे बन्दियों के सभी आंकड़े कारागार विवरणी में अलग से दिखाये जायेगें।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 266 से 271 (दोनों को सम्मिलित करके) के और यू०पी० प्रिजनर्स (अटेन्डेन्स इन कार्ट्स) रूल्स, 1956 के उपबन्ध प्रत्येक राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी की न्यायालय में उपस्थिति के सम्बन्ध में लागू होंगे।

उत्तर प्रदेष जेल मैनुअल का लागू होना

14. उत्तर प्रदेश जेल मैंनुअल के उपबन्ध, जहां तक कि वे इस आदेश से असंगत न हों, यथावश्यक परिवर्तन सहित, प्रत्येक राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी पर उसके निरूद्ध रहने की अवधि में लागू होंगें।

परिशिष्ट 'क'

(पैरा 5 देखिए)

उच्चतर श्रेणी के राष्ट्रीय सुरक्षा बन्दी के लिए आहार

खाद्य पदार्थ	मांसाहारियों के लिए आहार का मापमान	शाकाहारियों के आहार का मापमान
गेहूँ	350 ग्राम	350 ग्राम
चावल	175 ग्राम	175 ग्राम
दाल	55 ग्राम	115 ग्राम
गोश्त	230 ग्राम	—
दूध	—	350 ग्राम
मक्खन या घी	55 ग्राम	70 ग्राम
सरसों का तेल	15 ग्राम	15 ग्राम
चीनी	55 ग्राम	55 ग्राम
चाय (यदि आवश्यक हो)	15 ग्राम	15 ग्राम
दूध (यदि चाय के लिए आवश्यक हो)	55 ग्राम	55 ग्राम
सब्जी (जिसमें आलू 230 ग्राम से अधिक नहीं होगा)	230 ग्राम	350 ग्राम
मसाला	15 ग्राम	15 ग्राम
नमक	30 ग्राम	20 ग्राम
अमचूर या	15 ग्राम	10 ग्राम
चटनी या	10 ग्राम	10 ग्राम
नीबू का रस	30 ग्राम	30 ग्राम
फल	40 पैसे सप्ताह में तीन बार	40 पैसे सप्ताह में तीन बार
ईंधन	1 किलोग्राम	1 किलोग्राम

	855 ग्राम	400 ग्राम

आज्ञा से
सुमन कुमार माडवल,
सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4
संख्या-893/22-4-05-48(43)/99 टी.सी.
लखनऊः दिनॉक 22 जून, 2005

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश बंदियों को पारिश्रमिक और उनके पीडितों को प्रतिकर का भुगतान नियमावली, 2005

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित कारागार अधिनियम, 1894 की धारा-59 के साथ पठित उक्त अधिनियम (अधिनियम संख्या-9, सन 1894) की धारा 36-क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश बंदियों को पारिश्रमिक और उनके पीड़ितों को प्रतिकर का भुगतान नियमावली, 2005 कही जाएगी।

(2) यह सरकारी गजट में अपने प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

(क) **'पारिश्रमिक'** का तात्पर्य किसी बंदी को, कारागार के अधीक्षक/ज्येष्ठ अधीक्षक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कारागार में सौपे गये श्रम के लिए उसके द्वारा उपार्जित धन से है।

(ख) **'सामान्य'** निधि का तात्पर्य कारागार के लिए सृजित ऐसी निधि से है, जो पात्र पीड़ितों को प्रतिकर देने के प्रयोजनार्थ सिद्वदोष आपराधिक बंदियों द्वारा उपार्जित पारिश्रमिक में से कारागार अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या-9) कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या-16, सन 2002) की धारा 36-क के अधीन की गयी कटौतियों में से सृजित किया गया है।

(ग) **'समिति'** का तात्पर्य इस नियमावली के नियम-6 के अधीन यथा विहित रूप से गठित समिति से है।

(घ) **'पीड़ित'** का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके प्रति सिद्वदोष अपराधी बंदी द्वारा अपराध किया गया था, जिसके लिए ऐसा बंदी कारागार भोग रहा है और इसमें पीड़ित/पीड़ितों के विधिक वारिस भी सम्मिलित है।

पारिश्रमिक की दर **3.** प्रत्येक सिद्वदोष अपराधी बंदी जो कारागार में श्रम के लिए नियोजित हैं और सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहा है, वह ऐसी दरों पर जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं, पारिश्रमिक पाने का हकदार होगा।

पारिश्रमिक का राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा किया जाना **4.** किसी कारागार में बंदियों को देय पारिश्रमिक की धनराशि को नियम-५ के अनुसार कटौतियां, यदि कोई हो, करने के पश्चात राष्ट्रीयकृत बैंक में इस प्रयोजनार्थ खोले गये खाते में जमा किया जायेगा। खाते का प्रचालन कारागार के अधीक्षक/ज्येष्ठ अधीक्षक और जेलर/ज्येष्ठ जेलर द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। अधीक्षक/ज्येष्ठ अधीक्षक, बंदियों द्वारा उपार्जित पारिश्रमिक का लेखा इस नियमावली से नुलग्न प्रति-क में एक रजिस्टर रखेगा।

धनराशि की कटौती और पीड़ितों को उसका भुगतान **5.**

(1) सिद्वदोष अपराधी बंदी द्वारा उपार्जित पारिश्रमिक में से 15 प्रतिशत की धनराशि काट ली जायेगी और उस बंदी के द्वारा कारित अपराध के पात्र पीड़ित को भुगतान की जायेगी।

(2) यदि उस बंदी द्वारा कारित अपराध का कोई पात्र पीड़ित न हो या पीड़ित व्यक्ति उप नियम (1) में निर्दिष्ट धनराशि को लेने का इच्छुक नहीं है तो उसे सिद्वदोष अपराधी बंदी को वापस कर दिया जायेगा।

(3) अपराध के पीड़ितों की पहचान उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा जहां अपराध किया गया था।

(4) पीड़ितों को धनराशि का भुगतान समिति के सन्तोष के अधीन रहते हुए, धनादेश द्वारा किया जायेगा और धनादेश के व्ययों का वहन सिद्वदोष अपराधी बंदी द्वारा किया जायेगा।

(5) प्रत्येक कारागार में एक सामान्य निधि रखी जायेगी।

(6) प्रत्येक बंदी द्वारा उपार्जित पारिश्रमिक और की गई कटौतियों का विवरण इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र-ख में एक रजिस्टर में रखा जायेगा।

प्रतिपूर्ति के अवधारण के लिये समिति **6.** किसी पीड़ित को भुगतान की जाने वाली प्रतिकर की धनराशि के अवधारण के लिए एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

1.	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	ज्येष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक, कारागार	सदस्य-सचिव

समिति की बैठक **7.** समिति एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेंगी और जिनकी जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है

उन मामलों का विनिश्चय करेगी ।

प्रतिपूर्ति का भुगतान **8.** समिति द्वारा यथा विनिश्चित प्रतिपूर्ति का वितरण पीड़ित व्यक्ति को नियम-5 के उप नियम (4) में दिए गए प्रकार से धनादेश द्वारा नियम-6 के अधीन गठित संबंधित कारागार की समिति द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि के अवधारण के दिनॉक से 30 दिन के भीतर कर दिया जायेगा ।

परिशिष्ट – क

पारिश्रमिक के लिये लेजर

दिनांक एवं माह	नकदी पुस्तिका पृष्ठ संख्या	कुल धनराशि	क्रेडिट (जमा)		डेबिट (डालना)	
			अवमुक्त किये जाने के समय दोषसिद्ध व्यक्ति को भुगतान के लिये आरक्षित कुल मजदूरी का 15 प्रतिशत	अतिशेष	भुगतान	जेलर / अधीक्षक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट – ख

वर्ष....................के माह..........................के लिये बंदियों द्वारा अर्जित पारिश्रमिक

क्र० सं०	बंदी का नाम	दोषसिद्ध संख्या/ विचाराधीन संख्या	मजदूरी की दर	कार्यकारी दिनों की संख्या	बंदी द्वारा अर्जित पारिश्रमिक	सामान्य निधि के लिये कुल मजदूरी की 15 प्रतिशत कटौती	अतिशेष धनराशि	जेलर / सुपरिन्टेन्डेन्ट के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

उत्तर प्रदेश सरकार
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-472जेएल/22-3-07-21जी-89
लखनऊ, 15 फरवरी, 2007

अधिसूचना

प०आ० 54

दण्ड प्रक्रिया संहित, 1973 (अधिनियम संख्या-2 सन 1974) की धारा 432 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल दण्डादेशें के निलम्बन के बारे में और उन शर्तो के शर्तो के बारे में जिन पर अर्जियां प्रस्तुत की और निपटाई जानी चाहिए, निदेश देने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित सामान्य नियमावली बनाते हैं, अर्थातः-

उत्तर प्रदेश (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2007

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार **1.**

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2007 कही जायेगी ।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(4) यह नियमावली उत्तर प्रदेश के न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराध के लिए जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सिद्वदोष बंदियों पर लागू होगी, चाहे वे उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर या राज्य के बाहर परिरूद्व हों, किन्तु वह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगीः-

(क)	ऐसे अपराध के लिए, जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार नहीं है, सिद्वदोष बंदियों पर,
(ख)	ऐसे बंदियों पर जिन्होंने किसी न्यायालय में दण्डादेश के विरूद्व उसने लम्बित रहने के दौरान अपील या पुनरीक्षण फाइल किया हो,
(ग)	ऐसे बंदियों पर जिनके विरूद्व किसी न्यायालय के समक्ष कोई आपराधिक मामला लम्बित हो
(घ)	ऐसे बंदियों पर जो ऐसे अपराध के लिए सिद्वदोष है जिसके दण्डादेश का निलम्बन किसी विधि में अनुमन्य नहीं है।

परिभाषाएं **2.** जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में,

(1) **"राज्यपाल"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है

(2) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(3) **"राज्य"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है,

(4) **''प्रपत्र''** का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न किसी प्रपत्र से है।

दण्डादेश के निलम्बन की शक्ति **3.**

(1) सरकार किसी बंदी के दण्डादेश का निलम्बन एक माह तक निम्नलिखित आधारों पर कर सकती हैः-

(क)	बंदी के माता, पिता पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई या बहिन की बीमारी या
(ख)	खण्ड (क) में उल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी की मृत्यु या
(ग)	पुत्र, पुत्री, भाई या बहिन का विवाह,
(घ)	अपनी निजी भूमि पर कृषि की बुआई या कटाई के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसके लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो।
(ड़)	अपने मकान की आवश्यकता मरम्मत के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसके लिए कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो।

(2) सरकार विशेष परिस्थितियों में उपनियम (1) में निर्दिष्ट दण्डादेश के निलम्बन की अवधि को एक माह से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकेगी

दो माह बाद दण्डादेश के निलम्बन अवधि का निस्तारण

4. (1) विशेष परिस्थितियों में किसी बंदी के दण्डादेश के निलम्बन की अवधि राज्यपाल के पूर्वानुमोदन से दो माह से आगे बढ़ाई जा सकती है।

(2) किसी बंदी के दण्डादेश के निलम्बन की कुल अवधि सामान्यतः बारह माह से अधिक नहीं हो सकती है, किन्तु विशेष परिस्थितियों में किसी बंदी के दण्डादेश के निलम्बन की अवधि राज्यपाल के पूर्वानुमोदन से बारह माह से अधिक हो सकती है।

दण्डादेश के निलम्बन के लिए प्रक्रिया

5. (1) दण्डादेश के निलम्बन के लिए प्रार्थना-पत्र स्वयं बंदी द्वारा या बंदी के परिवार के किसी सदस्य या निकट सम्बन्धी द्वारा विहित प्रपत्र-I में दो प्रतियों में सम्बन्धित जेल के अधीक्षक की मार्फत प्रस्तुत किया जाएगा। जो उसकी एक प्रति अपनी अभ्युक्तियों पर प्रपत्र-II में जेल रिपोर्ट के साथ सरकार को और दूसरी प्रति सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा।

(2) सरकार बंदी के दण्डादेश के निलम्बन की वांछनीयता पर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांग सकती है जो ऐसी जांच, जिसे आवश्यक समझी जाए कराने के पश्चात अपनी-अपनी रिपोर्ट प्रपत्र-III में 30 दिन के भीतर सरकार को प्रस्तुत करेंगे। उचित मामलों में सरकार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432 की उपधारा (2) के अधीन राय मांग सकती है।

(3) सरकार बंदी की आयु स्वास्थ्य की दशा, भोगे गये दण्डादेश और जेल में उसके चाल-चलन के सम्बन्ध में सम्बन्धित जेल के अधीक्षक से रिपोर्ट मांगेगी।

(4) कोई बंदी किसी दण्डादेश के निलम्बन पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा जब तक कि यह जिला मजिस्ट्रेट के संतोषनुसार व्यक्तिगत बन्ध पत्र के साथ इस आशय की प्रतिभूतियां प्रस्तुत न कर दे कि वह दण्डादेश के निलम्बन की अवधि की समाप्ति पर सम्बन्धित जेल में समर्पण कर देगा और उक्त अवधि के दौरान शान्ति बनाये रखेगा और अच्छा चाल-चलन रखेगा।

6. (1) दण्डादेश का निलम्बन ऐसे बंदी को जो हत्या के अपराध के लिए आजीवन के लिए सिद्धदोष है, तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि बंदी परिहार न्यूनतम तीन वर्ष का दण्डादेश न भोग चुका हो और डकैती के अपराध के लिए बंदी बिना परिहार के न्यूनतम चार वर्ष का दण्डादेश न भोग चुका हो। अन्य समस्त दण्डादेश का निलम्बन तब तक मंजूर नहीं किया जायेगा जब तक कि बंदी बिना न्यूनतम एक वर्ष का दण्डादेश न भोग चुका हो।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक की यह राय हो कि बंदी के छोड़े जाने की शान्ति और प्रशान्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो दण्डादेश का निलम्बन अपराध के लिए किसी सिद्धदोष बंदी को या किसी आभ्यासिक अपराधी को मंजूर नहीं कर सकेगा।

(3) दण्डादेश के निलम्बन की अवधि की गणना भोगे गये दण्डादेश की अवधि में की जायेगी।

(4) किसी बंदी के दण्डादेश का निलम्बन एक कैलेण्डर वर्ष से एक बार से अधिक किया जा सकेगा।

परन्तु यह कि अपरिहार्य परिस्थितियों यथा, किसी बंदी के माता-पिता या पुत्र, पुत्री, भाई या बहिनकी मृत्यु या बंदी के पुत्र, पुत्री, भाई या बहिन का विवाह या एक आपदाओं में किसी बंदी के दण्डादेश को दूसरी बार निलम्बित किया जा सकेगा।

दण्डादेश के निलम्बन की शर्तो के उलघंन के लिए दण्ड

7. (1) जेल अधीक्षक दण्डादेश के निलम्बन की अवधि की समाप्ति के पश्चात किसी के जेल के बाहर नियत अवधि से अधिक ठहरने या अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बारे में सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से उक्त बंदी को गिरफतार करने के अनुरोध करेगा।

(2) कोई बंदी जिसके दण्डादेश का निलम्बन किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया हैः-

(क)	यदि वह सात दिन तक विलम्ब से जेल में समपर्ण करता है तो अनुशासनहीनता उसकी जेल पंजी में अभिलिखित की जायेगी ।
(ख)	यदि वह उन्तीस दिन तक विलम्ब से जेल में समर्पण करता है तो अनुशासनहीनता उसकी पंजी में अभिलिखित की जायेगी और जेल में समर्पण के दिनॉक से एक वर्ष के पश्चात छः माह की समाप्ति तक उसे दण्डादेश का निलम्बन मंजूर नहीं किया जायेगा।
(ग)	यदि वह एक माह के पश्चात समर्पण करता है तो अनुशासनहीनता उसकी पंजी में अभिलिखत की जायेगी और जेल में समर्पण के दिनांक से एक वर्ष के पश्चात एक वर्ष की समाप्ति तक उसे दण्डादेश का निलम्बन मंजूर नहीं किया जायेगा।
(घ)	यदि वह दो माह बाद समर्पण करता है, तो अनुशासनहीनता उसकी पंजी में अभिलिखित की जायेगी और जेल में समर्पण के दिनांक से एक वर्ष पश्चात एक वर्ष छः माह की समाप्ति तक उसे दण्डादेश का निलम्बन मंजूर नहीं किया जायेगा।
(ड़)	यदि वह दो माह से अधिक की अवधि के पश्चात समर्पण करता है, तो अनुशासनहीनता उसकी पंजी में अभिलिखित की जायेगी और जेल में समर्पण के दिनॉक से एक वर्ष के पश्चात प्रत्येक माह के विलम्ब के लिए छः माह की समाप्ति तक उसे दण्डादेश का निलम्बन मंजूर नहीं किया जायेगा।
(च)	यदि वह बारह माह से अधिक की अवधि के लिए बाहर रहता है तो ऐसे बंदी को सामान्यतः दण्डादेश का निलम्बन मंजूर नहीं किया जायेगा।
(छ)	यदि दण्डादेश का निलम्बन असत्य और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करके प्राप्त किया गया हो, तो ऐसे बंदी को भविष्य में कोई दण्डादेश का निलम्बन मंजूर नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

जगजीत सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रपत्र-I

पैरोल के प्रार्थना-पत्र

(नियम 5 (1) देखिए)

1. बंदी का नाम : ....

2. पिता/पति का नाम : ....

3. बंदी का पता : ....

4. थाना : ....ग्राम/शहर ....

5. तहसील : ....

6. जिला : ....

7. बंदी जिस कारागार में बंद है: ....

8. बंदी के अपराध की धारा व दण्ड की अवधिः..

9. किस न्यायालय से दण्डित हुआः..

10. बंदी के दण्डित होने की तिथिः ....

11. अब तक कितना दण्ड भोगा है ....

(अ) अपरिहार .... (ब) सपरिहार ....

12. बंदी की कोई अपील/रिवीजन किसी न्यायाल में विचाराधीन है अथवा नहीं ....

....

....

13. क्या किसी न्यायालय से पहले पैरोल प्राप्त किया गया, यदि हाँ तो विवरण दें ....

....

14. पैरोल की प्रार्थना का आधार..

....

....

15. कितनी अवधि के लिए नये पैरोल की प्रार्थना है ....

16. यदि पैरोल बढ़ाये जाने की प्रार्थना की है तो ....

(क) अब तक कितना पैरोल दिया जा चुका है ....

(ख) कितनी बार में ....

(ग) पिछली बार स्वीकृत पैरोल की अवधि किस तिथि को समाप्त हो रही है..............................

(घ) पैरोल में कितनी वृद्धि की प्रार्थना है ....

17. यदि शादी के आधार पर पैरोल मांगा गया है तो-

(क) लड़की का नाम तथा पिता का नाम ....

(ख) लड़की की आयु ....

(ग) लड़के का तथा पिता का नाम :..

(घ) लड़के की आयुः...

(नोट-जिस लड़की/लड़के की शादी है तथा जिस लड़के/लड़की के साथ शादी है उन दोनों का विवरण देना आवश्यक होगा)

18. यदि खेती के कार्य के लिए पैरोल की प्रार्थना है तो-

(क) क्या प्रार्थना बंदी की जमीन की जुताई/बुआई के लिए है ....

(ख) क्या प्रार्थना फसल की कटाई मड़ाई के लिए है ....

(ग) उपरोक्त दोनों दशाओं में यह अंकित करें कि उपरोक्त कार्यो के लिए क्या कोई अन्य व्यक्ति उपलब्ध नही है ! विवरण दें ....

....

19. यदि बंदी के परिवार के आवास के मरम्मत के लिए पैरोल की प्रार्थना की है तो-

(क) किस मरम्मत की आवश्यकता है :...

(ख) पिछली बार मकानकी मरम्मत कब हुई थी ....

(ग) क्या बंदी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति यह कार्य नहीं करा सकता, यदि नहीं हो क्यों : ....

....

....

20. पैरोल का अन्य कोई कारण :...

प्रार्थी के हस्ताक्षर

दिनांक-

1. प्रार्थी का नाम -----------------------------------
2. पिता/पति का नाम ....
3. बंदी से सम्बन्ध ....
4. ग्राम/कस्बा ....
5. डाकखाना ....
6. जिला ....

<u>विशेष सूचना-</u>

1. पैरोल की अवधि दण्ड की अवधि में शामिल नहीं होगी।
2. जिला मजिस्ट्रेट/मंडलायुक्तों द्वारा किसी व्यक्ति को एक कैलेन्डर वर्ष में (1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि में) एक माह से अधिक पैरोल स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
3. एक माह से अधिक पैरोल के लिए प्रार्थना-पत्र शासन को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही भेजना आवश्यक होगा।

प्रपत्र–II
जिला रिपोर्ट हेतु,
(नियम 5 (1) देखिए)

1. (क) बंदी का नामः ....

(ख) पिता का नामः ....

(ग) तथा बंदी संख्याः ....

2. बंदी का पूर्ण पताः ....

....

....

3. बंदी की आयु एवं जन्मतिथिः..

4. दण्ड देने वाले न्यायालय का नामः..

5. अपराध संख्या सत्र परीक्षण संख्या, दण्ड की धाराएं तथा सजा अवधिः..

....

6. दण्ड की तिथिः..

7. मृत्यु दण्ड की सजा, आजीवन कारावास अथवा अन्य सजा में कम्यूट होने का विवरण एवं तिथिः..................

8. बंदी द्वारा भोगी गयी सजा का विवरणः

(अ) अपरिहार सजाः..

(ब) सपरिहार सजाः..

(स) कुल सपरिहार सजाः..

9. बंदी की अपील/रिवीजन न्यायालय में लम्बित होने की स्थितिः..

10. बंदी के विरूद्ध लम्बित अन्य वादों (यदि कोई हो) का विवरणः..

11. बंदी का कारागार में आचरणः..
(जेल में दिए गये दण्ड के विवरण सहित)

12. बंदी के पूर्व में स्वीकृत पैरोल/गृह अवकाश का पूर्ण विवरणः..

13. क्या बंदी को पूर्व स्वीकृत पैरोल/गृह अवकाश अवधि का उपयोग कर समय से जेल में हाजिर हुआ यदि विलम्ब से हाजिर हुआ तो अवधि एवं दिये गये दण्ड का विवरणः..

....

14. क्या बंदी की दया याचिका लम्बित हैः..